चतुर्थ माला, खंड 29, अंक 51 बुधवार, 30 अप्रेल, 1969/10 वैशाख, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol. XXIX, No. 51 Wednesday, April 30, 1969/ Vaisakha 10, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, बुधवार, 30 अप्रेल, 1969/10 वैशाख, 1891 (शक)

No. 29 Wednesday, April 30, 1969/Vaishakh 10, 1891 (Saka)

विषय	Subject	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		**पृष्ठ/Pages**
1411. लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	1
1412. निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation	6
1413. भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाना	Popularization of Indian Tea	8
1415. भारतीय दूतावासों में हिन्दी में सरकारी कार्य करना	Official work in Hindi in Indian Missions	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
1414. काश्मीर के संबंध में रूस की नीति	Russia's stand on Kashmir	15
1416. काश्मीर के विकास के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन	Gajendragadkar Commission's Report on Development of Kashmir	16
1417. पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारियाँ	Military preparations by Pak. :	16
1418. नागाओं से बरामद किये गए हथियार	Arms Recovered from Nagas	16
1419. परमाणु शक्ति उर्वरक कारखाना	Atomic power fertilizer factory	17
1420. पूर्वी पाकिस्तान में रविन्द्रनाथ टैगोर के स्मृति चिह्न	Shri Rabindranath Tagore's Relics in East Pakistan	17
1421. राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textile Corporation	18
1422. पोलैंड से यूरिया और गंधक का आयात	Import of Urea and Sulphur from Poland	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1423.	प्रतिरक्षा कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले आयातित कच्चे माल का देश में उत्पादन	Import substitution of Raw Materials used for Defence purposes	19
1424.	गोरखपुर में प्रतिरक्षा कालेज	Defence college at Gorakhpur	20
1425.	इटली का व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Italy	20
1426.	राज्य व्यापार निगम की बम्बई शाखा का कार्यालय	Bombay Branch office of State Trading Corporation	21
1427.	आप्रवासन के बारे में सत्रह राष्ट्रों की समिति	17-Nation Committee on Immigration	22
1428.	भारतीय राजनयिकों को उनकी नियुक्ति वाले देश की भाषा में बातचीत करना	Indian Diplomats Conversing in Language of the country of their posting	22
1429.	बर्मा में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रजनों की स्वदेश वापसी	Repatriation of Indian Nationals Detained in Burma	23
1430.	यूरोपीय सांझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश	U. K's Entry into European Common Market	24
1431.	तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का विदेश व्यापार	India's Foreign Trade during Third Five Year plan	25
1432.	कच्छ के रन के सीमांकन कार्य में प्रगति	Progress in Demarcation of Rann of Kutch	25
1433.	निर्यात वर्ष	Export year	26
1434.	ब्रिटेन के सेनापति का भारत का दौरा	Visit of Chief of British General Staff	26
1435.	अंगोला के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता	Help to Freedom Fighters of Angola	26
1436.	भारत ताइवान व्यापार	Indo-Taiwan Trade	27
1437.	उत्तर सौराष्ट्र तथा कच्छ के लिए परमाणु शक्ति सम्बंधी बृहत योजना	Master Plan for Atomic Power for Northern Saurashtra and Kutch	27
1438.	बी० ट्विल बोरों की खरीद	Purchase of B. Twill Bags	28
1439.	दिल्ली में हुआ मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference held in Delhi	28
1440.	कच्छ पंचाट के बारे में भारत पाकिस्तान की बैठक	Indo-Pak. Meet on Kutch Award	29

विषय अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8105. आसाम में चाय बागान	Tea Gardens in Assam	29
8106. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	30
8107. आंध्र प्रदेश में घटिया किस्म का तम्बाकू जमा होना	Accumulation of low grade Tobacco in Andhra Pradesh	30
8108. रूस को माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to USSR	31
8109. पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस देना	Issue of Import Licences for Capital Goods	32
8110. श्रीमती और डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण	Extraditition of Tejas	32
8111. उत्तर प्रदेश के लिए योजना में धन का नियतन	Plan Allocation for Uttar Pradesh	33
8112. भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता	Indian Statistical Institute, Calcutta	33
8113. नौ इंजन का निर्माण	Manufacture of Marine Engines	34
8115. आर्मड फोर्सिस मेडिकल कालेज, पूना	Armed Forees Medical College Poona	34
8116. चौथी योजना में मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools during Fourth Plan	35
8117. सूती कपड़े का उत्पादन	Production of Cotton Textiles	36
8118. गुजरात में नकली रेशम बुनाई कारखाने	Art Silk Weaving Units in Gujarat	37
8119. राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ली गई कपड़ा मिलें	Textile Mills taken over by National Textile Corporation	37
8120. सीमावर्ती राज्यों में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Border States	38
8121. अणु शक्ति विभाग का विदेशों में क्रय सम्बंधी मिशन	Purchase Missions of Atomic Energy Department Abroad	39
8122. पूना छावनी बोर्ड	Poona Cantonment Board	39
8123. अरब देशों में प्रेस सहचारी	Press Attaches in Arab Countries	40
8124. आंध्र प्रदेश में एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	Agro Industrial Corporation in Andhra Pradesh	40
8125. गणतंत्र दिवस परेड	Republic Day parade	40
8126. भारत-पाकिस्तान सीमा समस्यायें	Indo Pak. Border Problems	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8127.	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जार्डन का दौरा	Indian Trade Delegation to Jordan	41
8128.	कपड़ा उद्योग में बेरोजगारी	Unemployment in Textile Industry	42
8129.	इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन	Institute of strategic Studies London	42
8130.	कुवैत को विद्युत् इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात	Export of electrical Engineering Products to Kuwait	43
8131.	पटसन मिलों को ऋण	Loans to Jute Mills	43
8132.	रेयन धागे का मूल्य	Price of Rayon Yarn	44
8133.	राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by State Trading Corporation	44
8134.	पटसन की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय	Measures to promote export of jute Goods	45
8135.	सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees of Armed Forces Headquarters	47
8136.	पालम हवाई अड्डे के धावन-पथ का विस्तार	Extension of Palam Runway	47
8137.	भारत द्वारा विभिन्न प्रकार के युद्धों में की गई प्रगति	Progress made by India in various Types of war	48
8138.	सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त मध्य प्रदेश के सैनिक कर्मचारी	Military personnel belonging to Madhya Pradesh Posted in Border Areas	48
8140.	अफ्रीकी देशों में आप्रवास तथा व्यापार सम्बंधी विधियों से प्रभावित भारतीय लोग	Indian affected by Immigration and Trade laws in African countries	48
8141.	विकिरण समस्थानिका (रेडियो आइसोटोप)	Radio Isotopes	49
8142.	भारतीय व्यापारियों को नाकुरा, कानिया से निकल जाने के लिए कहा जाना	Indian Traders asked to move out from Nakura, Kenya	50
8143.	गुड़ का निर्यात	Export of Gur	50
8144.	प्रधान मंत्री को संसद सदस्यों से 1968-69 में मिले पत्र	Letters received by Prime Minister from M. Ps. during 1968-69	51
8145.	भारत नेपाल सीमावार्ता का स्थगित किया जाना	Suspension of Indo-Nepal Border Talks	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8146.	भारतीय नौसेना के लिए परमाणु हथियार	Nuclear Weapons for Indian Navy	52
8147.	1967-68 में प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा	Countries visited by Prime Minister during 1967-68	52
8148.	तन्तुक नियंत्रण आदेश	Staple fibre Control Order	52
8149.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग	National sample survey	53
8150.	चीन गणराज्य के साथ व्यापार	Trade with Republic of China	53
8151.	उत्तर प्रदेश को विद्युत चालित करघों का नियतन	Allocation of powerlooms to U. P.	55
8152.	भारतीय वायु सेना	Bhartiya Vayu Sena	56
8153.	किर्की में हुआ छावनी बोर्ड प्रतिनिधि सम्मेलन	Conference of Representatives of Cantonment Boards held at Kirkee	56
8154.	औद्योगिक एककों द्वारा निर्यात	Exporting Industrial Units	57
8155.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क की खरीद	Purchase of maganese ore by M. M. T. C.	57
8156.	पटना के निकट बिहटा में हवाई अड्डे के लिए अर्जित भूमि	Land acquired for airport at Bihata near Patna	58
8157.	नईदिल्ली में मनीपुर हथकरघा वस्तुओं की बिक्री के लिए प्लाट दिया जाना	Allotment of a plot for sale of Manipur Handloom products in New Delhi	59
8158.	निर्यात के लिए वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण	Fixation of prices of commodities for exports	59
8159.	पटसन के बोरों की खरीद	Purchase of jute bags	60
8160.	ऊनी कालीन, कम्बल आदि बनाने वाले उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernization of Woollen Rugs Industry	60
8161.	रूस को खादी का निर्यात	Export of Khadi Goods to USSR	60
8162.	गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड	Garden Reach workshop Ltd.	61
8163.	औद्योगिक उत्पादों की खरीद	Purchase of Industrial produce	61
8164.	छावनी बोर्डों की बैठकों में उपाध्यक्ष को अध्यक्षता करने की अनुमति न दिया जाना	Deputy Chairman not permitted to preside over Meeting of Cantonment Boards	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8165.	दिल्ली की फर्म द्वारा सप्लाई किये गए तम्बू	Tents supplied by a Delhi Firm	62
8166.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग	National sample survey	63
8167.	सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के पदों के लिए पदोन्नति का विभागीय कोटा बढ़ाना	Raising of departmental quota for promotion to Assistant Executive Engineers in MES	63
8168.	गैस सिलिंडरों का आयात	Import of Gas Cylinders	63
8169.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात	Imports through state trading corporation	64
8170.	तिब्बत के प्रति भारत की नीति को नई दिशा देना	Orientation of India's policy towards Tibet	65
8171.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पर व्यय	Expenditure on international Trade fairs	66
8172.	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import licences	66
8173.	कच्छ पंचाट की क्रियान्विति पर व्यय	Expenditure on Kutch Award Implementation	67
8174.	झांसी छावनी में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Jhansi Cantonment	67
8176.	तारापुर परमाणु बिजली घर	Tarapore atomic power station	68
8177.	विद्रोही नागाओं का इसाक स्वू ग्रुप	Issac Swu Group of Naga Hostiles	68
8178.	नेपाल में सिले सिलाये कपड़े तैयार करना	Manufacture of Readymade Garments in Nepal	69
8179.	मजगाँव में डॉक में यात्री जहाजों का निर्माण	Building of passenger ships in Mazagon Dock	69
8180.	काफी का उत्पादन	Production of Coffee	70
8181.	वर्तमान काम के घंटों में परिवर्तन	Change in present working hours	71
8182.	निकोबार द्वीपसमूह में ब्रिटेन की वायु सेना को दी गई रियायतें	Concessions given to Royal Air Force of U. K. in Nicobar Islands	71
8183.	आदिम जाति के लोगों के लिए अध्ययन दल	Study Team for Tribal people	71
8184.	भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार	Review of Indian citizenship and Nationality Rules	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8185.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	72
8186.	पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in West Bengal	73
8187.	उपूसी (नेफा) तथा लद्दाख सीमाओं पर चीनी सेना की शक्ति	Strength of Chinese Army on NEFA and Ladakh Borders	73
8188.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयात	Imports by State Trading Corporation	74
8189.	1969-74 के लिये प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan for 1969-74	75
8190.	जैम और साग का निर्यात	Export of Jam and Saag	75
8191.	पाकिस्तान की जेल में भारतीय युवक (जगमोहन सिंह)	Indian Boy (Jagmohan Singh) in Pak Jail	76
8192.	थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट छोड़ने के (ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन) में घायल हुए इंजीनियर	Engineers injured in Thumba Equitorial rocket launching station	76
8193.	उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Ferti lizer plant in U. P.	77
8194.	उत्तर प्रदेश में अणुशक्ति से नलकूप चलाना	Runing of tubewells in U. P. from Atomic Power	77
8195.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह के लिये एल्युमीनियम का कारखाना	Aluminium plant for Agro-Industrial complex in Western U. P.	77
8196.	सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सीमा सुरक्षा दल में नौकरी पर रखना	Absorption of demobilised emergency commissioned officers in Border security force	78
8197.	एम. ई. एस. के कर्मचारियों के आवेदन पत्र आगे भेजना	Forwarding of applications of MES employees	78
8198.	सुपरिन्टेंडेंटों के वेतनमानों का संशोधन	Revision of pay scales of superintendents	79
8199.	शिपिंग एजेंटों की एक फर्म के साथ हुए एक करार की अवधि पूरी होने से पूर्व उसे समाप्त किये जाने के कारण हानि	Loss due to Premature Termination of Agreement with a firm of shipping agents	79
8200.	कपड़ा मिलों को मिलाना	Merger of textile Mills	80
8201.	कपड़ा नियंत्रण आदेश	Textile control order	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8202.	कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allotment of quota of Raw Films	81
8203.	श्रीलंका और मलेशिया के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with Ceylon and Malaysia	81
8204.	विद्रोही नागाओं का बातचीत करने का प्रस्ताव	Rebel Nagas' offer for Talks	83
8205.	आयात कोटे के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाना	Simplification of procedure for allocation of Import quotas	84
8206.	लौह अयस्क का निर्यात	Export of iron ore	84
8207.	लक्ष्मीरतन काटन मिल कम्पनी लि., कानपुर	Lakshmiratan cotton mills company Ltd. Kanpur	85
8208.	जोर्डन के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Jordan	85
8209.	सूती कपड़े के उत्पादन तथा मूल्यों पर नियन्त्रण	Control over production and price of cotton Textiles	86
8210.	सेवानिवृत व्यक्तियों की भारतीय मिशनों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्तियां	Appointnent of Retired persons as heads of Indian Diplomatc missions	87
8211.	भारत के साथ सीमा विवाद हल करने के लिए चीन का प्रस्ताव	Chinese offer to settle Border disputes with India	87
8212.	अनुसंधान, विद्युत विकास तथा ईंधन परिष्करण कार्यक्रम	Programme for Research, Power Development and Fuel processing	88
8213.	संयुक्त उपक्रमों के बारे में युगोस्लाविया के साथ वार्ता	Talks with Yugoslavia re : Joint ventures	89
8215.	गधों का निर्यात	Export of donkeys	90
8216.	अमरीका स्थित भारतीय दूतावास तथा ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कर्मचारी	Staff in Indian Embassy in USA and High Commission in U. K.	90
8217.	लौह और मेंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी	Decrease in Export of Iron and Managenese Ores	91
8218.	गोआ से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore from Goa	91
8219.	कच्चे पटसन के दाम	Prices of raw jute	92
8220.	रूस द्वारा पाकिस्तान को विमानों की सप्लाई	Supply of Aircraft to Pakistan by USSR	93
8221.	कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allocation of quota of raw films	94

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8222. मद्रास के चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों के अभ्यंश का आवंटन	Allocation of quota of raw films to Film producers of Madras	94
8223. कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना	Allocation of quota of Raw Films	95
8224. कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना	Allocation of quota of Raw films	95
8225. कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना	Allocation of quota of raw films	95
8226. भारत में प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण	Manufacture of missiles in India	96
8227. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि-उद्योग समूह	Agro Industrial Complex in Western U. P.	96
8228. पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	Export of iron ore from Paradeep Port	97
8229. पश्चिम दिल्ली में नंगलराय गांव में भूमि का अर्जन	Acquistion of land in village Nangal Rai in West Delhi	97
8230. वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय दस्ते के बारे में टिप्पणी	Remarks of Indian Contingent of ICC in Vietnam	97
8231. एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी का तबादला/पदावनति	Transfer/Demotion of a senior Army Officer	98
8232. प्रतिरक्षा सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों के साथ जनरल स्टोर्स (प्रतिरक्षा) के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी का सम्बन्ध	Association of a senior Army Officer of General Stores (Defence) with firms supplying Defence stores	98
8233. प्रतिरक्षा विभाग को प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई	Supply of Defence stores to Defence Department	99
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re : Calling Attention Notice	100
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	100
भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को पुनः आरम्भ करने तथा अन्य मामलों के बारे में दोनों देशों के उच्चायुक्तों की कथित वार्ता	Reported talks between Indian and Pak High Commissioners re. resumption of trade between India and Pakistan and other matters.	100
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	101
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	101
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	103

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	104
एक) कार्यवाही सारांश ; और	i) Minutes ; and	104
दो) चौहत्तरवां, पचासीवां, छियासीवां तथा अठासीवां प्रतिवेदन	ii) Seventy-fourth, Eighty-fifth, Eighty-sixth and Eighty-eighth Reports	106
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	108
एक) कार्यवाही सारांश : और	i) Minutes ; and	105
दो) पांचवां प्रतिवेदन	ii) Fifth Report.	108
याचिका समिति	Committee on Petitions	105
एक) कार्यवाही सारांश ;	i) Minutes ;	105
दो पांचवां प्रतिवेदन ; और	ii) fifth Report; and	108
तीन) साक्ष्य	iii) Evidence	108
सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति	Committee on Public Undertakings	105
एक) कार्यवाही सरांश ;	i) Minutes; and	105
दो) चौतीसवां, छत्तीसवां, सैंत्तीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां, सैंतालीसवां, और इकावनवां प्रतिवेदन	ii) Thirty-fourth, Thtrty-sixth, Thirty-seventh, Thirty eighth, Thirty ninth, Forty-seventh and Fifty-first Reports.	107
लोक लेखा समिति	Public Account Committee	106
साठवां, चौसठवां, अड़सठवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तृहत्तरवां तथा चौहत्तरवां प्रतिवेदन	Sixteeth, Sixty-fourth, Sixty-eighth. Seventy first, Seventy second, Seventy third and Seventy fourth Report	106
नियम 377 के अधीन विषय	Matter Under Rule 377	108
पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही	Action against the Shankaracharya of Puri.	108
वित्त विधेयक 1969	Finance Bill, 1969	109
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider :	109
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	110
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	110
श्री बी० ना० कथम	Shri B. N. Katham	113
श्री पी० राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri Narendra Kumar Salve	116
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	117
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	120
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	121
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	124
श्री जागेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	126
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	126
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	127
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatshingka	127
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Gani Dar	129
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwari	129
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanatham	130
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	131
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	135
पैंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty fifth Report	135
हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Temporary Central Govt. Employees who participated in the Strike	136
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	136
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	136
चलचित्र परिषद का गठन	Constitution of a Film Council	136
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	136
श्री इ० कु० गुजराल	Shri I. K. Gujral	140

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 30 अप्रेल, 1969/10 वैशाख, 1891 (शक)
Wednesday April 30, 1969/ Vaisakha 10, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लौह अयस्क का निर्यात

+**1411. डा० सुशीला नैयर** : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हाँ ।

(ख) लौह-अयस्क के निर्यात को, जो 1968-69 की अवधि में 155 लाख मी० टन के लगभग था, बढ़ाकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में 250 लाख मी० टन से अधिक करने का विचार है । इस कार्यक्रम में ये बातें शामिल हैं : सरकारी तथा गैर- सरकारी क्षेत्रों दोनों में लौह अयस्क का अतिरिक्त उत्पादन करना, अयस्क उत्पादक क्षेत्रों से बन्दरगाहों को जाने वाली वर्तमान रेलवे लाइनों की क्षमता को बढ़ाना, परादीप और हल्दिया के नये पत्तन तक रेल मार्ग स्थापित करना और पत्तनों पर अधिक बड़े वाहकों के आने के लिये गहरे स्थल और जल्दी लदान करने वाले मशीनी उपकरणों का प्रबन्ध करना ।

डा० सुशीला नैयर : निर्यात बढ़ने से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री द्वारा बताई गई विभिन्न सुविधाओं के विकास पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री ब० रा० भगत : विदेशी मुद्रा की आय वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित रहती है तथा मूल्यों में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है क्योंकि वे विदेशों के साथ होने वाली बात चीत पर निर्भर करते हैं। मूल्यों के बारे में यदि करार की अवधि दीर्घकालिक हो तो वह बात दूसरी है। जहां तक पत्तनों तथा अन्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय का सम्बन्ध है उसके बारे में सूचना से एकत्रित करना कठिन है। फिर भी हम रेल्वे तथा परिवहन मंत्रालयों से तथा पत्तनों से सूचना एकत्र करके सभापटल पर रखने का प्रयास करेंगे।

डा० सुशीला नैयर : क्या सह सच है कि लौह अयस्क के मूल्य बहुत गिर गये हैं ? यदि हाँ तो क्या मंत्रालय को यह बताना सम्भव होगा कि प्रतियोगी दर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये हमें इस पर कितनी राजसहायता देनी होगी ।

श्री ब० रा० भगत : हमें आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील जैसे देशों से इस विषय में कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। उन देशों में भारी लदान तथा मालको लाने ले जाने की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण वे देश अपने माल को कम मूल्य पर बेच सकते हैं। जापान आदि देशों के साथ हमारे कुछ दीर्घकालिक करार होने के कारण हम निर्यात को बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु मूल्य गिरते ही जा रहे हैं।

श्री दिनकर देसाई : मैसूर के बैल्लरी-हॉस्पैट क्षेत्र में भारी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है किन्तु कठिनाई यह कि मैसूर में निकटतम पत्तन है और हॉस्पैट तथा करवार के बीच कोई रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन केवल हुवली तक है। अतः बैल्लरी-हॉस्पैट क्षेत्र से लौह अयस्क हुवली तक तो रेल द्वारा ले जाया जाता है तथा वहां से ट्रकों में भर कर उसे करवार तक ले जाया जाता है। जो वहां से 100 मील दूर है। बैल्लरी-हॉस्पैट क्षेत्र से लाह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए मैसूर सरकार ने केन्द्र सरकार से करवार का प्रमुख पत्तन के रूप में विकास करने तथा हुवली से करवार तक रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश की है। ऐसा करने से करवार पत्तन से एक वर्ष में 30 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क से भी अधिक का निर्यात किया जा सकता है। यहां से लौह अयस्क का निर्यात भी सबसे सस्ता पड़ेगा। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय हुवली से करवार तक रेलवे लाइन बनाने की तथा करवार पत्तन का आधुनिक पत्तन के रूप में विकास करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ये मंत्री महोदय रेलों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं ? यदि मन्त्री महोदय इसका उत्तर देना चाहें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। किन्तु क्या यह सम्भव है ?

श्री दिनकर देसाई : मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम प्रस्ताव पर वह विचार कर सकते हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मन्त्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : रेलवे लाइन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूँ कि बैल्लरी-हॉस्पेट क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात मारमागाओ, करवार तथा मद्रास पत्तनों से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय रेलों के बारे में कुछ भी बताने में समर्थ नहीं हो सकते। उनकी जगह कोई और व्यक्ति भी होते तो वह भी कुछ रेलों के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि रेलों का उत्तरदायित्व तो अन्य मन्त्रालय का है। मैं उस क्षेत्र तथा उसकी समस्याओं से पूरी तरह परिचित हूँ। वास्तव में यह विषय मेरे पास रहा था। और जब मन्त्री महोदय के अधीन यह विषय है ही नहीं तो उनसे 200 करोड़ रुपयों की लागत वाली रेलवे लाइन के विषय में प्रश्न पूछना व्यर्थ है।

श्री दिनकर देसाई : ये इस सूचना को रेलवे विभाग को भेज सकते हैं।

Shri Maharaj Singh Bharti : In view of the fact that out of the total availability of iron ore in the world a sizable quantity of it is found in India and that the iron cantent in Indian iron ore is comparatively more, whether the Government of India have made any long term plannings to export iron-ingots billets ete. in future instead of iron ore in order to promote employment in the country and to gain increased amount of foreign exchange ?

Shri B. R. Bhagat: Besides the iron ore the palletised iron is also being exported. Attempts are being made to promote palletisation. Similavrly the export of billets and other commodities has been increased. We are trying to promote it further. The home-demand of these things has also been increased. But it is much required to promote the export of theset hings.

श्री जयपाल सिंह : मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। फिर भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार को अकेले झारखण्ड क्षेत्र में पाए जाने वाले 5000 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये कितने लाख वर्ष और चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार उसका हिसाब लगा रही है। इसकी मात्रा लाखों टनों में है अतः उस पर समय तो लगेगा ही।

Shri A. S. Saigal: May I know provisions made in five year plan in regad to the increase in the quantity of iron ore exported to Japan from Buster area ?

Shri B. R. Bhagat: Buster iron ore is also utilised in steel mills of our country. However, there is a scheme to export the iron ore from Beladila area which contains a huge mine.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : क्या यह सच है कि जापान हमसे लौह अयस्क खरीद कर उससे अपना माल तैयार करता है तथा उसे हमारे देश में उत्पादित माल के मूल्य से भी सस्ते दामों पर बेचता है, यदि हां तो क्या सरकार लौह अयस्क की निर्यात सम्बन्धी अपनी नीति पर फिर से विचार करेगी तथा क्या लौह अयस्क का अपने देश में उपयोग करने पर ध्यान देगी ?

श्री ब०रा० भगत : जी हाँ । यह केवल हमारी नीति ही नहीं है अपितु यह नितांत आवश्यक भी है कि हम लोहा तथा स्पात और अन्य वस्तुओं को कम लागत पर उत्पादित करें तथा उनका कम मूल्य पर निर्यात भी कर सकें ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पारादीप पत्तन से जापान तथा अन्य देशों को होने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी तथा पारादीप पत्तन पर अधिक सुविधाएँ देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री ब०रा० भगत : एक दीर्घ-कालिक व्यवस्था के सम्बन्ध में बात चीत करने के लिये इस समय जापान में एक प्रतिनिधि मण्डल गया हुआ है । बात चीत समाप्त हो जाने के बाद ही निर्यात में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है । तथापि जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 250 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के निर्यात की सम्भावना है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इस समय बातचीत करने के लिये प्रतिनिधि मण्डल जापान में विद्यमान है । इस सम्बन्ध में क्या भारत जापान को 100 लाख मीट्रिक टन या 1000 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के निर्यात करने के सम्बन्ध में बात चीत कर रहा है ? क्या इस बारे में मूल्यों को लेकर मुख्य कठिनाई सामने आ रही है तथा क्या लौह अयस्क के भारतीय मूल्यों की अपेक्षा आस्ट्रेलिया के काफी कम मूल्यों का उल्लेख किया जा रहा है ? यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार उसका कैसे सामना करेगी जिससे जापान का महत्वपूर्ण बाज़ार उसके हाथ से न छिन जाय ?

श्री ब० रा० भगत : मेरा अनुमान है कि प्रतिनिधि मण्डल भी ऐसा ही कर रहा है । मैं इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि प्रतिनिधि मेरे साथ तो है नहीं । फिर भी यह तो सच ही है कि यहाँ लौह अयस्क का खानद्वार पर मूल्य कम हैं अथवा समान हैं किन्तु आस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के मूल्य पत्तन ढुलाई या अन्य सुविधाओं के कारण कम हैं तथा हमें इससे उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करना है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार आस्ट्रेलिया के लौह अयस्क के सस्ते मूल्यों द्वारा उत्पन्न समस्या का मुकाबला करने को तैयार है तथा क्या हम प्रतियोगिता कर सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है उन्होने कहा है कि आस्ट्रेलिया में भी खानद्वार पर लौह अयस्क के मूल्य कम नहीं हैं पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के कारण उसके मूल्य कम हैं तथा सरकार इस पहलू पर विचार कर रही कि समस्या का कैसे समाधान हो ।

Shri Sheo Narain : Mr. Speeaker, Sir, may I know the reasons for undertaking the export of iron ore ? When we have invested crores of rupees on the various steel plants in our country we should export steel and not iron ore in order to promote our income.

Shri B. R. Bhagat : That is also being done. We are also increasing the export of steel.

डा० रानेन सेन : आस्ट्रेलिया के लौहअयस्क की कीमतों में कमी का कारण यह है ताकि उन्होने उचित यांत्रिक प्रणाली का उपयोग किया है अत: (क) निक्षेपों से लौह अयस्क को निकालने के बारे में भारत सरकार ने यांत्रिकता लाने के क्या उपाय किये हैं तथा (ख) क्या यह सच है कि भारतीय लौह अयस्क के मूल्यों में होने वाला अन्तर केवल वार्षिक ही नहीं है अपितु देशगत भी है ?

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक बैलाडिला आदि नई खानों का सम्बन्ध है उनमें पूर्णरूप से यांत्रिकता ला दी गई है । अन्य पुरानी खानों में तथा उन खानों में जिनका विकास बहुत पहले किया जाचुका था जल्दी जल्दी यांत्रिकता लाई जा रही है ।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे अंश का सम्बन्ध है, मुझे खेद है मैं उसे समझ नहीं पाया ।

डा० रानेन सेन : क्या जापान के अतिरिक्त अन्य कोई देश भी भारत से लौह अयस्क खरीदता है तथा क्या ऐसे हर देश में इसके मूल्य अलग अलग हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिए ।

Shri Shinkre: Sir, so far as the export of iron is concerned there are so many things to be considered in order to encourage it but I want to mention that instead of increasing our export so many obstacles are put on the way of it. I have repeatedly raised a point here in regard to the strike launched by the bargemen since 16th of Febuary in Goa. A loss amounting to not less than Rs. 5 crores has been caused due to this strike. 55 foreign steamers which approached Goa in order to be loaded have been diverted due to that strike without being loaded. That causes a great hurdle in the export and leaves the country to be sufferd of loss. May I know whether the Government have made any provision to maintain export in the absence of foreign steamers ?

We have sent Indian delegation to Japan for negotiating long-term arrangements, but when we are not making any use of Japanese steamers what is the use of making such sort of long-term arrangements with that country ? In this context I want to know whether the Government have taken any note with regad to those foreign steamers ?

Shri B. R. Bhagat: The Con. member has mentioned that the steamers were diverted due to the strike. But it is apparent that they will certainly go back when there is a strike.

Shri Shinkre: It's Bargemen's strike.

Shri Beni Shanker Sharma : The Hon. Minister is knowing that Rajasthan is quite rich in iron ore and that sizable deposits of iron ore are also available in hilly area of Dobla near the Khetari copper project. The iron ore extracted from this area was used to be exported earlier. Will the Hon. Minister consider to re-undertake the work of extracting iron ore from these mines in order to provide the employment to the inhabitants of Rajasthan ? You observe that Rajasthan is quite familiar to famines and the people of Rajasthan suffer from privation and starvation. Therefore there is a great need to provide them employment. If the extraction of iron ore from these mines is again undertaken these poor people may get work and simultaneouly the Government can export the iron ore extracted from these mines.

Shri B. R. Bhhgat : As compared to the other places the export of iron ore available from Rajasthan will not be economical. Certain other minerals, like phosphate and sulphide have been explored in Rajasthan and the requirement of these minerals is much impressing. The Government of Rajasthan are anxious to undertake the work of extracting these minerals in order to export them and to provide the employment to the people of their state.

श्री क० लकप्पा : हमारे लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान सबसे बड़ा बाजार है। भारत सरकार लौह अस्यक के निर्यात के लिये पत्तनों तथा परिवहन सम्बन्धी विकास कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा नहीं कर पाई। रेलों के विकास के बारे में जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा है तथा जैसा आपने ठीक उल्लेख किया है यह केवल सम्बद्ध मंत्रालय के बारे में है। यह सबसे बड़ा संगठन है किन्तु पिछड़ा हुआ है। लोह अयस्क का कम मूल्य पर निर्यात करने वाले अन्य देशों से आगे बढ़ने के लिये सरकार रेलों तथा पत्तनों की प्रभावकारी पद्धति चलाने के बारे में क्या उपाय कर रही है जिससे अधिक से अधिक लौह अयस्क का निर्यात हो सके तथा आस्ट्रेलिया और अन्य देश जो कि विश्व बाजार पर छाये हुए हैं उनके साथ प्रतियोगिता की जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में नीति यह है कि जिन पत्तनों पर यांत्रिक, रेलवे लाइनों सम्बन्धी तथा अन्य सभी सुविधाएं विद्यमान हैं उनसे अधिक से अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाय। अतः विशाखापतनम, मद्रास, पारादीप, दल्दिया और मारमागाओ के मुख्य पत्तनों पर सभी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं जिससे अधिक से अधिक निर्यात बढ़े। इनके अतिरिक्त कारवार आदि और भी कुछ छोटे पत्तन हैं जिनसे आज कल लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, किन्तु ज्यों ज्यों विशाखापत्तनम या मारमागाओ या दल्दिया पत्तनों या गहरे लदान तथा यंत्रों द्वारा लदान की सुविधाओं से अधिक निर्यात होने लगेगा छोटे पत्तनों से निर्यात होना कम हो जाएगा क्योंकि छोटे पत्तनों से निर्यात करना कम लाभ दायक रहता है।

निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम

+**1412. श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम किस वर्ष तथा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या निगम को स्थापित करने का उद्देश्य पूरा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस निगम को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1957 में स्थापित निर्यात जोखिम बीमा निगम सीमित को 15 जनवरी, 1964 से निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम का रूप दे दिया गया। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं कि विदेशी विक्रेताओं के दोष अथवा दिवालियापन से उत्पन्न कतिपय व्यापारिक तथा राजनैतिक जोखिमों के विषय में भारतीय निर्यातकों को बीमे की सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों को गारंटियां दे।। ताकि वे निर्यातकों को पर्याप्त ऋण सुविधायें दे सकें।

(ख) निगम का कार्य सदा से ही उत्साहवर्धक् रहा है। पांच वर्ष पहले 738 निर्यातकों ने इस निगम की पालिसियां ली थीं परन्तु सन् 1968 के अन्त में 2277 निर्यातकों के पास इस निगम की पालिसियां थीं। निर्यातकों ने माल भेजने के विषय में इस निगम से जो बीमा करवाया उसका मूल्य 1963 में 25.50 करोड़ रु० था जो बढ़कर 1968 में 71.46 करोड़ रु० हो गया। इस निगम की पालिसियों तथा गारंटियों के आधार पर निर्यातकों ने बैंक से जो धनराशि प्राप्त की उसका मूल्य 1963 में 8.07 करोड़ रु० था और उसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने के फलस्रूप यह राशि 1968 में 126.6 करोड़ रु० हो गई। इस कार्य प्रगति से पता चलता है कि निगम जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था उन्हें पूरा कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निगम ने कोई भी कठिनाइयां सरकार के सामने पेश नहीं कीं।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, I agree with the Hon. Minister to a great extent but I don't accept the view that corporation had not to face any difficulties. It has been stated in its report that its Chairman went abroad twice, once in 1967 to study the working of West German Credit Insurance Company and second time to study the working of Export Guarantee Department, London. These visits were undertaken with a view to overcome the difficulties being exprienced here. May I know whether there was any improvment in the working of this company and what benefits accrued to the company? If there was no benefit, what was need for such visits ?

May I also know the detailed working results of the company during the last three years and the names of the persons included in the Board of Directors ?

Chowdary Ram Sewak : As regards the Board of Directors, following persons are there in the Board;

Shri	S. D. Srinivasan	—Chairman	Shri		
,,	A. C. Banerjee	—Director			
,,	P. D. Kasbaker	,,	Shri	V. G. Pendharkar	Director
,,	A. C. A. Rao	,,	,,	J. N. Saksena	,,
,,	R. P. Khetan	,,	,,	N. K. Salve	,,
,,	Keshav Mahendra	,,	,,	Ravi Karunakaram	,,
,,	S. Sankaram	,,	,,	T. S. Samthanam	,,
,,	R. L. Rajgharia	,,	,,	Sanjay Sen	,,
,,	C. M. Ghorpade	Managing Director			

As regards the question of difficulties, no serious difficulties came to the notice of Government. Its working capital is Rs. 1 crore and a proposal to raise it to Rs. 4 crores has been receivd which is under the consideration. As regards the foreign visits of the Managing Director, he went abroad twice, where he attended meetings and he submitted to Government a report of the discussions held.

Shri Prem Chand Verma : Three or four types of policies are issued by this corporation. Has the company received claim for more than Rs. 1 crore and there is inordinate delay in settlement of the claims ? The claims are not admitted for the amounts due, for example Rs. 30 lakhs are granted against a claim of Rs. 1 crore. The company gets its risk insured by other parties also and a sum of Rs. 33 lakhs was paid on this account and they have recieved Rs. 10 lakhs only against their claims. Is it a fact that

they have provided Rs. 5 lakes for bad debts, which are irrecoverable ? An amount of Rs. 14.25 lakhs has been shown as outstanding so far. May I know since when this amount has been outstanding and when the same is likely to be realised ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : I am glad that the Hon. member has read the report thoroughly. The figures quoted by him are given in the report. As regards delay lhe report does not show delay in settlement of cases. However, I will draw the attention of the corporation to it, since the Hon. member has raisəd this point.

The Hon. Member also said that a sum of Rs. 5 lakhs was provided for bad debts. I do not consider it on the higher side in case of total risk of Rs. 200 crores—operational risk for Rs. 126 crores and goods risk Rs. 71 crores.

भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाना

1413. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय को सामान्य रूप से लोकप्रिय बनाने के लिये उपाय करने के बजाय केवल भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ उपाय करने हेतु चाय बोर्ड से कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) चाय के निर्यातों को बढ़ाने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये जो उपाय किये गये हैं उनमें से अधिक महत्वपूर्ण कुछ उपाय ये हैं : (1) विदेशी व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, (2) ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में चाय बोर्ड के कार्यालयों के माध्यम से और काहिरा, एडनबर्ग, लन्दन तथा सिडनी में स्थापित चाय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय चाय के लिये संवर्धनात्मक कार्यवाही करना, (3) विख्यात होटलों तथा अल्पाहार गृहों, छुट्टी मनाने के स्थलों आदि पर, विशेष अवसरों पर भारतीय चाय के नमूने देने की व्यवस्था, (4) विदेशों में समुचित प्रचार साधनों के माध्यमों से विज्ञापन और (5) चुने हुए बाजारों में चाय का संमिश्रण तथा पैकिंग करने वाले स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से शुद्ध भारतीय चाय के विशेष पेकिटों की बिक्री को बढ़ावा देना ।

(ग) अब तक इस विषय में प्राप्त सफलता का समुचित रूप में ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है ; किन्तु विभिन्न देशों में शुद्ध भारतीय चाय के अधिकाधिक डिब्बे चलने लगे हैं और अब अनेक देशों में विदेशी उपभोक्ता भारतीय चाय से सुपरिचित हो गये हैं ।

श्री वेदव्रत बरूआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में वास्तव में पर्याप्त प्रयास किये जा चुके हैं क्योंकि मुख्य असन्तुलन अब भी विद्यमान है, जैसे ब्रिटेन के बाजार पर

मुख्य रूप से आश्रित रहना और अपरिष्कृत चाय का निर्यात, तथा जब तक हम पैकिटों में चाय का निर्यात नहीं करते तब तक भारतीय चाय को लोकप्रिय बनना और किसी से भारतीय चाय पीने के लिये कहना संभव नहीं है क्योंकि वास्तव में हमारी चाय भारतीय चाय नहीं है और ब्रुक बॉण्ड कम्पनी स्वयं भारत-श्रीलंका चाय बेचती है। क्या वास्तव में इस विषय पर विचार किया गया है ? संसद् में अनेक मत व्यक्त किये गये हैं। क्या पैकिटों में बन्द चाय, ब्रिटेन और अन्य बाजारों पर आश्रित होने तथा अन्य बाजार ढूंढ़ने पर विचार किया गया है तथा क्या इस सारे मामले पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई है ताकि भविष्य में चाय का हमारा निर्यात कम न हो ?

श्री ब. रा. भगत : माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह सच है कि पैकिटों में बन्द अपनी चाय के निर्यात और उसे लोकप्रिय बनाना एक महत्वपूर्ण विषय है और वे श्रीलंका सरकार से मिलकर, जो एक अन्य निर्यातकर्ता है, इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या पैकिटों में बन्द चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये इन दों देशों का एक साथी-संघ स्थापित किया जाये। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो हम स्वयं निर्यात करेंगे परन्तु कठिनाई यह है कि चाय के क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता है। अनेक देशों के, जैसे ब्रिटेन, पैकिट बनाने के अपने संगठन हैं, राष्ट्रीय संगठन हैं और वे अपने एकाधिकार में हस्तक्षेप पसन्द नहीं करेंगे। निश्चय ही अनेक अन्य देशों में, विशेष रूप से पड़ौसी देशों में, पैकिटों में बंद चाय के निर्यात को बढ़ाने की संभावना है या नहीं, इस प्रश्न पर राष्ट्रीय संगठन विचार कर सकता है, हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री वेदव्रत बरूआ : यूरोपीय बाजार, विशेष रूप से ब्रिटेन और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा भारत के लिये भी ब्रुक बॉण्ड की पैकिट बन्द चाय ही पैकिट चाय है। क्या हम किसी ब्रिटिश फर्म के सहयोग से पैकिटों में बन्द चाय के निर्यात के लिये प्रयास कर रहे हैं ? क्या आप उनसे पैकिट तैयार करायेंगे अथवा ब्रुक बॉण्ड से कम से कम यह कहेंगे कि वे लंदन में अपरिष्कृत चाय बेचने के स्थान पर, जैसाकि वे इस समय कर रहे हैं, अपनी पैकिट बन्द चाय भारत से निर्यात करें ? क्या हम उन्हें इसके लिये बाध्य अथवा कह सकते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : अपने देश के लिये पैकिटों में चाय बंद करने का काम हम स्वयं करते हैं, हम विचार कर रहे हैं कि हम यह काम बाहर कैसे करें। लेकिन इसके लिये हमें किसी अन्य संगठन और विशेष रूप से विदेशी सहयोग का सहारा नहीं लेना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : चाय हमारे निर्यात की परम्परागत और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। परन्तु गत वर्ष निर्यात में काफी गिरावट आई है। एक कारण ब्रिटेन को निर्यात का कम हो जाना था। क्या यह सच है और यदि हां, तो कितनी कमी हुई है ? दूसरा कारण यह है कि हमने कलकत्ता में नीलाम आरम्भ कर दिये हैं जिससे लंदन में नीलामी का महत्व कुछ कम हो गया है। क्या मंत्री महोदय ने इस पहलू पर विचार किया है कि कलकत्ता में नीलाम से हमें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है ? तीसरे चाय का कोई निश्चित ट्रेड मार्क मूल्य नहीं है। जब तक यहां पर यूरोपीय बागान मालिक थे, एक निश्चित मांग के बारे में हम आश्वस्त थे। यूरोपीय अथवा विदेशी बागान मालिकों के कम हो जाने से विदेशों में मांग कम हो गई है।

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि चाय एक परम्परागत वस्तु है, फिर भी कठिनाई हो रही है, जब तक हम संवर्धन के नये तरीके नहीं अपनाते तब तक कम से कम पर्याप्त मूल्य की चाय बेचना कठिन है। हुआ यह है कि यूनिट मूल्य के कम हो जाने के कारण हमें निर्यात से चाय का कुल कम मूल्य मिलेगा। जहाँ तक बिक्री का प्रश्न है, उत्तरोत्तर कलकत्ता में अधिक निलामी की जा रही है, कम से कम 50 प्रतिशत नीलामी कलकत्ता में की जाती है। जहां तक पैकिटों में बन्द चाय अथवा तुरन्त तैयार की जाने वाली चाय का प्रश्न है, इस क्षेत्र में केवल टाटा फिनले ने ही प्रवेश किया है। इसे धक्का लगा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह पुनः बाजार में आ रही है। हम विचार कर रहें हैं कि क्या सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समर्थित कोई संगठन बड़े पैमाने पर इस बाजार में प्रवेश कर सकता है। ट्रेड मार्क के महत्व के बारे में 50 प्रतिशत से अधिक चाय व्यापार पर स्टर्लिंग कम्पनियों का अधिकार है और उनके पास बागान भी अच्छे हैं। लेकिन मैं भारतीय चाय बागान मालिकों की तुलना में स्थिति नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यूनिट मूल्य में कमी का निर्यात की जाने वाली प्रत्येक चाय पर प्रभाव पड़ा है।

श्री रा० बरूआ : पहले ब्रिटेन भारत में चाय के उत्पादन में रुचि रखता था। अब उसने अफ्रीका में चाय उत्पादन में रुची लेना प्रारम्भ कर दिया है और इसलिए हम ब्रिटेन के परम्परागत बाजार को खो रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि हम चाय का निर्यात परम्परागत बाजारों को ही क्यों कर रहे हैं तथा लैटिन अमरीकी देशों को भारतीय चाय का निर्यात करने के लिए, जहां पेय के रुप में चाय की रुची बढ़ रही है, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हम निर्यात केवल परम्परागत बाजारों और उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रख रहें हैं। हम नये रूप में नये देशों को चाय का निर्यात करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विभिन्न देशों में भारतीय चायघर अथवा भारतीय चाय केन्द्र खोलने पर चाय बोर्ड द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ? विदेशों में, जहां पर सामान्य उपभोक्ता बाजार से भारतीय चाय के रूप में भारतीय चाय नहीं खरीद सकता है, ये चाय केन्द्र खोलने और वहाँ काम करने के लिए फैशनपरस्त नवयुवतियां भेजने पर धन खर्च करने में क्या तुक है ? मैं आशा करता हूँ कि चाय बोर्ड द्वारा खोले गये चायघरों और चाय-केन्द्रों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए केवल शुद्ध भारतीय चाय ही प्रयोग की जाती है।

श्री ब० रा० भगत : चाय बोर्ड महत्वपूर्ण केन्द्रों में पांच कार्यालय चला रहा है। बोर्ड का चाय प्रवर्तन बजट 1.13 करोड़ रुपये है।

यह सच है कि चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना है परन्तु माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें चाय को लोकप्रिय बनाने के स्थान पर चाय बेचनी चाहिये। मैं कह चुका हूँ कि कुछ देशों के चाय पैकिटों में बन्द करने के एकाधिकार प्राप्त अपने राष्ट्रीय संगठन हैं और हम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि उन देशों में

पैकिटों में बन्द भारतीय चाय उपलब्ध नहीं है, यह सच है कि भारतीय चाय पैकिटों में हर जगह न मिलती हो परन्तु ब्रुक बाण्ड और अन्य कम्पनियां भारतीय चाय बेचती हैं।

Sdri Tulsidas Jadhav : So it is one of the reasons for the decline in the consumers demand in foreign countries for Indian Tea that the actual supplies made by the companies do not conform to the samples sent by them earlier ? How many such instances have come to the notice of Government during the last five years and have those been enquired into ?

Shri B. R. Bhagat : We have received no such complaint

Shri Hukam Chand Kachwai : 50 percent of tea gardens in our country are in the hands of foreign companies and their sale is much higher as compared to that of Indian companies. Is it not a fact that you do not spend sufficient sums on advesrtisements and propagation like the foreign companies ; if so, will you step up your publicity ? What is the amount being spent on publicity and how much it is proposed to be increased to step up sale of our tea.

Shri B. R. Bhagat : As I have already said, the promotional work in abroad is done by the Tea Board. We should not lose sight of one thing that tea faces competition from coffee and other beverages. Therefore it is necessory to increase the number of persons taking tea. Genuine tea drinking promotion is vital. Private compunies do not issue advertisement etc. separately. If more funds are available more publicity can be done.

श्री रा०ढो० भण्डोर : यह सच है कि चाय के क्षेत्र में काफी प्रतियोगिता है और फिर भी विदेशों में भारतीय हितों की रक्षा नहीं की जाती है ; भारतीय चाय को लोकप्रिय नहीं बनाया जाता है। कोई प्रभावशाली प्रचार नहीं हो रहा है क्योंकि चाय बोर्ड भारतीय चाय अथवा भारत के हितों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या भारतीय हितों की रक्षा के लिये चाय बोर्ड का पुनर्गठन किया जायगा ताकि भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाया जा सके और विदेशों में अधिक प्रभावशाली प्रचार हो ?

श्री ब० रा० भगत : प्रचार की कमी के लिये चाय बोर्ड का गठन उत्तरदायी नहीं है। बात केवल इतनी है कि इसे अधिक प्रभावशाली बनाना है और प्रत्येक स्तर पर इसका मूल्यांकन करना होगा कि क्या किया गया प्रचार पर्याप्त है और क्या अधिक धन की आवश्यकता है। हमें बजट के साधनों के अन्दर काम करना होता है। मैं उनसे अवश्य कहूंगा कि प्रचार को अधिक प्रभावशाली बनायें।

श्री फ० गो० सेन : यह सर्व विदित है कि दार्जिलिंग की चाय सर्वोत्तम है। हाल में समाचार पत्रों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल सरकार चाय बागानों की 2 लाख एकड़ भूमि ले रही है। इससे दार्जिलिंग चाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह समाचार देखा है, परन्तु मैं इस समय नहीं कह सकता कि इससे दार्जिलिंग चाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

Official work in Hindi in Indian Missions Question

*1415. **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the names of those Indian Missions in foreign countries which conduct official work in Hindi ;

(b) whether Government propose to start official work in Hindi in those Missions also where official work is not done in Hindi so far ;

(c) whether Government propose to teach Hindi to such officers and employees in the Indian Embassies as had not attained the age of 45 years on the 1st January 1961 ; and

(d) if so, when ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : अधिकांश मिशनों में अब हिन्दी में अपेक्षाकृत सरल पत्राचार करना तो सम्भव हो गया हैं, लेकिन भारतीय मिशनों में सरकारी काम काज हिन्दी में करना तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि ऐसे कर्मचारी बहुत बड़ी मात्रा में सुलभ नहीं हो जाते, जो कि अपनी बात हिन्दी में आसानी से और ठीक-ठीक लिख सकते हों ।

(ग) और (घ) : जहां कहीं सम्भव होता है, मिशनों में हिंदी की कक्षाएं चलाने का प्रबंध किया जाता है,और कर्मचारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम से भी फायदा उठाएं हिंदी शिक्षण चूंकि ऐसा काम है जो बराबर चल रहा है, इसलिए कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Speaker, may I know from the Hon. Minister whether lhe credentials are presented in Hindi or English by our ambassadors to other countries ?

Shri Surendra Pal Singh : The credentials are in Hindi.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Speaker, may I know from the Hon. Minister whether correspondence with countries with official language other than English such as Germany, France, Russia or South American countries is carried in Hindi, if not, the reasons there for when English is not their official language ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, the countries which have not adopted English, have a language of their own and we generally correspond with them in English since Hindi is not used there while some people do know English.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether our ambassadors, diplomatic representatives and the Prime Minister, Deputy Prime Minister and other ministers speak our own language like diplomatic satff of other missions during their visits abroad, or speak in a foreign language ? What is the language used by them while speaking to the Indians there ?

Secondly, may I know whether knowledge of Hindi is also essential for the staff to be posted abroad together with the proficiency in English ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : As regards the selection through the U. P. S. C. the House is well aware of the position. We are giving all facilities in our minissins to the staff to learn Hindi so that more and more people may learn Hindi. We are also making attempts to carry such correspondence in Hindi, which is done in languages other than English and if necessory we may send a translation.

As regards the language spoken by our Prime Minister and other Ministers during their foreign tours they speak in the language as the occasion demands. If they are to address Indian citizens, majority of whom belong to Hindi speaking areas, they speak in Hindi but if they are not from Hindi speaking areas English is the choice, so that they may follow it.

So far as talking to people of those countries is concerned, if their language is different, the language depends on the translation facility available there.

श्री एस. कंडघन : श्रीमान्, भारत सरकार की जैसी मध्यम दर्जे की सरकार से भी इस प्रकार की कार्यवाही की हम आशा नहीं करते। यह बहुत दुःख की बात है कि हिन्दी को वहां पर लादा जा रहा है जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि दूतावासों को निदेश जारी करने का क्या प्रयोजन और मंशा है कि वे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में तथा इन देशों में अपने जन सम्पर्क कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते जायें और सरकार द्वारा जारी किये इस अनुदेश का भी क्या प्रयोजन है कि वे सरकारी समारोहों के अवसर पर एक विशिष्ट वेशभूषा पहनें। क्या सरकार का विचार विदेशों में यह तस्वीर रखने का है कि भारत में हिन्दी ही एक भाषा है और भारतीय संस्कृति का हिन्दी ही प्रतिनिधित्व करती है ? यदि यह मंशा है तो हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं और हमारे जैसे बहुभाषा-भाषी देश के लिये बहुत अनुचित है। हिन्दी के बिना ही देश में बहुत सी समस्याएं है, हमें उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। मेरे विचार में सरकार लोगों का ध्यान हटाने और अपनी राजनयिक गड़बड़ों को छिपाने के हेतु लोगों की आंखों में मिट्टी डालने के लिये ऐसा कर रही है। इस प्रकार अपने साधनों को व्यर्थ गंवाने और इस देश में अहिन्दी भाषी लोगों में यह भावना उत्पन्न करने की अपेक्षा विदेशों में उनकी संस्कृति का सही चित्रण नहीं किया जा रहा है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूतावास वही काम करें जिसके लिये वे बनाये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें और कोई विवाद नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए और इसलिये हमारे द्वारा हिन्दी लादने का कोई प्रश्न नहीं है। स्पष्ट है कि यदि यह विश्व को यह बताने का प्रश्न है कि हमारी काम करने की भाषा क्या है, तो हम कार्यकारी भाषा के रूप में हिन्दी को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि उन्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हिन्दी लाद रहे हैं।

श्री एस. कंडघन : वे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी विदेशी बना रहे हैं। दिल्ली में स्थित दूतावास, राजदूत और अन्य राजनयिक प्रतिनिधि—रूसी हों चाहे अमरीकी, भारतीय भाषा लिखने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत आप विदेशों में हमारे दूतावासों में उनकी भाषाओं—जर्मन अथवा फ्रेंच—सीखने के स्थान पर अपनी भाषा लाद रहे हैं। आप विदेशों में बंगाली, तमिल आदि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले भारतीयों को डरा कर भगाना चाहते हैं।

Seri D. N. Tiwary : Mr. Speaker, Sir, after the passing of Official Languages Act it was the general impression that Hindi had become the official language and that English would continue to be used till the people of non-Hindi speaking areas achieved proficiency in Hindi. May I know whether instructions were issued to our embassies that Hindi should also be used together with English ?

Secondly the foreign dignitaries visiting our country speak in their own language Chinese, Russian or whatever it may be—althrough they might be knowing English and only English translation of their speeches is provided. Similarly, will our people also speak in Hindi and English translation will be provided ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, we are persuing rightly the Governments policy, there is no deviation from it.

As regards the language to be used by Ministers while abroad, I have already stated that we have to act accourding to the translation facilities available there. Hindi is to come gradually, there is no question of imposing it.

श्री दा० ना० तिवारी : मैंने पूछा था कि क्या अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी प्रयोग करने के लिये हमारे दूतावासों को अनुदेश दिये गये हैं ।

Shri Dinesh Singh : It is already there in the main answer.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों में हमारे मिशनों में काम करने वाले अधिकाँश भारतीय राजनयिक और कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते हैं, हिन्दी के प्रयोग पर सरकार द्वारा जोर दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि अंग्रेजी इस संसद द्वारा स्वीकृत सम्पर्क भाषाओं में से है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर समझ लेते, तो उन्हें यह सन्देह न होते ।

Shri Mrityunjya Prasad : Do you communicate in their own language in such countries which do not have English as their mother tongue or there also you use English ?

Shri Dinesh Singh : If necessary we correspond in their language.

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं यह मानता हूँ कि सरकार हिन्दी को प्रोत्साहन देती है, यद्यपि अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण कुछ उपेक्षापूर्ण है जो ठीक नहीं है । किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार विदेशों में दूतावासों में हिन्दी को प्रोत्साहन कैसे दे रही है । चूंकि विदेशों में स्थित दूतावासों में अधिकांश कर्मचारी अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के हैं, अतः क्या वहां पर हिन्दी के प्रयोग से अहिन्दी भाषाभाषी राज्यों के कर्मचारियों के लिये कठिनाई नहीं होगी ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक क्षेत्र में हिन्दी भाषा के प्रयोग से भारत अपना प्रतिधित्व उचित ढंग से कर सकेगा ?

श्री दिनेश सिंह : अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा । किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हिन्दी लादने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा । मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

Shri Arjun Singh Bhadauria : In how many occasions or functions our Ministers or Prime Minister had used the language other than English in foreign countries after the independence ?

Shri Dinesh Singh : I can not say definitely because no record has been maintained.

Shri Arjun Singh Bhadauria : If the information is readily not available, it may be placed on the Table of the House after it is collected.

Shri Dinesh Singh : I have already stated that no such record has been maintaind. I have said that during her visit the Prime Minister delivered her speech both in Hindi and English in those countries where Hindi speaking people live ?

डा० एस० संतोषम : यह सर्व विदित है कि विदेशों में—श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया तथा अफ्रीका आदि देशों में रहने वाले भारतीयों में से आधे से अधिक भारतीय तमिल भाषी हैं । अतः उन देशों में स्थित दूतावासों में हिन्दी के साथ साथ तमिल को भी प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री दिनेश सिंह : जिन देशों में तमिल भाषी भारत मूलक लोग अधिक संख्या में हैं वहीं पर दूतावासों में हम तमिल भाषा जानने वाला अधिकारी नियुक्त करने का प्रयत्न करते हैं ।

Shri M. L. Sondhi : May I know whether Government propose to start correspondence in Hindi with Since spain the Ambassader of Spain had presented his crendenlials in Hindi ?

Shri Dinesh Singh : The Ministery of External sent the replies in English to the letters received in English. We are trying our best to send replies in Hindi of the letters of those countries which use their own language.

Shri Sarjoo Pandey : Inspite of the fact that Hindi has been accepted the official language, Hindi is not used in the offices in the country as well as in Indian missions abroad. May I know whether Government propese to take some specific steps in this regard ?

Shri Dinesh Singh : This question has already been answered ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Russia's Stand on Kashmir

***1414 Shri J. B. Singh :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri Shri Gopal Saboo :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the attitude of Russia in regard to Kashmir is even today the same as it was during the time of Mr. Khrushchev ;

(b) if not, the extent to which it has changed ;

(c) the details of the talks held with Russian leaders by Government in regard to Kashmir during the last one year ; and

(d) whether Russia still regards Kashmir as an integral part of India ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh). (a), to (d).—The Soviet Union had declared in 1955 that the State of Jammu and Kashmir is one of the States of the Republic of India. Soviet Government have repeatedly assured us that there has been no change in their position on Kashmir.

Gajendragadkar Commission's Report on Development of Kashmir

***1416 Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5021 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the amount given by the Central Government in regard to the annual plan of Jammu and Kashmir State for the year 1968-69 ;

(b) the names of other States whose annual Plans would be fully financed by the Central Government ; and

(c) if the annual Plan of no other State has been fully financed by the Centre, the reasons for financing fully the annual Plan of Jammu and Kashmir State ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Rs. 21. 70 crores.

(b) Assam, Nagaland and Rajasthan.

(c) Does not arise.

Military Preparation By Pak.

***1417 Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether some fresh information has been received concerning Pakistan's military preparations ;

(b) whether it is a fact that Pakistan has further accelerated her military preparations on the borders of India ; and

(c) if so, the efforts being made by India to face the situation ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) :—No fresh information has been received in the recent past suggesting augmentation of Pakistan's military preparedness, nor has any significant change been noticed in the pattern of Pakistani military activity across our borders.

(c) Does not arise.

Arms Recovered From Nagas

***1418 Shri Kanwar Lal Gupta :** will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the nature of arms recovered from the hostile Nagas during the last two years and also the countries where these arms were manufactured ;

(b) whether Government have enquired as to how the hostile Nagas had acquired these arms ; and

(c) if so, the result thereof and the action taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) :—The arms captured from the underground Nagas during the last two years by our Security Forces include mortars, rocket launchers, light machine guns, sub machine guns, automatic rifles and pistols of chinese manufacture. The captured weapons also include some of the types used by the Allied Forces and the Japanese during the World War II. A considerable quantity of these weapons had been dumped by the Allies and the Japanese Forces in this region during the War. Some of these weapons had fallen into the hands of the Nagas. Such weapons could also have been obtained by the underground Nagas from Pakistan. The Chinese arms were brought into Nagaland by the underground Nagas who had been to China for training.

(c) Government have lodged a protest with the Peoples Republic of China, strongly condemning the supply of arms and equipment to the underground Nagas. Steps have also been taken by the Security Forces and the State Government of Nagaland to search and confiscate unlicenced and unauthorised weapons.

Atomic Power Fertilizers Factory

***1419. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Study Report of the Oak Ridge National Laboratory of the Atomic Power Commission of America according to which cheap nitrogenous fertilizer is produced from atomic power ; and

(b) if so, the reasons for not proposing to set up Atomic power Fertilizer factory in India in the Fourth Plan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. In fact scientists from India had participated in the study conducted by the Oak Ridge National Laboratory, U. S. A.

(b) To follow up this study with particular reference to Indian conditions, the Atomic Energy Commission set up a Working Group towards the end of 1967. The Working Group has submitted a preliminary report which is under examination. The Working Group is now engaged in detailed study.

पूर्वी पाकिस्तान में रविन्द्रनाथ टैगोर के स्मृति चिन्ह

1420 श्री समर गुह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 4 दिसम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3199 और 3288 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ढाका के दैनिक समाचारपत्र 'संवाद' में प्रकाशिक उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात का विवरण दिया गया था कि कचारीबाड़ी स्थित रवीन्द्रनाथ के गृह में उनके अध्ययन कक्ष का किस प्रकार शौचालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा टैगोर द्वारा प्रयोग की जाने वाली कला कृतियों तथा अन्य मूल्यवान

वस्तुओं को किस प्रकार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है ; उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तथा उन्हें खराब किया जा रहा है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने प्रकाशित इस समाचार का कोई खंडन किया है ;

(ग) क्या भारतीय उप-उच्चायुक्त कभी यह देखने के लिए शाहजादपुर गये थे कि क्या टैगोर की कचारीबाड़ी की देखरेख उचित ढंग से की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उप-उच्चायुक्त से कहेगी कि वे कचारीबाड़ी तथा सिलाईडाह जायें और इन गृहों के बारे में सभा के सामने रखने के लिये सरकार को अधिकाधिक रिपोर्ट दें ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री : श्री सुरेन्द्रपालसिंह (क) और (ख) : यह प्रश्न पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था जिसने यह बताया कि यह खबर झूठी है।

(ग) ढाका स्थित भारती उप हाई कमीशन के दो अधिकारियों ने कचारीबाड़ी का दौरा किया और उन्होंने यह बताया कि इसके किसी भी कमरे का प्रयोग शौचालय के रूप में नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

+**1421 श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये एक निगम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे किस रूप में और कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) आगामी दो वर्षों में निगम के प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या निगम का विचार पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने ने लिये संकट-ग्रस्त मिलों को वित्त प्रदान करने का है ; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) से (ङ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम 10 करोड़ रु० की प्राधिकृत पूंजी से 1 अप्रेल, 1968 को पंजीकृत हुआ था । परन्तु निगम के लिये प्रारम्भ में 1968-69 के बजट में केवल एक करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई थी । 1969-70 के बजट में निगम के लिये 4 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई है । निगम को इस में से 50 प्रतिशत धनराशि साधारण शेयर पूंजी के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में दी जायेगी । प्रारम्भ में निगम अपने कार्य को ऐसी संकट ग्रस्त मिलों, जो कि सरकार द्वारा प्रबन्ध के लिये इसे सौंपी जायें, के नवीनीकरण तथा पुन:

स्थापन तक सीमित रखेगा । केवल उन मिलों को अपने अधिकार में लिया जायेगा जो कि पूंजी व्यवस्था का समुचित पुनः निरूपण, श्रम का युक्तियुक्तकरण आदि करके, विकास-क्षेत्र बनाने योग्य होंगी । वर्ष 1969-70 में निगम द्वारा 7 से 8 मिलों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव है। 1970-71 का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है।

पोलैंड से यूरिया और गंधक का आयात

+1422. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया और गंधक के आयात के लिये भारत और पोलैंड के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक का कितना आयात किया जायेगा और उसका मूल्य कितना होगा ; और

(ग) यूरिया और गंधक का किस मुख्य प्रयोजन के लिये आयात किया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. द्वारा दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें एक यूरिया के आयात के लिये तथा दूसरा गंधक के आयात के लिये है ।

(ख) प्रत्येक वस्तु की लगभग 1, 00,000 मी0 टन मात्रा खरीदी गई है और इन क्रमों का कुल मूल्य लगभग 10 करोड रु० होने की सम्भावना है ।

(ग) गंधक के तेजाब, उर्वरकों, रेयन, कीटाणुनाशकों, कागज तथा चीनी आदि विविध उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले आधारभूत कच्चे मालों में गंधक भी एक है ।

यूरिया, एक नाइट्रोजनमय उर्वरक है जिसका आवश्यकता कृषि में प्रयोग करने के लिए होती है ।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिये प्रयोग किये जाने वाले आयातित कच्चे माल का देश में उत्पादन

***1423. श्री बलराज मधोक :**
श्री वैणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा कार्यों के लिए इस समय आयात किये जा रहे कच्चे माल के स्थान पर देश में उत्पादित कच्चे माल का प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आयात किये जाने वाले माल के स्थान पर पूरी तरह देश में उत्पादित माल का प्रयोग कब तक होने लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल. ना. मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय वैधशालाएं और संस्थाएँ तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग कच्चे माल का प्रतिस्थापन ढूंढने के काम में लगे हुए हैं ।

2. अब तक किये गये प्रयत्नों के फलस्वरुप, गोला बारुद में प्रयोग होने वाले प्रगोदक, विस्फोटक तथा गैर-विस्फोटक पदार्थ/रसायनों,विशेषिकृत प्रयोग और कपड़ों आदि में प्रयोग के लिये नये तथा विशेष इस्पातों/स्थित इस्पातों, अर्थ-कन्डम्य सामान, पेन्ट, वार्निश, फ्यूल ड्रग्स, डाइज़ और चिकने तेलों का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है ।

3. आपात स्थानापन्न के विकास का कार्य निरन्तर चलते रहने वाला कार्य है । सशस्त्र सेनाओं में आधुनिकीकरण के कारण और अधिक जटिल तथा नये हथियारों तथा उपकरणों को सेना को दिये जाने के कारण आपत्ति का स्थानापन्न ढूढने का कार्य साथ साथ चलता रहेगा विशेषकर उन मामलों में जहां आपातित तकनीकी जानकारी से यहां का स्वदेश में ही उत्पादन किया जाता है । अतः इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

गोरखपुर में प्रतिरक्षा कॉलेज

*1424. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखनुर में एक प्रतिरक्षा कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इटली का व्यापार प्रतिनिधि मंडल

+1425. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री बाल्मीकी चौधरी** :
श्री ए० श्रीधरन : **श्री अदिचन** :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली के व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ह ल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के किसी प्रतिनिधि के साथ बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : **(क) और (ख)** : इटली के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों के बीच व्यापार के अधिक आदान-प्रदान की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये मार्च, 1969 में भारत आया था ।

(ग) और (घ) : भारत सरकार तथा आए हुए इटली के व्यापार प्रतिनिधि मडल के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न व्यापारिक तथा आर्थिक मामलों पर विचारों तथा जानकारी का आदान-प्रदान हुआ । इनमें मुख्यत: विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति: इटली के संपर्कों द्वारा किये जाने वाले उधार के सम्बन्ध में भारत को माल भेजने वाले इटली के निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयां, इटली को भारत के निर्यात में वृद्धि करने की आवष्यकता तथा वे क्षेत्र जिनमें इटली को भारत के निर्यात बढ़ाने की सम्भाव्यताएं थीं, जैसे विषय शामिल थे ।

राज्य व्यापार निगम की बम्बई शाखा का कार्यालय

+ **1426. श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने किराये की इमारत में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए बम्बई में एक भू-स्वामी से 10 वर्ष के लिए 32 लाख रुपये के किराये पर एक स्थान लेने के लिए करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह करार महाराष्ट्र में किराया अधिनियम का उल्लंघन है;

(ग) क्या सरकार के लिए अपने भवन का निर्माण करना सम्भव नहीं था;

(घ) इस करार का ब्यौरा क्या है और किराये की इमारत में कार्यालय रखसे के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : **(क)** राज्य व्यापार निगम ने अपना कार्यालय स्थापित करने के लिये 1-7-1968 से 10 वर्ष के लिये 35.79 लाख रु० के कुल किराये पर बम्बई में कार्यालय स्थान किराये पर लिया है ।

(ख) निगम के सालिसिटरों ने, जिनकी सलाह से किराया करार मसौदा तैयार किया गया है, किराया नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के बारे में ध्यान नहीं दिलाया है ।

(ग) निगम के प्रयोग के लिये इमारतें बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है । बम्बई में जमीन की बहुत ऊंची लागत है तथा राज्य व्यापार निगम को थोड़े से फर्श क्षेत्र की आवश्यकता है, अतः निगम के लिये अपनी इमारत बनाना लाभप्रद नहीं होता ।

(घ) 1-7-1968 से 10 वर्षों की अवधि के लिये 15,294 वर्ग फुट का फर्स क्षेत्र किराये पर लिया है जिसका कुल किराया 35.79 लाख रु० है । सौदे के ब्यौरे के सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है । इस स्थान को लेने से पूर्व निगम का बम्बई कार्यालय दो विभिन्न इमारतों में था, जिसके परिणाम स्वरूप काफी कठिनाई होती थी । कार्यालन को कुशलतापूर्वक चलाने की दृष्टि से इसको एक भवन में रखना आवश्यक था ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आप्रवासन के बारे में सत्रह राष्ट्रों की समिति

+**1427 श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 और 11 जनवरी, 1969 को हुए राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा बनाई गई आप्रवासन सम्बन्धी सत्रह राष्ट्रों की समिति की बैठक में ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि "पूर्व अफ्रीका से एशियाई आप्रवासियों का अत्यधिक संख्या में अचानक आ जाने का अर्थ अन्य राष्ट्रमंडलीय क्षेत्रों से आप्रवासियों की संस्था में कटोती करना होगा" ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की बैठक में इस मामले पर भारतीय प्रतिनिधि ने क्या दृष्टिकोण अपनाया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नागरिकता तथा प्रवास समिति की कार्यवाहियां गोपनीय हैं, अतः इस बातचीत का विवरण देना सम्भव नहीं हो सकेगा । परन्तु सम्मेलन के अन्त में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें इस समस्या का उल्लेख किना गया है ।

(ख) पूर्वी अफ्रीकी देशों के एशियाई लोगों के सम्बन्ध में, जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं, हमारे विचार सर्वविदित हैं । हमने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि ब्रिटेन को एशिया के मूल नागरिकों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उटानी चाहिए ।

भारतीय राजनयिकों को उनकी नियुक्ति वाले देश की भाषा में बातचीत करना

***1428 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्पेन के राजदूत ने अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करते हुए हिन्दी में भाषण दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे राजदूतों में से कितने राजदूत उस देश की भाषा जानते हैं जिसमें वे नियुक्त किये जाते हैं/गये हैं और उनमें से कितने राजदूत उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी 962/69**], जिसमें हमारे मिशन प्रमुखों के नाम, उनके वर्तमान पदनाम, जो भाषाएं वे जानते हैं और जिन देशों में उन्होंने काम किया, उनके नाम दिए गये हैं। इस विवरण में केवल भारतीय विदेश सेवा के मिशन प्रमुखों के नाम हैं, चूंकि भारतीय विदेश सेवा इतर मिशन प्रमुखों की नियुक्ति सामान्य रूप से जनवर्ग से की जाती है, अतः इस प्रकार की नियुक्तियों में विदेशी भाषाओं के ज्ञान का सुनिश्चय करना हमेशा सम्भव नहीं होता।

बर्मा में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रजनों की स्वदेव वापसी

***1429. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आर्थिक अपराधों' के लिये बर्मा सरकार द्वारा निरुद्ध किये गये भारतीय राष्ट्रजनों को रिहा कराने तथा स्वदेश लौटाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध न्यायाधिकरण में मुकद्दमा चल रहा है और यदि हां, तो इन व्यक्तियों के मुकद्दमों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निरुद्ध किये गये कुछ बूढ़े व्यक्ति बर्मा की जेलों में असहाय कष्ट सहन कर रहे हैं और उनको चिकित्सा की पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो शीघ्र उन पर अभियोगों का फैसला कराने तथा उनको स्वदेश वापस लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या प्रधान मंत्री की हाल की रंगून यात्रा के समय इस विषय पर बातचीत की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख), (घ) और (ङ) : बर्मा की सरकार ने कथित अर्थ-सम्बन्धी अपराधों के लिए जिन भारतीय राष्ट्रिकों को रोक रखा है, उनका प्रश्न अभी हाल ही में प्रधान मंत्री की बर्मा यात्रा के समय बर्मा के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था और उस समय बर्मा के प्राधिकारियों को इन कथित अपराधियों पर मुकद्दमा न चलाने के प्रति हमारी चिंता से अवगत करा दिया गया था तथा वे शेष मामलों में जल्दी कराने पर सहमत हो गये थे। अब हमें यह बताया गया है कि अर्थ संबंधी अपराधों के लिए जो 12 व्यक्ति पकड़े गए थे उनमें से 5 पर मुकद्दमा चलाया गया है और 7 पर अभी मुकद्दमा चलाया जाना है। जिन 5पर मुकद्दमा चलाया गया है उनमें से एक को निर्दोष करार दे दिया गया है और एक को कैद की सजा दी गई है।

(ग) यह तो सच है कि इन भारतीय बंदियों में कुछ अधिक उम्र के लोग हैं लेकिन सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि उन्हें चिकित्सा सुविधाएं देने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यूरोपीय सांझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश

+1430. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय सांझा बाजार के देशों तथा उनसे सम्बद्ध राज्य क्षेत्रों को अपना निर्यात बढ़ाने और निर्यात संबंधी हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं ;

(ख) क्या अपने हितों का पहले ध्यान रखने की योरोपीय सांझा बाजार की नीति और योरोप की सांझा मंडी में ब्रिटेन को प्रविष्ट करने की चाल का सरकार को पता है ; और

(ग) ब्रिटेन के सांझा बाजार में शामिल होने पर ब्रिटेन में अपने निर्यात सम्बन्धी हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार ने यूरोपीय सांझा बाजार के देशों तथा उनसे सम्बद्ध राज्य क्षेत्रों को हमारे निर्यातों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) प्रत्येक देश के साथ व्यापार करार करना ।

(2) इन देशों में आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा भारतीय उत्पादों के वैविध्य तथा गुण प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार का आयोजन ।

(3) भारतीय उत्पादों की विपणन क्षमता का अध्ययन करने तथा व्यवसाय संविदाएं करने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमण्डल तथा बिक्री दल भेजना ।

(4) बाजार सर्वेक्षण करना ।

(5) इन देशों के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल/क्रेता दलों को भारत आने के लिए आमंत्रित करना ।

(6) विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा भारतीय उत्पादों का प्रचार ।

(7) भारत सरकार के वाणिज्यिक मिशनों की स्थापना ।

(8) निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों के साथ-साथ गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेश कार्यालय खोलना ।

(9) भारत के निर्यात अभिमुख क्षेत्रों के अधिकारियों का व्यापार संवर्धन के विषय में प्रशिक्षण ।

India's Foreign Trade during Third Five Year Plan

***1431. Shri Molahu Prashad ;** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Third Five Year Plan stress was laid on increasing our exports in foreign trade ;

(b) the names of the countries with which agreements for unilateral transactions and bilateral transactions for our foreign trade were concluded during the Third Five Year Plan ;

(c) India's balance of trade during the Third Five Year Plan ; and

(d) the basis on which action is proposed to be taken for stabilising our export trade during the Fourth Plan ?

The Deputy Minister in the Ministery of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Two statements giving (1) the names of the countries with which trade agreements were concluded and (2) information about the balance of Payments are placed on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT—963/69)**

(d) The Draft Fourth Five Year Plan for 1969-74 which has been laid on the Table of the Parliament on April 21, 1969 contains the various policy measures necessary not merely to stabilise but also to increase the level of exports from the country during the Fourth Plan period.

कच्छ के रन के सीमांकन कार्य में प्रगति

***1432. श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ के रन के सीमांकन कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सीमाँकन कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) खम्बे गाढ़ने के काम को अन्तिम रूप देने के लिए सर्वेक्षकों की बैठक कब होगी ; और

(घ) कच्छ के रन के सीमांकन कार्य में भारत को कुल कितना धन व्यय करना पड़ेगा ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह : (क) से (ग) : 20 अप्रेल 1969 तक सीमा पर 270 मील की लम्बाई में खम्भे खड़े करने का काम पूर्ण हो चुका था । भारत और पाकिस्तान के सीमा निर्धारण दल के कार्यभारी अधिकारी अब उपखण्ड मान चित्र की तैयारी को अन्तिम रूप देने की व्यवस्था कर रहें हैं । उम्मीद की जाती है कि ये मानचित्र जून 1969 के अन्त तक तैयार हो जाएंगे ।

(घ) वर्ष 1968-69 के बजट में 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी और वर्ष 1969-70 में और 10 लाख रुपयों की व्यवस्था का प्रस्ताव है । चूंकि अभी तक सारी अदायगी नहीं की गयी और अभी भी कुछ पदों में काम होना बाकी है, अत: खच के अन्तिम आँकड़े कुछ समय बाद बताए जाएंगे ।

निर्यात वर्ष

+1433. **श्री रामचन्द्र जे० अमीन**
श्री द० रा० परमार
श्री प्र० नं० सोलंकी

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 का निर्यात वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन के सेनापति का भारत का दौरा

*1434. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के सेनापति जनरल सर जौफ्रे बेकर फरवरी 1969 के उत्तरार्ध में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : ब्रिटिश जनरल स्टाफ के मुख्य जनरल सर बेकर ने जो दूर पूर्व का दौरा कर रहे थे, सेनाध्यक्ष के आमन्त्रण पर भारत का भ्रमण करने के लिए, रास्ते में अपनी यात्रा भंग की थी । भ्रमण सद्भावना युक्त था और उससे विचारों के आदान प्रदान के लिए अवसर प्राप्त हुआ ।

अंगोला के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता

*1435. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 26 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 735 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला में स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए संगठनों को मान्यता देने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या स्वन्तत्रता सेनानियों को नियमित रूप से हथियारों तथा अन्य सामग्री जिसकी उनको आवश्यकता हो, की सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : अंगोला में पुर्तगाली उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता के संघर्षों के प्रति भारत सरकार को पूरी सहानुभूति है। किन शाखा में 'रिवोलुशनरी द एन ऐक्साइल' सरकार के अस्पताल में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले अंगोला घायलों और बीमारों के लिए दवाइयों और महरम पट्टी के रूप में सहायता दी है। सरकार ने अंगोला के विद्यार्थियों को भी शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में सुविधाएं प्रदान की है। उन्हें सैनिक साज-सामान नहीं दिया गया है। निर्वासित सरकार को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठाया गया है।

भारत ताइवान व्यापार

1436. श्री हरदयाल देवगुण : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार को दृष्टि में रखते हुए भारत और चीन गणतन्त्र (ताइवान) के बीच व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं; और

(ख) क्या व्यापार को बढ़ाने के लिये ताइवान शासन को सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने की सरकार की कोई योजना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) यद्यपि भारत सरकार ताइवान शासन को मान्यता नहीं देती, फिर भी भारत के निर्यातक, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं ताइवान में अपने प्रतिस्थानी व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ताइवान में जो भी निर्यात अवसर भारत की दृष्टि में आते हैं, उन का प्रचार निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के माध्यम से किया जाता है। भारत से निर्यात के लिए उपलब्ध अन्य सभी सुविधाएं ताइवान को किये जाने वाले निर्यातों पर भी लागू है।

(ख) जी नहीं।

उत्तर सौराष्ट्र तथा कच्छ के लिये परमाणु शक्ति सम्बन्धी वृहत योजना

1437. श्री मेघराजजी धांगधरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या जयपुर में हाल में आयोजित सर विश्वेश्वरैया व्याख्यान माला के दौरान अणु शक्ति आयोग के निर्देशक ने उत्तर सौराष्ट्र तथा कच्छ के लिये 600 करोड़ रुपये की एक वृहत योजना बनाने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या इस योजना में कोई परमाणु बिजली घर स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विश्वेश्वरैया व्याख्यात माला के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निर्देशक ने ऐसी कोई

विशेष सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने साधारण रूप से परमाणु बिजली पर आधारित कृषि उद्योग समूहों के उपयोग के बारे में बताया था तथा उन्होंने साथ ही एक ऐसे अध्ययन वर्ग के बारे में भी उल्लेख किया था जिसने उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में एक ऐसे ही कृषि-उद्योग समूह की स्थापना की सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) बड़े परमाणु बिजलीघरों के आस पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग ने सन् 1967 में एक कार्य-संचालन वर्ग की नियुक्ति की थी। इस वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है जो कि विचाराधीन है।

बी० ट्विल बोरों की खरीद

*1438. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स आलोक चन्द और रामनाथ गोयनका ने बी0 ट्विल बोरों के अपने स्टाक को 199 रुपये प्रति 100 बोरे की दर से बेचने का प्रस्ताव दिया है,

(ख) यदि हां, तो वे सरकार को कितने बोरे बेचने के लिए सहमत हुए हैं,

(ग) सरकारी तथा अर्ध सरकारी मांग की तुलना में इन बोरों का अनुपात क्या है,

(घ) क्या इस प्रस्ताव के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि राज्य व्यापार निगम/सरकार इन निर्माताओं को कच्चा पटसन देगी जो 40/50 रुपये प्रति मन की दर से आयात किया गया है जब कि बी0 ट्विल पर नियंत्रण लागू करते समय इसका मूल्य 70 रुपये या इससे अधिक था, और

(ङ) क्या इस प्रस्ताव की शर्त यह है कि सरकार को उनसे अनियंत्रित किस्म की पटसन से बने बोरे काफी बड़ी मात्रा में खरीदने पड़ेंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Chief Ministers' Conference Held in Delhi

*1439. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether a conference of the Chief Ministers of the States was recently held in Delhi ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) : The Prime Minister held an informal meeting with the Chief Ministers on 18th April for a general exchange of views regarding economic matters and the major issues connected with the Fourth Plan. The meeting was not expected to take any decisions.

कच्छ पंचाट के बारे में भारत पाकिस्तान की बैठक

*1440. **श्री रा० बरूआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री वि० नरसिंहा राव :**
श्री नि० रं० भास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ पंचाट के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या निर्णय किए गए ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : पंचाट लागू करने से संबंधित मामलों तथा इसकी व्याख्या के संबंध में उत्पन्न मत भेदों पर विचार-विमर्श हुए थे इन मामलों पर पारस्परिक संतोषजनक हल निकले थे ।

आसाम में चाय बागान

8105. श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में भारतीयों तथा विदेशियों के चाय बागानों की संख्या कितनी है कुल कितने एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जा रही है ; और वर्ष 1966-67 से लेकर प्रति वर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की चाय का उत्पादन होता है ;

(ख) वर्ष 1966-67 से लेकर प्रति वर्ष आसाम की कितनी चाय का निर्यात किया जाता है और अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की चाय हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि गिरते हुए मूल्यों, अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिक्री न होने, भारी कराधान तथा पौधों के पुन: रोपण में उपेक्षा के कारण आसाम में चाय बागान का उद्योग लगभग ठप्प होने वाले वाला है ;

(घ) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार का चाय बागान का नियंत्रण सम्भालने और नई पूंजी लगा कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा है और यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या है ; और

(ङ) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल. टी. 964/69**]

(ख) आसाम के चाय उत्पादन का लगभग 58.5 प्रतिशत निर्याय होता है । आसाम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) आसाम सरकार ने यह सुझाव दिया है कि बन्द चाय बागानों को अपने अधीन लेने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भांति एक निगम की स्थापना की जाये । इस पर विचार किया जा रहा है ।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

8106. श्री बाबू राव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें सेना से निकाल दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) एक अधिकारी के प्रशिक्षण पर औसतन सरकार ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष सेना में कितने शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को भर्ती किया गया ; और

(घ) क्या सरकार बेरोजगार अधिकारियों को काम पर लाने की योजना पर विचार करेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) (70 को छोड़ कर कि जिन्हें अनुशासनिक कारणों वश विमुक्त किया गया था, और 378 को छोड़कर कि जिन्हेंत्यागपत्र देने वालों और चयन न करने वालों के तौर पर विमुक्त किया गया) 31-3-1969 को 871। आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की विमुक्ती के कारण लोक सभा में 24-4-1968 को उत्तर दिए गए प्रश्न संख्या 8389 के भाग (ख) में दिए गए हैं।

(ख) सरकार द्वारा आपाती कमीशन प्राप्त अफसरं के प्रशिक्षण पर किया गया औसतन खर्च 4500 रुपये था।

(ग)	1966	——	603
	1967	——	755
	1968	——	1041

(घ) विमुक्त आयाती कमीशन प्राप्त अफसरों के पुनरावास की समस्या के प्रति सरकार पूर्णतः सजग है, और उसे सुलझाने के लिए उसने विभिन्न उपाय किए हैं। सदस्य महोदय का ध्यान लोक सभा में 27 नवम्बर, 1968 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2281 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में घटिया किस्म का तम्बाकू जमा होना

8107. श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष आंध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का घटिया किस्म का तम्बाकू जमा हो गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राजकीय व्यापार निगम इस तम्बाकू को अपने कब्जे में लेगा और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ;

(ग) क्या राजकीय व्यापार निगम का विचार इस तम्बाकू को स्पेन भेजकर इसके बदले में वहां से रसायन मंगाने का है और यदि हां, तो कौन कौन से रसायन मंगाये जायेंगे ; और

(घ) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का बढ़िया तथा घटिया किस्मों के तम्बाकू का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार पिछले वर्षों से लगभग 1 करोड़ किलोग्राम घटिया किस्मों का तम्बाकू जिसका मूल्य लगभग 1.8 करोड़ रु० है, जमा हो गया है। इसका कारण यह कि इन किस्मों के उत्पादन में ज़रूरत से ज्यादा वृद्धि हुई है और गत वर्ष उनकी विदेशों में कम बिक्री हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1968 के तम्बाकू और पिछली फसलों के माल के निर्यात के लिये 1.50 करोड़ रु० का एक वस्तु विनियम सौदा अनुमोदित किया गया है। जिन मदों का आयात किया जाना है वे अनुमेय किस्म के औषधीय मध्यवर्ती पदार्थ अथवा कृषि रसायनों के तकनीकी ग्रेड के पदार्थ होंगे।

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 965/69**]

रूस को माल डिब्बों का निर्यात

8108. श्री बाबू राव पटेल : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को 2000 माल डिब्बों की सप्लाई के लिये जो 1969 से आरम्भ होनी थी केन्द्रीय सरकार द्वारा रूस के साथ 1968 में एक संलेख पर हस्ताक्षर किये जाने पर भी अब तक एक भी माल डिब्बे का निर्यात नहीं किया गया और यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रूस ने हमारे द्वारा मांगे गये मूल्य पर माल डिब्बे खरीदने से इंकार कर दिया है हालांकि वे विशेष रूप से रूसी आवश्यकताओं के अनुसार बनाये गये थे ; और

(ग) यदि रूस खरीद के करार का पालन नहीं करता है तो हमें कितनी हानि होने की संभावना है।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने सोवियत संघ के वी/ओ मशीनों-इम्पोर्ट के साथ 13 मार्च, 1969 को एक संलेख पर हस्ताक्षर किये जिसमें भारत द्वारा सोवियत संघ को

रेल के डिब्बों की पूर्ति की व्यवस्था थी । चूंकि रेल डिब्बे सोवियत विशिष्टियों के अनुरूप बनाये जाते थे, अतः सभी सोवियत प्रलेखों का विस्तृत अध्ययन किया गया और राज्य व्यापार निगम ने तकनीकी मामलों पर करार के लिये, सम्बद्ध सोवियत संगठन के साथ और आगे बातचीत की । इस करार के आधार पर राज्य व्यापार निगम ने सितम्बर, 1968 में एक वाणिज्यिक प्रस्ताव रखा । तब से दोनों पक्षों के बीच इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होती जा रही । और वह अभी तक जारी है ।

पूंजीगत माल के आयात के लिये लाइसेंस देना

8109. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 1967 और 1968 में कुल कितने मूल्य के पूंजीगत और उपभोक्ता माल के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) पूंजीगत माल और उपभोक्ता माल के अनुपूरक आयात लाइसेंसों का मूल्य कितना था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात लाइसेंसों के आंकड़े राज्यवार अथवा क्षेत्रवार नहीं रखे जाते अपितु समग्रतः देश भर के लिये रखे जाते हैं ।

श्रीमती और डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण

8110. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा की पत्नी ने कोस्टा रिका में एक पुत्र को जन्म दिया है ;

(ख) क्या इससे श्रीमती और डा० धर्म तेजा कोस्टा रिका की नागरिकता पाने के हकदार हो जायेंगे ; और

(ग) प्रत्यर्पण की कार्यवाही के बारे में भारत सरकार की क्या स्थिति होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को यह मालूम हुआ है कि डा० तेजा की पत्नी के कोस्टा रिका मे एक बच्चा उत्पन्न हुआ है ।

(ख) और (ग) डा० तेजा और श्रीमती तेजा के प्रत्यर्पण से सम्बद्ध भारत सरकार का अनुरोध-पत्र कोस्टा रिका के सर्वोच्च न्यायालय में, उसका परामर्श प्राप्त करने के लिए, पेश है। इस कारण इस स्थिति में भारत सरकार के लिए अपना मत व्यक्त करना सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के लिये योजना में धन का नियतन

8111. श्री न० रा० देवधरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के योजना मंत्री के वक्तव्य के बारे में 31 मार्च, 1969 को "दि इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि योजना में धन का नियतन करते हुए उनके राज्य की उपेक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के योजना मन्त्री चाहते थे कि केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जाय।

(ख) केन्द्रीय सहायता की सारी राशि, राष्ट्रीय विकास परिषद् की मुख्य मंत्रियों की समिति में समस्त फारमुले के आधार पर वितरित की गई है। अत:, वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं कि पृथक पृथक राज्यों के आवंटन में वृद्धि की जाय।

भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता

8112. श्री न० रा० देवधरे :
श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता की स्थिति संतोषजनक नहीं है और सरकार इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन किये बिना इसे बड़ी मात्रा में अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं और इसके कार्य का मूल्यांकन किये बिना इसे अनुदान क्यों दिया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा फरवरी 1966 में नियुक्त भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति ने संस्थान के संगठन एवं कार्यविधि में सुधार के लिए कई एक सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों में से अधिकांश पर निर्णय कर लिये गये हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य के मूल्यांकन की समस्या की ब्यौरेवार समीक्षा की गई है और यह ज्ञात हुआ है कि मात्रामूलक मूल्यांकन संभव नहीं है। इसलिए जांच, नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वास्तविकव्यय के आधार पर अनुदान दिये गये हैं। सरकारी लेखासमिति ने भी अपने 59 वें प्रतिवेदन में कुछ टीकाटिप्पणियां तथा सिफारिशें की हैं जिसे 2-4-69 को संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन विचाराधीन है।

नौ इंजन का निर्माण

8113. श्री न० रा० देवधरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नौ इंजनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : **(क) और (ख)** : सरकार ने पश्चिनी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एन० से सहयोग के साथ 390 से27,600 एच० पी० तक के विभिन्न मेरीन डीज़ल इंजनों का निर्माण स्थापित करने के लिए 31-3-1967 को एक प्रायोजना की अनुमति दी थी। प्रायोजना की सरमाया लागत 363 लाख रुपये है। पूर्ण उत्पादन पर इंजनों की विभिन्न किस्मों के लिए संयत्र की दरवार क्षमता है उच्चशक्ति के (संख्या में) 6 इंजन, मध्यम इंजन (संख्या में) 60 और निम्न शक्ति के 100 इंजन। प्रायोजना इस समय उत्पादन प्रावस्था में है, फैक्टरी का मुख्य भवन अगले महीने में सम्पूर्ण हो जाना प्रत्याशित है। आयात मशीनें और साजसामान जुलाई-अगस्त 1969, में स्थापना के लिए प्राप्य हो जाना प्रत्याशित है। संयोजन कार्य आशा है अक्तूबर, 1969 में शुरू हो जाएगा, और पहला इंजन आशा है दिसम्बर, 1969 से पहले तैयार हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्म्ड फोर्सिस मेडिकल कॉलेज, पूना

8115. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, शिमला तथा गोआ स्थित मेडिकल कालेजों के सिविलियन प्रोफेसरों, रीडरों, लेक्चरारों को दिये जा रहे वेतनमानों और नान-प्रेक्टिस भत्तो की तुलना में आर्म्ड फोर्सिस मैडिकल कालेज, पूना के इन्हीं वर्गों के अधिकारियों को क्या वेतन-मान दिये जा रहे हैं तथा किस दर से नान-प्रेक्टिस भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) आर्म्ड फोर्सिस मैडिकल कालेज, पूना के सिविलियन अध्यापक वर्ग को दिये जाने वाले वेतन-मानों और नान-प्रेक्टिस भत्तो की दरों में अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आर्म्ड फोर्सिस मैडिकल कालेज, पूना सिविलियन अध्यापक वर्ग के साथ किये गये मेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिये उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रति रक्षामंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वेतन मान और प्रेक्टिस न करने के कारण भत्तो के दर इस प्रकार हैं:—

सशस्त्र सेनाओं का चिकित्सा कालेज पूना	मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज दिल्ली

प्राध्यापक

1100 रुपये-50-1100 तथा एन०पी०ए० वेतन का 25 प्रतिशत	1300 रुपये-60-1600-100-1800 तथा एन० पी० ए० का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकाधिक 600 रुपये

रीडर

570 रुपये-30-600-35-670 अर्हता कड़ी 35-950 तथा एन० पी० ए० वेतन का 25 प्रतिशत परन्तु अधिकाधिक 150 रुपये मासिक	600 रुपये-40-2000 अर्हता कड़ी-50-1300 तथा 100 विशेष वेतन के रूप में और एन० पी० ए० वेतन का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकाधिक 600 रुपये ।

लेक्चरार

लेक्चरार की श्रेणी विद्यमान नहीं है ।	600 रुपये-40-1000-अर्हता कड़ी-50-1300 तथा एन० पी० ए० वेतन का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकाधिक 600 रुपये ।

चिकित्सा कालेज शिमला और गोवा के शिक्षक कर्मचारिगण के सम्बन्ध में सूचना सहज प्राप्य नहीं है ।

(ख) और (ग) : जब सशस्त्र सेनाओं का चिकित्सा कालेज स्थापित किया गया था, यह फैसला किया गया था कि शिक्षकों के स्थानों के वेतन मान वही हों जो मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज दिल्ली के समतुल्य स्थानों के लिए हैं, क्योंकि दोनों संस्थानों में स्थानों के लिये योग्यताएं और अनुभव उस समय एक से थे । तदपि, जुलाई 1965 से मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज के शिक्षकों के स्थान, विस्तृत सेवा देयता इत्यादि सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल हैं, और यही सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा कालेज के स्थानों में तुलना में अन्तर का कारण है, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा कालेज के शिक्षक कर्मचारीगण के वेतन और प्रेक्टिस न करने के कारण भत्ते से संबंधित मामला साथ ही साथ मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज दिल्ली में दिए गए वेतन भतों का मामला भी विचाराधीन है ।

चौथी योजना में मशीनी औजारों का निर्यात

8116. डा० सुशीला नैयर : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मशीनी औजारों का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) मशीनी औजारों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) जहाज पर मूल्य के 20 प्रतिशत पर आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है।

(2) जहाज पर मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर नकद सहायता दी जाती है और यदि वर्ष 1969-70 की अवधि में किये गये निर्यात, 1967-68 में निर्यातों से 12½ प्रतिशत अधिक हों अथवा 1968-69 के निर्यातों से 5 प्रतिशत अधिक हों तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।

सूती कपड़े का उत्पादन

8117. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1967 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1968 में सूत तथा कपड़े के उत्पादन में क्रमश : 4.93 तथा 6.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) मांग को बढ़ावा देने तथा उद्योग के सुदृढ़ आधार प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्त्र आयुक्त के नेतृत्व में नियुक्त कार्यकारी दल के अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों को हिदायतें दी हैं कि वे बन्धकीकरण तथा बैंकों द्वारा गिरवी पर दिए गए अंग्रिम धन तथा अवधि-ऋणों पर मार्जिन को कम करे ताकि ऐसी वस्त्र मिलों को अतिरिक्त ऋण व्यवस्था प्राप्त हो सके जो इस प्रकार की सहयता के योग्य हैं।

(2) कपड़े की उच्च-मध्यम, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्मों की कतिपय मदों को विनियंत्रित किया गया है, नियंत्रित कपड़ा तैयार करने की बाध्यता को उत्पादन के 40 प्रतिशत से कम कर के 25 प्रतिशत कर दिया गया है, कोरी धोतियों तथा साड़ियों को छोड़कर नियंत्रित कपड़े के मूल्य में 2 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई है जिसे उत्पादन शुल्क में कमी करके प्रतिसंतुलित किया गया है। और मिलों को नियंत्रित कपड़ा तैयार करने की अपनी बाध्यता के स्थान पर प्रोत्साहन राशि देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है।

(3) हाथकरघा कपड़े की बिक्री पर तीन महीने की अवधि के लिए एक विशेष अतिरिक्त छूट दी गई।

(4) तामिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों को 50 लाख रु0 तथा 15 लाख रु० के ऋण मंजूर किए गए हैं जिन्हें वे शीर्ष सहकारी समितियों को पुन : ऋण के रूप में देंगी ताकि ये समितियां, मिलों को धागे के अपने फालतू स्टाक से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से धागे (तथा तामिलनाडु के सम्बन्ध में कपड़े) का स्टाक रख सकें।

(5) मार्जिन राशि के लिए सरकार की गारंटियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि लेकर दक्षिण भारत मिल स्वामी संघ तथा तामिलनाडु मिल स्वामी संघ द्वारा दक्षिण भारतीय मिलों के सूत के स्टाक जमा रखने की एक योजना मंजूर कर दी गई है।

(6) 1969-70 के बजट प्रस्तावों में सूती कपड़ा उद्योग को विकास छूट के प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है और सूती कपड़े तथा धागे पर उत्पादन शुल्क में भी कतिपय रियायतें घोषित की गई हैं।

गुजरात में नकली रेशम बुनाई कारखाने

8118. श्री रा० की अमीन : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गुजरात राज में नकली रेशम बुनाई कारखाने कठिनाइयों का सामना कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि कताई करने वालों द्वारा, जिन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया है, नकली रेशम के दाम बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उनकी दशा को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : गुजरात तथा देश के अन्य क्षेत्रों के कृत्रिम रेशम उद्योग ने कुछ कर्तकों को, जिन्होंने विस्कोज़ फिलेमेंट धागे के मूल्य बढ़ा दिये थे, एकाधिकार की प्रवृतियों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था। पहले से ही मानव निर्मित रेशा उद्योग के मूल्य ढाचे की जांच कर रहे टैरिफ आयोग को विस्कोज़ फिलेमेंट धागे के मूल्यों पर एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। टैरिफ आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन अभी ही प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ली गई कपड़ा मिलें

8119. श्री प० मु० सईद :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ली गई संकटग्रस्त तथा बन्द मिलों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसी संकटग्रस्त और बन्द मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस निगम ने उक्त अवधि में अपने नियंत्रणाधीन नहीं लिया तथा इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या इन मिलों में श्रमिकों को नियमित रूप से उनके वेतनों का भुगतान किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) न्यू मानेक-चौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, अहमदाबाद को सरकार ने फरवरी, 1969 में अपने नियंत्रणाधीन लिया था। इस मिल को चलाने के लिये गुजरात राज्य कपड़ा निगम को, जिसे अधिकृत नियंत्रक के रूप में नियत किया गया है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम संकटग्रस्त तथा बन्द सभी मिलो को अपने नियंत्रणाधीन नहीं ले सकता है, निगम सरकार के प्रबन्धाधीन उन्हीं मिलों को अपने नियंत्रणाधीन लेगा जो कि सीमित पूंजी से थोड़े से समय में फिर चलाई जा सकती हैं। तथापि मार्च, 1969 के अंत तक बन्द मिलों का नाम दर्शाने वाली एक सूची पटल पर रखी जाती हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी० 966/69**]। चूंकि ये मिलें बन्द पड़ी हैं अतः श्रमिकों को वेतन दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ?

Construction of Roads in Border States

8120. Shri J. B. Singh : **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Shardanand : **Shri Onkar Singh :**
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) The particulars of the roads constructed in the border States of Rajasthan, Jammu and Kashmir, N. E. F. A., Punjab and Nagaland during the last two years ;

(b) The targets fixed for constructing such roads during the last two years and the extent to which they were achieved ; and

(c) The number of such new roads proposed to be constructed during the next two years ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The programme of the Border Roads Development Board does not include the construction and improvement of any roads in Rajasthan. A stretch (96 miles) of Pathankot-Jogindernager-Manali road, the improvement of which is included in the programme, falls in Punjab. The total length of new roads (of width varying from 8 to 20 ft.) constructed in J&K, N. E. F. A. and Nagaland as a part of the programme of the Board during the period 1. 4. 1967 to 28. 2. 1969 is as under:—

Jammu & Kashm ir	133 miles.
N. E. F. A.	79 miles.
Nagaland	90. 50 miles.

(b) The targets laid down for construction of new roads during 1967-68 and 1968-69 and the achievements against the same up to 28-2-1969 are given below:—

	1967-68		1968-69	
	Plan	Achievement	Plan	Achievement (up to 28.2.1969)
	(In	miles)	(In	miles)
Jammu & Kashmir,	54	58.3	51.30	49.20
N. E. F. A.	50	62.5	29.67	21.50
Nagaland	41	47.1	58.00	42.00

(c) The works Plans for 1969-70 envisage construction of about 95 miles of new roads in J&K, NEFA and Nagaland. It is not feasible to foreast similar figure at this stage in respect of 1970-71

Purchase Missions of Atomic Energy Department Abroad

8121. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan : **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the countries in which the Purchase Missions of the Department of Atomic Energy are working ;

(b) the names, salaries, qulifications and technical experience of the persons working there ;

(c) the amounts of expenditure incurred and savings made by these Missions in terms of rupees and foreign exchange during the last three years, year-wise ;

(d) the value of purchases made through them and directly, separately, during the said period ; and

(e) the reasons for making direct purchases ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Department of Atomic Energy has no Purchase Mission outside India. However, it has a Technical Liaison Mission in Paris.

(b), to (e) : Do not arise.

पूना छावनी बोर्ड

8122. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण आवेदन के बारे में 6 नवम्बर, 1968 को पूना छावनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रतियां उन्हें प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो संकल्प की विषयवस्तु क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) छावनी बोर्ड ने अपना असंतोष प्रकट किया है कि असैनिक क्षेत्र कमेटी के निर्णयों के सम्बन्ध में उसके विचार स्वीकार नहीं किए गए थे ।

(ग) सक्षम अधिकरण का निर्णय ठीक था, और स्थिति पूना छावती बोर्ड के उपाध्यक्ष पर स्पष्ट कर दी गई है ।

Press Attaches in Arab Countries

8123. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of press attaches in the various Indian Embassies in Arab countries ; and

(b) the number of attaches having knowledge of Arabic and French languages ?

The Deputy Minister in the Ministery of External Affairs (Shri SurendraPal Singh) : (a) There are eight Public Relations Officers/Press Attaches/Assistant Press Attaches in position in Indian Missions in Arabic speaking countries.

(b) Out of these eight officers—

(i) Two know Arabic and French ;

(ii) Three know Arabic and

(iii) Only three do not know either of the two languages.

Agro-Industrial Corporation in Andhra Pradesh

8124. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the date when Agro-Industrial Corporation, a firm in Andhra Pradesh dealing in tobacco and having trade mostly with U. S. S. R. was established ;

(b) the names of the countries with which this firm has entered into business dealings since its inception ;

(c) the number and the names of the directors of this firm ; and

(d) the quantity and value of tobacco exported to Russia by this firm during this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply

(Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Republic Day Parade

8125. Shri Hukam Chand Kachwai : will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) The number of foreign cadets who took part in the Republic Day Parade in 1969 ; and

(b) The total amount of money spent on them by the Government of India ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No foreign cadet took part in the Republic Day Parade 1969.

(b) Does not arise.

भारत-पाकिस्तान सीमा समस्यायें

8126. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण राजथान की और भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ विशेष समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या सीमाओं की गश्त लगाई जा रही है ; और

(घ) क्या उस क्षेत्र में सीमा सड़कों को संतोषजनक ढंग का बनाने तथा संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अपने जवानों की सज्जा और प्रशिक्षण मरुभूमि समेत भूप्रदेश की किस्मों को ध्यान में रखता है, कि जिनमें उन्हें काम करना पड़ता है।

(ग) जी हां, सीमा सुरक्षा सेना द्वारा ।

(घ) जी हाँ ।

भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का जोर्डन का दौरा

8127. श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में जोर्डन का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां तो दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों में किन-किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था ; और

(ग) उस बातचीत के क्या परिणाम निकले थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालय में विदेशी व्यापार के निदेशक ने किया और उसमें वित्त-मन्त्रालय तथा राज्य व्यापार निगम के

प्रतिनिधि और अमन स्थित हमारे कार्यदूत शामिल थे। जोर्डन की ओर से, प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अनुभाग के प्रमुख ने किया और उसमें जोर्डन के केन्द्रीय बैंक, जोर्डन फास्फेट खान समवाय तथा जोर्डन के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) दोनों प्रतिनिधिमण्डलों में 1969 वर्ष के लिये वार्षिक व्यापार प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किये। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत, 1969 के पंचाग वर्ष में भारत जोर्डन से 315 लाख रु० मूल्य के राक फास्फेट का आयात करेगा और 378 लाख रु० मूल्य के पाल का जोर्डन को निर्यात करेगा।

Unemployment in Textile Industry

***8128. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the total number of workers who were rendered jobless as a result of closure of textile mills during the last three years ;

(b) the alternative schemes under consideration or implemented to provide them employment ; and

(c) the number of workers out of them who have since applied for employment and the number of those who have been provided employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Forigen Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) The total number of workers on roll on the mills which closed on or after Ist January, 1966 and were lying closed as at the end of March, 1969 was 63295.

(b) No such scheme is under consideration of the Govt.

(c) The information is not available and its collection will not be commensurate with the time and labour involved.

इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लंदन

8129. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्ट्डीज, लंदन का एक सहयोगी है ;

(ख) यदि हां तो वह किस रूप में सहयोग देता है ; और

(ग) इस संस्था द्वारा किये गये मूल्यवान अध्ययन का लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मन्त्रालय इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ लन्दन का सदस्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंस्टीट्यूट वर्गीकृत विषयों से सम्बन्ध नहीं रखता और उसके प्रकाशन सूचना के खुले साधनों पर आधारित होते हैं। इंस्टीट्यूट योरोपीयन अतलांतिक सुरक्षा समस्याओं से

बहुत अभिविन्यस्त होता है और विश्व के अन्य भागों के लिए उसकी रुचि सीमित होती है । तदपि, इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, लन्दन के प्रकाशनों की प्रतियां अध्ययन के विभिन्न रक्षा संगठनों द्वारा प्राप्त की जाती हैं ।

कुवैत को विद्युत इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात

8130. श्री सीता राम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि कुवैत ने भारत से विद्युत इंजीनियरी उत्पादों का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुवैत द्वारा किन मुख्य विद्युत उपकरणों का आयात किया जायेगा ; और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : भारत से विद्युतीय उपकरणों, तथा बिजली के पंखों तथा फालतू पुर्जों, तार तथा केबलों, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, ट्रांसफार्मर्स, संघटकों, संवाहकों, प्रतिदीप्त नलियों एवं जुड़नारों तथा अन्य विद्युतीय सह-साधनों के आयात में कुवैत ने अधिकाधिक दिलचस्पी दिखाई है। विद्युतीय उपकरणों के लिए प्राप्त क्रयादेशों का मूल्य 3·7 करोड़ रु० के लगभग बताया जाता है।

पटसन मिलों को ऋण

8131. श्री सीता राम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में विभिन्न पटसन मिलों से ऋण मन्जूर किये जाने निमित कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) इन मिलों ने कुल कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) सरकार ने उन्हें वित्तिय कठिनाइयों को दूर करने के लिए कितनी सहायता दी थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) : पटसन मिलों को आधुनिकीकरण / विविधीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता दी जा रही है। 1968-69 में निगम को 1105·83 लाख रु० की कुल राशि के ऋण हेतु 23 आवेदनपत्र प्राप्त हुए। 495·50 लाख रु० के कुल ऋण के लिए 12 आवेदनपत्र अनुमोदित तथा मन्जूर कर दिये गये हैं। संवितरण शीघ्र ही किया जायेगा।

1967-68 में कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

रेयन धागे का मूल्य

8132. श्री सीता राम केसरी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयन धागे के मूल्य के सम्बन्ध में कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इस विवाद के परिणामस्वरूप देश में नायलोन धागे के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा कि बुनकरों ने मांग की थी, कताई करने वाले सलूलोज के तन्तु धागे के मूल्यों में कमी करने पर सहमत नहीं हुए हैं। वे इस सम्बन्ध में टैरिफ आयोग की सिफारिशों की प्रतिरक्षा कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

8133. श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कुल कितना व्यापार किया है ;

(ख) उसी अवधि में, वर्षवार, राज्य व्यापार निगम ने कुल कितना लाभ अर्जित किया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कौन-कौन सी मुख्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : **(क) और (ख)** : गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये व्यवसाय का कुल परिणाम तथा निवल लाभ निम्नलिखित है:—

वर्ष	किया गया कुल व्यवसाय (करोड़ में)	निवल लाभ
1965-66	61.55	1.59
1966-67	101.48	0.87
1967-68	141.23	2.31

वर्ष 1968–69 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 967/69]

पटसन की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय

8134. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन की वस्तुओं के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1956-57 से लेकर आज तक सरकार की ओर से राजकोषीय एवं अन्य क्या उपाय किये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। पटसन के माल के निर्यात 1956-57 के 877,400 मी० टन से बढ़कर 1965-65 में 950,200 मी०टन हो गये। किन्तु तब से फसल के स्वरूप में परिवर्तनों, पाकिस्तान से प्रतियोगिता तथा संश्लिष्टों के आ जाने के कारण निर्यातों में गिरावट आई है। हां, कालीन अस्तर कपड़े के निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

विवरण

पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही

(1) देश में पटसन की अपेक्षित किस्म और मात्रा के उत्पादन तथा उपज को बढ़ाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए खाद आदि भी सप्लाई की जा रही है।

(2) मिलों में कताई तथा तैयारी के वर्गों का आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास करने के लिए उद्योग ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाये हैं कताई तथा तैयारी वर्गों का बहुत सीमा तक आधुनिकीकरण कर दिया गया है और साथ ही शिफ्ट के आधार

में उद्योग के स्टेंण्डर्ड करघों में आधुनिक तकुऐ लगाये जा रहे हैं और कारपेट बेकिंग करघों में तीन शिफ्टों के आधार पर ऐसा किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋण भी दिया है।

(3) पटसन की वस्तुओं के नये प्रयोगों के लिये अनुसंधान के मामले में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। एक नयी 'बलीचिंग' प्रक्रिया का विकास किया गया है और अलमारिक तान्तबम क्षेत्र में वाणिज्यक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है।

(4) 'टफटिड' गलीचा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पटसन मिलों ने 'कारपेट बैंकिग' कपड़े के उत्पादन के लिए 5248 'ब्राड' करघे लगाये हैं और इस कपड़े का पूर्णतया निर्यात किया जाता है।

(5) पटसन से बनी वस्तुओं को लदान पूर्वक अनिवार्य निरीक्षण योजना के अन्तर्गत लाया गया है किस्म सम्बन्धी दावों को हल करने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

(6) रुपया अवभूल्यन के समय पटसन की वस्तुओं पर जो निर्यात शुल्क लगाये गये थे उनको कम कर दिया गया है और आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

हैसन (कारपेट बैंकिग और विशेष चीजों को छोड़कर)	900 रुपये प्रति टन से घटा कर 200 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
कारपेट बैंकिग	900 रुपये प्रति टन से घटा कर 600 रुपये प्रति टन का दिया गया है।
स्पेशियलिटीज	पहले 900 रुपये प्रति टन था अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है।
सैंकिग (वूलपैक के अतिरिक्त)	600 रुपये प्रति टन से कम करके 150 प्रति टन कर दिया गया है।
वूल पैक	600 रुपये प्रति टन से शून्य कर दिया गया।
साटन बैंकिग	600 रुपये प्रति टन से शून्य कर दिया गया।
जूट कन्वास, तिरपाल, वैंबिग और उससे बनी अन्य वस्तुएं	900 रुपये प्रति टन से घटा कर 500 रुपये प्रति टन कर दिया गया।
पटसन का सूत (स्पेशियालिटीज को छोड़कर) टुआइन, रसना और अन्य चीजें को जिनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया।	600 रुपये प्रति टन से घटा कर 150 रुपया प्रति टन कर दिया गया।

(7) आयकर अधिनियम की अनुसूची 5 के अन्तर्गत विकास छूट देने के प्रयोजन हेतु पटसन उद्योग को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया।

(8) भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पटसन मिलों के आधुनिकीकरण/विविधिकरण के लिए ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है।

(9) पटसन मिलों द्वारा अपेक्षित मशीनों तथा फालतू को देश में बनाने के मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(10) उद्योग के असंनुघान प्रयासों और संवर्धक गतिविधियों के लिए विवगन विकास निधि द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारी

8135. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय के ऐसे अधिकांश कर्मचारियों को, जो अन्य विभागों में नियुक्त होने पर उचित अनुज्ञा से विभिन्न विभागों-मंत्रालयों में चले गये थे, पेंशन-छुट्टी आदि के प्रयोजनार्थ अभी सेवा का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके सशस्त्र सेना मुख्यलाय के लेखा विभागों में सामान्य भविष्य निधि के लेखों का लेखा जोखा नहीं रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनके पूरे पते क्या-क्या हैं जिन्हें 1966-67 तथा 1967-68 में भारमुक्त किया गया ; और

(घ) गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार उनकी सेवा की विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) से (घ) : असैनिक विभाग-मंत्रालय ही कि जिन में सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, फैसला करते हैं कि किस हद तक सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में की गई सेवा छुट्टी, पेन्शन इत्यादि के लिए गिनी जाएगी। कर्मचारियों के तबादले नियन्त्रक, रक्षा लेखा को भी नोटिफाई किये जाते हैं, जिससे आशा की जाती है कि वह भविष्य निधि के हिसाब असैनिक लेखा प्राधिकरणों को तबदील कर दे। इस समय मांगी गई सूचना उन व्यक्तियों से संबंधित है, जो अन्य विभागों–मंत्रालय के कर्मचारी है, और इसलिए उनके पास प्राप्य होंगे।

पालम हवाय अड्डे के धावन-पथ का विस्तार

8136. श्री वे० कृ० दासचौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के धावन-पथ का विस्तार करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय तथा असैनिक उड्डयन विभाग के बीच कोई मतभेद हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Progress Made by India in Various Types of War

***8137. Shri Malahu Prashad :** Will the Minister of Defence be pleased to state the progress made by the Government of India to counteract the danger of conventional war, biological war, psychological war, commercial war, economic war, near-conventional war and nuclear war, respectively since the Chinese attack in 1962 till December, 1968 ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : All appropriate masures are included in our defence planning, keeping in view the nature of the threats facing the country.

Military Personnel Belonging to Madhya Pradesh Posted In Border Areas

8138. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Defence be Pleased to state :

(a) the number of Jawans and Officers belonging to Madhya Pradesh out of those posted in border areas ; and

(b) since how long they have been posted there ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) : The information is not available and the time and effort involved in collecting it will not be commensurate with the purpose likely to be achieved.

अफ्रीकी देशों में आप्रवास तथा व्यापार सम्बन्ध विधियों से प्रभावित भारतीय लोग।

8140. श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री दो० चं० शर्मा :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफ्रीकी देशों में नई आप्रवास तथा व्यापार विधियों के कारण कितने भारतीय लोगों पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) उनमें से कितने लोगों को कानूनी कठिनाइयों के कारण अफ्रीका छोड़ना पड़ा ;

(ग) उनमें से अब तक कितने व्यक्ति भारत लौट आये हैं ; और

(घ) उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारतीय मूल के जिन लोगों पर अफ्रीकी देशों के आप्रवास तथा व्यापार सम्बन्ध नियमों का प्रभाव पड़ा है, उनकी निश्चित संख्या मालूम नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर, अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के

जिन लोगों पर इन प्रतिबन्धों का प्रभाव पड़ा है, वे ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं, भारतीय राष्ट्रीक नहीं।

(ख) जिन लोगों को कानूनी कठोरताओं के कारण अफ्रीका छोड़ना पड़ा, उनकी संख्या मालूम नहीं है।

(ग) पिछले एक वर्ष में, भारतीय मूल के लगभग 10,000 लोग, पूर्वी अफ्रीका से भारत में स्थायी रूप से बसने आए।

(घ) भारत सरकार, भारतीय मूल के उन लोगों को, मानवोचित तथा समवेदनशील आधारों पर सभी संभव सुविधाएं दे रही है, जिन्हें अपने अधिवासी देशों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन सुविधाओं में गहने के कर मुक्त आयात, 16,000) रुपये तक के मूल्य की निजी सम्पत्ति तथा 16,000) रुपये के बिक्री माल और प्रति परिवार एक निजी कार जो प्रवासी द्वारा वास्तविक प्रयोग में हो, शामिल हैं।

अगर बिक्री माल उपर्युक्त मूल्य से अधिक हो तो आयात लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना, किन्तु कर चुका करके, लाए जा सकते है। सरकार प्रवासियों को भारत में अपनी सुरक्षित निधि प्राधिकृत माध्यमों से स्थानांतरित करने की अनुमति भी देती है। गुजरात राज्य सरकार भी उन प्रवासियों को कुछ सुविधाएं दे रही है जो उस राज्य के हैं।

विकिरण समस्थानिका (रेडियो आइसोटोप)

8141. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में भारत को विकिरण समस्थानिका (रेडियो आइसोटोप) के मामले में बहुत सफलता प्राप्त हुई है तथा उसने 55 चिकित्सा सम्बन्धी विकिरण उपकरणों का, जिसकी जीवन बचाने के लिये तुरन्त आवश्यकता होती है, मानकीकरण कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय उसका उत्पादन कितना है ;

(ग) देश में इसका किस हद तक प्रयोग किया जाता है ; और

(घ) इसका विदेशों में किस मात्रा में निर्यात किया जाता है तथा किन-किन देशों में ?

प्रधान मंत्री अणु, शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री श्रीमती इन्दिर गांधी) : (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयुर्विज्ञान रोग-निदान और चिकित्सा के काम में आने वाली 54 विकिरण-औषधियों का उत्पादन किया जाता है और उनकी सप्लाई की जाती है।

(ख) वर्तमान उत्पादन का मूल्य 12 लाख रुपये है।

(ग) तथा (घ) : जनवरी-दिसम्बर 1968 की अवधि में विकिरण-औषधियों की लगभग 13 000 किश्तें, जिनका मूल्य 5. 50 लाख रुपये था, भारत तथा विदेशों में चिकित्सा तथा अनुसंधान कार्य करने वालों को सप्लाई की गईं। इन में से, 2,000 किश्तें जिनका मूल्य एक लाख रुपये था, आस्ट्रेलिया, बर्मा, डेन मार्क, फ्रांस, हांगकांग, स्वीडन, थाईलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात की गई। क्योंकि विकिरण-ओषधियों की रेडियो ऐक्टिवता का क्षय

होता रहता है, अतः इनकी बिक्री के समय इनका मूल्य उससे कम रह जाता है जो इनके उत्पादन के समय होता है।

भारतीय व्यापारियों को नाकुरा, कीनिया से निकल जाने के लिये कहा जाना।

8142. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियूटर के संदेश में बताई यह बात सच है कि कीनिया की कृषि राजधानी नाकुरा के सबसे अधिक कारोबार वाले बाजारों में काम करने वाले एशियाई व्यापारियों को वहां से निकल जाने को कहा गया है ताकि वहां अफ्रीकी नागरिकों को लाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण वहां के भारतीय व्यापारियोंपर किस सीमा तक कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जहां तक सरकार को मालूम है, भारतीय राष्ट्रिकों का कोई व्यापार या उद्योग उनसे नहीं लिया है ; जिन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है या पड़ने की सम्भावना है, वे ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं और यह ब्रिटेन सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उनके हितों की रक्षा करे।

गुड़ का निर्यात

8143. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फालतू गुड़ का विदेशों को निर्यात करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां तो राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उस मामले पर विचार कर लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां

(ख) और (ग) : राज्य में गुड़ का अधिक उत्पादन होने तथा परिणामस्वरूप मूल्यों में काफी गिरावट आने के कारण, जो कि कृषकों के लिये अलाभकर हैं, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह विदेशों में गुड़ के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगाये। तदनुसार, सिंगापुर, बर्मा श्रीलंका तथा मध्यपूर्व एवं अफ्रीकी देशों में स्थित हमारे मिशनों से कहा जा रहा है कि वे अपने कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध देशों में भारत से गुड़ के आयात की संभाव्यताओं का पता लगायें तथा इस विषय में शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रधान मंत्री को संसत्सदस्यों से १९६८- में मिले पत्र

8144. श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें संसद सदस्यों की ओर से 1968-69 में कितने पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों का अब तक उत्तर दिया गया है तथा कितने पत्रों का अभी उत्तर नहीं दिया गया है ;

(ग) उनमें कितने पत्र हिन्दी में थे तथा कितने पत्र अंग्रेजी में ;

(घ) क्या यह सच है कि जब एक विशिष्ट मंत्रालय से एक बार मंत्री का तबादला कर दिया जाता है तो संसत्सदस्यों को नये मंत्री से पत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तक : प्रधान मंत्री के नाम संसद सदस्यों से बड़ी संख्या में पत्र आते हैं उनमें से कई पत्र संबद्ध मंत्रालयों को भेजने होते हैं । इसलिए, उनकी ठीक ठीक संख्या बताना, या उनका वर्गीकरण करना या उनके निपटारे की स्थिति बताना संभव नहीं है । जाहिर है कि उन सभी पत्रों पर ध्यान दिया जाता है। उनकी प्राप्ति-सूचना भेजने की कोशिश की जाती है और जिन पत्रों का उत्तर देने होता है, उनके उत्तर भेजे जाते हैं । जो पत्र अन्य मन्त्रालयों के पास समुचित विचार के लिए भेजे जाते हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे उनका उत्तर भेज दें ।

(घ) और (ङ) : प्रधान मंत्री के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मालूम होती । फिर भी, विषय से संबद्ध मंत्री महोदय से आशा की जाती है कि वह ऐसे सभी पत्रों पर समुचित कार्यवाई करें ।

भारत-नेपाल सीमावार्ता का स्थगित किया जाना

8145. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री चैंगलराय नायडू :
श्री रा० बरुआ : श्री नि० रं० लास्कर

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के कहने पर भारत-नेपाल सीमा वार्ता स्थगित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है । और

(ग) यह वार्ता पुनः कब आरम्भ होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नेपाल सरकार ने इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया है । 27 अप्रेल 1969 को वाल्मीकि नगर में सुस्ता पर बातचीत होगी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय नौसेना के लिए परमाणु हथियार

8146. श्री रा० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के लिए नवीनतम परमाणु हथियारों की व्यवस्था करने की योजना क्रियान्वित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो नौसेना के पास आधुनिक हथियार कब तक हो जायेंगे तथा नौसैनिक शक्ति को कितना सुदृढ़ कर लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) नौसेना को सशस्त्र बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं पहले से तैयार की जा रही हैं, चाहे उनमें नाभिकीय आयुधों के पुरस्स्थापन के लिए कोई उपबंध नहीं है ।

1967-68 में प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

8147. श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1967-68 में उन्होंने कितने देशों की यात्रा की थी ; और

(ख) उक्त यात्राओं में उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सात देशों की यात्रा की थी ।

(ख) कर्मचारियों को यात्रा/दैनिक भत्तों के रूप में रु० 17400.93 की राशि दी गई थी ; इसमें विदेश-स्थित हमारे मिशनों से लिया दैनिक भत्ता भी शामिल है ।

तन्तुक नियंत्रण आदेश

8148. श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विस्कोज तन्तुक के वितरण के लिए कुछ फर्मों से 'तन्तुक नियंत्रण आदेश' पुनः आरम्भ करने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) विस्कोज स्टेपल रेशे की पूर्ति स्थिति संतोषजनक है और अभी वितरण पर कानूनी नियंत्रण आवश्यक नहीं समझा जाता ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग

8149. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्टों, सहायक निदेशकों और उप निदेशकों के लिए एक स्थान पर काम करते रहने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह अवधि कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति गत पांच वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली (मुख्यालय को शामिल करके) में काम करते रहे हैं ; और

(घ) उन्हें इतने अधिक समय तक एक स्थान पर रखने के प्रत्येक मामले में क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ) अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा तैनाती प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा सौंपे गये विशेष कार्यों के लिए उपयुक्तता एवं योग्यता को ध्यान में रख कर की जाती है ।

(ग) उप निदेशक.....1

सहायक निदेशक.....1

अधीक्षक.....6

चीन गणराज्य के साथ व्यापार

8150. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन गणराज्य ताइवान के बीच व्यापार पर कोई पाबंदियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पाबंदियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1968-69 में ताइवान को कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और वहां से कितनी मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण (अंगेजी में) संलग्न है जिसमें 1968-69 (अप्रेल-दिसम्बर) में ताइवान को हमारे निर्यात तथा ताइवान से हमारे आयात दिखाए गए हैं ।

विवरण

अप्रेल-दिसम्बर 1969 के दौरान भारत का फार्मोसा को निर्यात

मूल्य लाखों रुपयों में

क्रम संख्या	वस्तु	मूल्य
1.	अन्य अशोधित खनिज	14
2.	लोह अयस्क तथा ढल्ले	4
3.	लोह तथा इस्पात सक्रेय	28
4.	अशोधित वनस्पति द्रव्य एन. ई. एस.	6
5.	खनिज निमित एन. ई. एस.	24
6.	ढल्ले तथा लोह और इस्पात की अन्य मूल पदार्थ	81
7.	लोह तथा इस्पात के ऐंगल, पट्टियां तथा छड़ें	26
8.	रेलें और रेल्वे पटरी का अन्य सामान	8
9.	धातुओं से बना सामान एन. ई. एस.	1
	अन्य चीजों सहित कुल निर्यात	194.00

फार्मोसा से आयात

1.	मसाले	0.4
2.	अशोधित वनस्पति द्रव्य	1.0
3.	रसायनिक तत्व तथा मिश्रण	0.2
4.	अन्य नियत वनस्पति तेल	0.3
5.	आवश्यक तेल, खुशबुदार सामान	7.3
6.	प्लास्टिक का सामान, पुनरुद्धारण सेलूलोज, और नकली रेजिन	1.4
	कुल आयात	10.6

उत्तर प्रदेश को विद्युत चालित करघों का नियतन

8151. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए कितने बिजली चालित करघों का नियतन किया गया था ;

(ख) यह नियतन कब किया गया था ;

(ग) टैक्समार्क जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है ;

(घ) टैक्समार्क देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) क्या सरकार को उन व्यक्तियों से जिन्होंने बिजली चालित करघों के लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्र दिये थे, शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टैक्समार्क के लिए उनके आवेदन पत्र मंजूर नहीं किये गये हैं ; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 10,300

(ख) 2 जून, 1966 को।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया ! देखिये संख्या एल. टी. 968/69**]

(घ) सूती वस्त्र के 6,705 विद्युत चालित करघों तथा नकली रेशम के 596 विद्युत चालित करघों के लिए 2, 250 आवेदन पत्र।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा के 30 अप्रैल, 1969 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 8151 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

टैक्समार्क जारी करने की प्रतिक्रिया निम्न प्रकार है :-

(1) विद्युत चालित करघों की संस्थापना के लिए सभी आवेदन पत्र राज्य वस्त्र प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिये।

(2) यदि राज्य सरकार, सम्बद्ध पार्टी को विद्युत-चालित करघों का नियतन करने का निश्चय कर लेती है तो उस पार्टी से टैक्स परमिट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। उसे विद्युत-चालित करघों के लिए 100 रु०

प्रति करघे के हिसाब से राजकोष में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक में शुल्क जमा कराने के लिए कहा जाता है।

(3) राजकोष-चालान सहित आवेदन पत्र को राज्य वस्त्र प्राधिकारी, अपनी सिफारिशों सहित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजते हैं।

(4) वस्त्र-आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्त होने पर टैक्समार्क परमिट जारी करेगा। यदि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन किसी लाइसेन्स की आवश्यकता पड़ती है तो पार्टी से ऐसा लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कहा जाता है।

(5) टैक्समार्क प्राप्त करने की तारीख से एक माह की अवधि के अन्दर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों से एक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए भी पार्टी से कहा जाता है।

(6) यदि पार्टी अनुबद्ध अवधि के अन्दर उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्य लाईसेंस प्रस्तुत करने में असफल होती है तो टैक्सपरमिट रद्द किया जा सकता है।

भारतीय वायु सेना

8152. श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री ए० श्री धरन :
श्री प्र० ना० सोलंकी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि अब इंडियन एयर फोर्स के साथ हिन्दी लेख "भारतीय वायु सेना" नहीं जोड़े जायेंगे तथा भविष्य में वह केवल इडियन एयर फोर्स के नाम में जानी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस की सलाह पर किया गया है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) "इंडियन एयर फोर्स" के हिन्दी रूप को अपनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किर्की में हुआ छावनी बोर्ड प्रतिनिधि सम्मेलन

8153. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छावनी जनता के प्रतिनिधियों और छावनी बोर्डों के सदस्यों के गत जनवरी मास में किर्की में हुए सम्मेलन में सरकार से कमांड पत्र संख्या 3044-एम०एल०सी० दिनांक 18 जनवरी, 1963 और भारत सरकार के पत्र संख्या 304 :-9 एम० एल० सी० दिनांक 11 जून 1966, 3390-वी० एल० सी० 3 दिनांक 1 मई 1967 और

2-7 एल०-एल० सी० 67-2702 डी० (कैंटस) दिनांक 23 मार्च, 1968 को तुरन्त वापस लेने की सरकार से माँग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पत्रों की विषवस्तु क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। तदपि, 11 जुलाई 1966 और 1 मई 1967 के पत्र कमान के पत्र है।

(ख) यह पत्र पुरानी ग्रांटों के अधीन धारणों के सम्बन्ध में निर्माण, विभाजन, इत्यादि के लिए प्रार्थनाओं के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं।

(ग) चूंकि पत्र ढंग के विकास के लिए अभिकल्पित थे और समेकित-छावनी निधियों के लिए आय सुनिश्चित करने हैं, उन में संशोधन करने का विचार नहीं है।

औद्योगिक एककों द्वारा निर्यात

8154. श्री रामावतार शर्मा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कितने औद्योगिक एककों ने अपने निर्यात दायित्व को पूरा किया;

(ख) उक्त अवधि में कितने उद्योग एकक अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर सके; और

(ग) इन उद्योगों द्वारा निर्यात दायित्व पूरा नहीं किये जा सकने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 46 एकक।

(ख) 226 एकक।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क की खरीद

8155. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कुल कितना मैंगनीज अयस्क खरीदा गया था; और

(ख) इसमें से कितना अयस्क सीधा खान मालिकों से खरीदा गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रतिवर्ष खरीद की गई मैंगनीज अयस्क की कुल मात्रा तथा उसी अवधि में खान मालिकों से प्रत्यक्ष रूप में खरीदी गई मात्रा नीचे दी जा रही है :

वर्ष	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खरीद की गई कुल मात्रा (लाख मी० टन में)	खान मालिकों से प्रत्यक्ष रूप में खरीदी गई मात्रा (लाख मी० टन)
1966	8.73	7.98
1967	8.29	8.29
1968	3.15	3.15

पटना के निकट विहटा में हवाई अड्डे के लिये अर्जित भूमि

8156. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहटा में पटना के निकट प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये एक हवाई अड्डा बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन किन गांवों में और किन किन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी;

(ग) क्या यह सच हैं कि वहां पर उसकी चारदीवारी के बाहर आम, महुआ, ताड़ और खजूर के पेड़ हैं जिनके स्वामी अभी किसान ही हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि किसानों ने इन पेड़ों के लिये अनेक बार प्रतिकर मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) गांवों के नामों का पता लगाया जा रहा है, और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा । जहां तक उन व्यक्तियों के नामों का सम्बन्ध है कि जिनकी भूमिएं अधिगृहित की गई, सूचना इकट्ठा करने से प्राप्त हो पाने वाले परिणाम अन्तग्रस्त प्रयास के अनुरूप में होंगे ।

(ग) हवाई अड्डे के बाहर निजी भूमियों में वृक्षों के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड बनाए नहीं रखे गए ।

(घ) तथा (ङ) : चूंकि मुआवजे का निर्धारण एक मध्यस्थ और उच्च न्यायालय द्वारा दो नैयायिक कार्यवाहियों के पहले से अधीन है, वृक्षों के लिए अतिरिक्त अदायगी का प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में मनीपुर हाथकरघा वस्तुओं की बिक्री के लिए प्लाट दिया जाना

8157. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हायकरघा से बनी वस्तुओं की बिक्री हेतु एक दुकान स्थापित करने के लिए मनीपुर सरकार को स्टेंड रोड, नई दिल्ली पर दिये गये प्लाट को मनीपुर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है ; और

(ख) उक्त स्थान पर दुकान खोलने में देरी के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : मनीपुर सरकार को इर्विन रोड, नई दिल्ली पर अपना एम्पोरियम भवन बनाने के लिए इस शर्त पर एक प्लाट का नियतन हाल ही में किया गया है कि वह भवन का निर्माण नियतन-तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा कर लेगी ।

निर्यात के लिये वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण

8158. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) सरकार द्वारा किन-किन वस्तुओं के निर्यात मूल्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये मूल्य सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों की वस्तुओं के लिये निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात के लिये कहां तक और किस रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हालांकि किसी भी वस्तु के लिए विशेष निर्यात मूल्य नियत नहीं किये गये है फिर भी सरकार द्वारा निम्नलिखित के मामले में न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किये गये हैं :-

(1) 'डबल ड्रान' मानव बाल

(2) व्यर्थ मानव बाल, सामान्यत: 'टुकु' के नाम से प्रसिद्ध (अर्थात् 3 इंच तथा कम के मानव बाल)

(3) अनिर्मित तम्बाकू

(4) चपड़ा, तथा

(5) अभ्रक के कतिपय ग्रेड ।

गोआ उद्‌भव के लौह अयस्क के मामले में भारत सरकार के परामर्श से गोआ, दमन दीव की सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करती है ।

(ख) विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से होने वाले समस्त निर्यातों पर लागू हैं ।

(ग) अनिर्मित तम्बाकू के मामले में संवेष्टन सामग्री, रिड्राइंग मशीनों तथा अन्य उपस्करकों के आयात के लिए निर्यात के जहाज पर मूल्य के 3 प्रतिशत तक आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है । उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अन्य किसी मद के निर्यात पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

पटसन के बोरों की खरीद

8159. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (गत तीन वर्षों के महीनेवार आंकड़े दिये जायें) सरकारी तथा अर्ध सरकारी तौर पर कितने मूल्य और गांठों की संख्या में विभिन्न प्रकार के पटसन के बोरे खरीदे गये ;

(ख) विभिन्न प्रकार के पटसन के बोरों में प्रति सैंकड़ा बोरों में कितनी मात्रा में कच्चा पटसन लगता है ; और

(ग) इस अवधि में सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की किस्मों के प्रति सैंकड़ा बोरों के लिए किस दर पर भुगतान किया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) एक विवरण संलग है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 969/69]**

Modernization of Woollen Rugs Industry

8160. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be plesased to state :

(a) whether Government are aware that the export of woollen rugs can be increased many-fold if this industry is modernised ; and

(b) if so, the scheme chalked out by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) : Woollen blankets are already being manufactured by woollen mills which are using modern machines. A modern unit for the manufacture of woollen tufted carpets has also been set up. A study has been undertaken into the pros and cons of modernisation of the traditional woollen carpet industry, both from short term and long-term points of view and necessary economic, finanical and technical information is being collected.

रूस को खादी का निर्यात

8161. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस को खादी का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में खादी का निर्यात किया गया था उनसे कितनी धन राशि अर्जित की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खादी के माल के संभरण के लिए सोवियत संघ ने कोई माँग नहीं की है ।

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड

8162. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता में इस समय कार्य-भार की स्थिति क्या है ; और

(ख) यदि पश्चिमी बंगाल सरकार के किन्हीं क्रियादेशों का पालन किया जाना अभी शेष है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस समय गार्डन रीच वर्कशाप के पास 19.90 करोड़ रुपये के आर्डर हैं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार के 80,000 रुपये की लागत के निम्न आर्डर बकाया हैं:-

(1) 4 पच्चीस फुट की स्टार्म वाट्स	44,000 रुपये ।
(2) पम्पों के लिए फाल्तू पुर्जे	36,000 रुपये ।

औद्योगिक उत्पादों की खरीद

8163. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1965 से 1968 तक वर्षवार विभिन्न राज्यों के संसाधनों से राज्य-वार औद्योगिक उत्पादन की विभिन्न वस्तुएं कितनी मात्रा में (तथा कितने मूल्य की) खरीदी गई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : विभिन्न राज्यों से खरीदे गए औद्योगिक उत्पादों के मात्रा-वार आंकड़े नहीं रखे जाते । खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं के लिए दिए गए आर्डरों के मूल्य के आंकड़े संसद-पुस्तकालय को भेज दिये जाते हैं । वर्ष 1967-68 की सरकारी-खरीदों की निदेशिका छपवाई जा रही है, और उसे यथासमय संसद पुस्तकालय को भेज दिया जाएगा, फिर भी, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1965-66, 1966-67 और 1867-68 में विभिन्न राज्यों में स्थित पूर्तिकर्ताओं को दिए गए आर्डरों के मूल्य का एक विवरण यहां संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 970/69]

Deputy Chairman not Permitted to Preside Over Meetings of Cantonment Boards.

8164 **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in some of the Cantonment Boards, the Deputy Chairmen are not permitted to preside over the meetings, held in the absence of the Chairmen, but such meetings are presided over by the Military Officers;

(b) if so, whether Government have received any complaint about such arrangements in certain Boards;

(c) if so, the names of such Boards:

(d) whether it is not against the rules; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (e): The functions of the Vice Presidents of the Cantonment Boards, are indicated in Section 23 of the Cantonments Act, 1924. Government have received a representation in respect of the Nasirabad Cantonment Board that the Vice President was, in contravention of the law, not permitted to preside over meetings. The matter is under examination.

दिल्ली की एक फर्म द्वारा सप्लाई किये गये तम्बू

8165. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1968 में दिल्ली की एक फर्म को तम्बू के 180 पौंड वाले भीतरी पर्दे (इनर फ्लाई) सप्लाई करने का क्रयादेश मिला था;

(ख) क्या दिल्ली की इस फर्म द्वारा सप्लाई किये गये तम्बूओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये था;

(ग) क्या ये तम्बू घटिया किस्म के पाये गये थे; और ये केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर में अप्रयुक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई हैं और किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ङ) : 180 पौंड मेक 3 अन्दरूनी पर्दों वाले 32,360 तम्बुओं की सप्लाई के लिए आर्डर के विरुद्ध अन्त मार्च 1969 तक, 1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर 27,233 तम्बू वितरित और स्वीकृत किए गए थे। स्वीकार की गई राशियों में से कुछ कृत्य सीमाओं के अन्दर सहिष्णुता के लिए मूल्य में कमी के बगैर विचलन अधीन हैं और कुछ आधा प्रतिशत से चार प्रतिशत तक विभिन्न कमियों सहित विचलन अधीन। इस प्रश्न की कि आया स्वीकृति में कुछ बेकायदगी रही है, जांच हो रही है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग

8166. श्री स० चं० सामन्त: क्या प्रधान मंत्री 2 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने उपनिदेशक द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के मुख्य निदेशक के रूप में कार्य करते समय कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग पर आपत्ति की है तथा कहा है कि यह वित्तीय शक्ति प्रतिनिधान नियमों का उल्लघंन है ;

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग):- महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुख्य निदेशक से निदेशालय में एक उप निदेशक को मुख्य निदेशक के कार्यों का वर्तमान कार्यभार संभालने वाले किसी अन्य उप निदेशक द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टी करण मांगा है। राष्ट्रीय नमूना सवेक्षण के मुख्य निदेशक ने महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि महालेखाकार द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाती है तो मामले की और अधिक जांच संगत नियमों एवं जनुदेशों के अनुसार की जायेगी।

सैनिक इंजिनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के पदों के लिये पदोन्नति का विभागीय कोटा बढ़ाना

8167. श्री एस० डी० सोम सुन्दरम् : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने फरवरी, 1968 से सैनिक इंजीनियरी सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के पद के लिए पदोन्नति का विभागीय कोटा 10 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसे किस संभावित तिथि से लागू किया जायगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विभागीय कोटा में वृद्धि फरवरी 1969 में नोटिफाई की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैस सिलिंडरों का आयात

8168. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक गैस उद्योग में क्षमता बेकार पड़ी हुई हैं क्योंकि देश में खाली गैस सिलिंडरों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की कमी हैं :

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे गैस सिलिंडरों के आयात के लिये और विदेशी मुद्रा न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में कितने और कितने मूल्य के आयात लाइसेंसों के आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(घ) औधौगिक गसों को बनाने के लिये नई क्षमता स्थापित करने केलिये मशीनरी आयात करने हेतु सरकार का कितनी विदेशी मुद्रा देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) जब औधोगिक गैसों के बनाने की क्षमता बेकार पड़ी है तो नई क्षमता स्थापित करने पर प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेबक) ::(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 7.12 करोड़ रु० के मूल्य के गैस सिलिंडरों के आयात के लिए 56 आवेदन-पत्र आयात व्यापार नियंत्रण संगठन के पास अनिर्णीत पड़े हैं ।

(घ) चौथी योजना की अवधि में मांग और पहले ही मंजूरशुदा क्षमता के द्वारा पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए 500 लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान है । विदेशी मुद्रा का वास्तविक नियतन साधनों की प्राप्यता पर निर्भर करेगा ।

(ङ) प्रमुख औधौगिक गैसों के निर्माण के लिए नई क्षमता स्थापित करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है क्योंकि दूरस्थ स्थानों पर परिवहन की कठिनाई होती है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात

8169. श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुओं में सूची में कुछ और वस्तुएं शामिल कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन वस्तुओं की सूची की एक प्रति सभापटल पर रखने का है ; जिस का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उम-मंत्रो (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । वर्ष 1969-70 की आयात नीति में वस्तुओं की सूची में ऐसी छः और मदें जोड़ दी गयीं हैं जिनका आयात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जायेगा ।

(ख) वर्तमान आयात नीति के अनुसार केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जा रही मदें निम्नलिखित हैं:—

(1) सोडियम नाइट्रेट

(2) खोपरा

(3) भेड़ की चर्बी

(4) सोयाबीन का तेल

(5) ताड़ का तेल

(6) 35 मि० मी० कच्चा स्टाक (छाया अथवा रंगीन) ध्वनि नेगेटिव को छोड़ कर ।

(7) औद्योगिक नायलन धागे को छोड़कर नायलन बुनाई धागा तथा सिलाई धागा ।

(8) एक्स-रे-फिल्म

(9) राक फासफेट, खनिज फासफेट

(10) सोडियम नाइट्रेट (चिलियन नाइट्रेट)

(11) म्यूरिएट आफ पोटाश (पोटेशियम क्लोराइड, औद्योगिक ग्रेड को छोड़कर)

(12) सल्फेट आफ पोटाश

(13) सल्फेट आफ अमोनिया

(14) कार्कवुड

(15) ऊन कच्ची तथा ऊन टाप्स, ऊन व्यर्थ, शाड़ी ऊन तथा ऊनी रैग्स

(16) पोलिस्टर रेशों-सहित समस्त संश्लिष्ट गैर-सैल्यूलोस रेशे ।

तिब्बत के प्रति भारत की नीति को नई दिशा देना

8170. श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के बारे में नये बने संसदीय ग्रुप ने सरकार से अपनी तिब्बत के प्रति नीति को नई दिशा देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को यह मालूम है कि कुछ संसद सदस्यों ने तिब्बत के लिए एक दल बनाने का निश्चय किया है और इस बात का आग्रह किया है कि तिब्बत के प्रति एक नई नीति अपनाई जाए ।

(ख) सरकार का यह विचार है कि तिब्बत के प्रति भारत की नीति में जिसे संसद में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है, वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पर व्यय

8171. श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री मुहम्मद सरीफ :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964 में न्यूयार्क विश्व मेले में तथा मांट्रियल में एक्सपो-1967 में सरकार ने भारतीय पंडालों पर कुल कितना धन व्यय किया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : 1964-65 में न्यूयार्क विश्व मेले में तथा मांट्रियल में एक्सपो-67 में भारतीय मंडपों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्नोक्त प्रकार है :—

		भारतीय मुद्रा में (रु०)	विदेशी मुद्रा में (रु०)
1.	न्यूयार्क विश्व मेला 1964-65	20,41,926	1,22,09,763
2.	मांट्रियल एक्सपो-67	28,48,391	1,91,81,322

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

8172. श्री मुहम्मद सरीफ : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले आयात किये गये चमड़े और खाल के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाने के कारण 1.5 करोड़ रुपये से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति तथा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत चमड़े तथा खालों के लिए दिये गये कुछ लाइसेंसों के दुरुपयोग के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ग) निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग को बन्द करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) निर्यातित उत्पाद में निहित आयात माल के परिमाण के दुगने के लिए आयात लाइसेंस की व्यवस्था तथा निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत अनुमत हस्तांतरणत की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।

(2) पंजीकृत निर्यातकों की नयी नीति में वास्तविक उपयोक्ताओं का केवल आयात प्रतिपूर्ति की सीमांत ही आयातों की अनुमति है।

(3) निर्यातक व्यापारियों को अपने निर्यातों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वास्तविक उपयोक्ता का नामांकन करना पड़ता है।

(4) लाइसेंस केवल उन्हीं मदों के आयात के लिये दिये जाते हैं जो वास्तविक उपयोक्ताओं को निर्यातित उत्पादो अथवा उनके संवर्धकों के निर्माण के लिए वास्तव में चाहिये।

आयात नियंत्रण विनियमनों के दुरुपयोग अथवा अन्य उल्लंघनों के सभी मामलों की सूचना आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के खण्ड-सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत आप आवश्यक कार्य के लिए आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के प्रवर्तन अनुभाग को दी जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के बाद, अपराध को गम्भीरता के अनुसार, आयात लाइसेंस प्राप्त कर तथा आयातित माल के आवर्टन से वंचित करने की विभागीय कार्य वाही की जाती है और अथवा मुकदमा दायर किया जाता है।

Expenditure on Kutch Award Implementation

8173. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of External affairs be pleased to state the total amount spent by Government in Indian currency and foreign exchange on the Kutch Tribunal, its various sittings and demarcation work since its inception ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The expenditure on the Kutch Tribunal and its sittings came to Rs, 23, 33, 750/-in foreign currency and Rs. 6, 81, 491 in Indian currency.

For the demarcation of the boundary, in accordance with the Kutch Tribunal's Award, a provision of Rs. 13 lakhs was made in the budget for the year 1968-69, and a further sum of Rs. 10 lakhs has been proposed for the year 1969-70. As the work is in progress, the final figures of expenditure will be known after some time.

Bomb Explostion in Jhansi Cantonment

8174. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that several persons sustained injuries as a result of a bomb explosion near military area in Jhansi Cantonment in the first week of April, 1969 ;

(b) whether Government have investigated this incident ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Government have no information on the reported explosion.

(b) and (c). Do not arise.

तारापुर परमाणु बिजली घर

8176. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री वि० नरसिम्हाराव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर स्थित भारत के प्रथम परमाणु बिजलीघर ने बिजली का परीक्षण उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षण की अवधि के कब तक चलने की संभावना है ; और

(ग) बिजली का नियमित उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रधानमंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) परीक्षण की अवधि मई, 1969 के अन्त तक चलने की सम्भावना है ।

(ग) बिजली का नियमित उत्पादन परीक्षण की अवधि की समाप्ति पर आरम्भ हो जायेगा ।

विद्रोही नागाओं का इसाक स्वू ग्रुप

8177. श्री अदिचन :
श्री सु०कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंह का :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं का इसाक स्वू दल जो चीन से हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नागालैंड में दाखिल हो गया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने विद्रोही नागाओं को पकड़ा गया और कितनों को मार दिया गया ; और

(ग) उनसे कितने और किस प्रकार के हथियार और दस्तावेज पकडे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अन्तिम प्राप्य सूचना के अनुसार आइज़क स्वू के दल के लगभग 140 व्यक्तियों में से 92 पकड़ लिए गए हैं। 5 हमारी सुरज्ञा सेनाओं के साथ संघर्षों में मारे गये थे। इस दल द्वारा धारण किए गए 102 आयुद्य पकड़े गए थे। इनमें शामिल हैं गोलाबारूद की भारी राशि के अतिरिक्त 60 एम० एम० मार्टर, 7.62 एम० एम० एल० एम० जी०, 7.62 एम० एम० राईफलें, .303 राईफलें, सब-मशीन गने,

राकेट प्रक्षेपक और पिस्तौल। अधिकतम आयुध और गोलाबारूद चीनी निर्माण का था। दल के शेष सदस्य हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा दबाव के कारण छोटे छोटे दलों में बंट गए हैं, और उनका पीछा किया जा रहा है।

नेपाल में सिले सिलाये कपड़े तैयार करना

8178. श्री हिम्मत सिंहका : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय संश्लिष्ट कपड़ा उद्योग को इन समाचारों पर बहुत चिन्ता है कि नेपाल के निर्माताओं ने सिले-सिलाये कपड़े तैयार करने आरम्भ कर दिये हैं जो चोरी-छिपे भारत भेजे जायेंगे और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि भगत करार से, जिसके अन्तर्गत भारत को संश्लिष्ट रेशे के कपड़ों की तस्करी और संश्लिष्ट कपड़े का भारत को निर्यात नहीं होगा, से बचा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). नेपाल में बने सिले-सिलाये कपड़ों का भारत में आयात करने पर इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए तस्करी का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस विषय पर विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय को भारतीय उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मज गांव डाक में यात्री जहाजों का निर्माण

8179. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मज गांव डाक में यात्री जहाजों का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो नौ-सेना के लिये भारी संख्या में जहाजों की मांग होने के बावजूद अपनी क्षमता को असैनिक कार्यों के लिये प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) उपर्युक्त डाक में बनाये जाने वाले यात्री जहाजों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त डाक में प्रति वर्ष ऐसे कितने जहाजों का निर्माण होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मज़ गांव डाक लि० ने 2 यांत्रिक तथा लादू पोतों का निर्माण हस्तगत किया है।

(ख) इससे नौसैनिक पोतों के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आर्डर पोत निर्माण क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से स्वीकार किए गए हैं।

(ग) यह 10,000 टन के पूर्णतः वातानुकूलित विलास साधनों से युक्त यांत्रिक पोत हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर इस्तेमाल किए जायेंगे। भारतीय सजावटों से युक्त, यह मज गांव डाक द्वारा अभिकल्पित किए गए हैं।

(घ) अनुमान है कि पहला पोत अन्त जनवरी, 1972 तक वितरित कर दिया जाएगा, और दूसरा अप्रेल, 1974 तक इन दो पोतों के आर्डर के अतिरिक्त, यार्ड के पास इस समय ऐसे पोतों के नियमित उत्पादन के लिए और कोई कार्यक्रम नहीं है।

काफी का उत्पादन

8180. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में काफी का उत्पादन मांग से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो यह मांग से कितना अधिक है ;

(ग) देश में काफी उद्योग का बराबर विकास होता रहे, इस उद्देश्य से काफी के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) विश्व बाजार में कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के उद्देश्य से क्या उस उद्योग को कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में विश्व में काफी का उत्पादन मांग से कम रहा है। किन्तु, विगत वर्षों के उत्पादन में से भारी मात्रा में स्टाक अब शेष था जो आगे के वर्षों में ले जाया गया।

(ख) वर्ष 1968-69 के अन्त में अतिरिक्त काफी की प्राप्यता का अनुमान 27,90,960 मी० टन है।

(ग) भारत, अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार का एक सदस्य है। कोटा वाले देशों को किए जाने निर्यात प्रत्येक वर्ष आवंटित कोटे के अनुसार होते हैं। गैर-कोटा वाले देशों को किए जाने वाले निर्यातों के लिए व्यापार करारों में व्यवस्था की जाती है।

(घ) दीर्घकालिक तथा अल्प-कालिक ऋणों, किराया खरीद शर्तों पर उपकरणों तथा मशीनरी और अनुमोदित किस्म के काफी बीजों के रूप में उत्पादकों को अपेक्षित संभरण तथा सेवाएं प्रदान करके काफी उत्पादन की कुशलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार काफी बोर्ड को धन दे रही है। चुने हुए प्रदेशों में स्थापित प्रदर्शन स्थलों तथा परीक्षण स्थलों के माध्यम से, काफी बोर्ड की अभिकरण द्वारा, तकनीकी परामर्श किया जाता है तथा पथ-प्रदर्शन किया जाता है।

वर्तमान काम के घंटों में परिवर्तन

8181. श्री प० मु० सईद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के वर्तमान काम के घंटों में परिवर्तन करने के बारे में कार्य प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में काम के घंटों में प्रस्तावित परिवर्तन करने के बारे में कर्मचारियों की राय ली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा श्रेणीवार कितने कर्मचारियों-अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन-अननुमोदन किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). गणना प्रगतिशील है और अभी सम्पूर्ण नहीं हुई।

निकोबार दीप समूह में ब्रिटेन की वायुसेना को दी गई रियायतें

8182. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की वायु सेना को निकोबार द्वीपसमूह में कुछ रियायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पहले भी इसको कोई रियायतें दी गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Study Team for Tribal People

8183. Shri Deorao Patil : will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has appointed a Study Team for research work in connection with the tribal people ; and

(b) if so, the functions of the said Study Team and the extent of progress made so far by this Team ?

The Prime Minister & Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Planning Commission proposes to set up a Study Team on the functions and the working of Tribal Research Institutes.

भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार

8184. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने यह सुझाव दिया है कि एशिया तथा अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों के लिये उपबन्ध करने हेतु भारतीय नागरिकता तथा राष्ट्रीयता नियमों पर पुनर्विचार किया जाये और उन्हें उनके भाग्य पर ही न छोड़ दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हाल में-विदेशी भारतीयों पर जो विचार गोष्ठी हुई, उसमें जो यह और अन्य सुझाव दिए गए उन पर सरकार ध्यान दे रही है ।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

8185. श्री वि० नरसिम्हा राव:

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को लोह अयस्क के निर्यात के बारे में भारत को आस्ट्रेलिया से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या आष्ट्रेलिया ने जापान को सस्ते मूल्य पर लोह अयस्क देने की पेशकश की है ;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया से लोह अयस्क खरीदने की अपेक्षा भारत से इसकी खरीद के लिये जापानी क्रय कर्त्ताओं को वाणिज्यिक कारणों के अतिरिक्त कुछ और कारण भी बताये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां परन्तु अभी तक भारत जापानी बाजार में लौह अयस्क के सब से बड़े एकाकी संभरक के रूप में अपनी मर्यादा बनाये हुए हैं ।

(ख) आस्ट्रेलिया के लौह अयस्क के जहाज पर मूल्य भारतीय लौह अयस्क के जहाज पर मूल्यों के लगभग समकक्ष हैं परन्तु अपेक्षाकृत कम समुद्री भाड़े के कारण आजकल आस्ट्रेलिया के अयस्क को लाभ रहता है । समेकित योजनाओं के पूरे हो जाने पर, जिस में विशाल आकार के जहाजों को ठहराने के लिए भारतीय पत्तनों का आधुनिकरण शामिल है, भारतीय लौह अयस्क की लागत तथा भाड़ा सहित लागत में उल्लेखनीय कमी हो जायेगी और यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतियोगी हो जायेगा ।

(ग) और (घ). जापानी खरीदारों को समझाया गया है कि भारत के अत्यधिक पुराने संभरक होने तथा दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए लोह अयस्क के बढ़ते हुए जापानी बाजार में भारत का विशेष दावा होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

8186. श्री जुगल मण्डल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि का आवंटन करके उन्हें वहां बसाने की कोई योजना है और यदि हां, तो इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) भूमि के आवंटन के लिये भूतपूर्व सैनिकों के कितने आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) चीन और पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमणों में घायल हुए सैनिक कर्मचारियों तथा उन सैनिकों के, जो इन आक्रमणों में वीर गति को प्राप्त हुए थे, के आश्रितों से पृथक-पृथक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं. रं. कृष्ण) (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है, और जभी प्राप्य हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उपूसी (नेफा) तथा लद्दाख सीमाओं पर चीनी सेना की शक्ति

8187. श्री जुगल मण्डल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपूसी (नेफा) तथा लाद्दाख सीमाओं के साथ-साथ चीन की कितनी-कितनी सेना तैनात है ;

(ख) क्या इन सीमाओं पर चीन का कोई वख्तरबन्द डिवीजन भी तैनात है यदि हां, तो उसकी शक्ति, स्वरूप तथा उपकरण का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सीमाओं के साथ-साथ चीन द्वारा कितने हवाई अड्डे बनाये गये हैं और इस समय वहां पर कितनी वायुसेना तैनात है और निकट भविष्य में कितनी वायुसेना तैनात की जाने की संम्भावना है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). चीनियों ने भारत की उत्तरीय सीमाओं पर लगभग 13 से 16 डिवीजन लगा रखे हैं।

सरकार के पास प्राप्त सूचना के अधिक विस्तार : प्रकट करना लोकहित में न होगा।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयात

8188. श्री म० ला० सोंधी : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम ने सोडियम नाइट्रेट, एनीलीन आयल और फेनाइल के लिये क्रयादेश नहीं दिये जिससे उनकी अत्यधिक कमी होने के कारण इनके मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजकीय व्यापार निगम सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने नौकरशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध चेतावनी दी थी जो बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी कि केवल राजकीय व्यापार निगम के द्वारा ही यह आयात किया जाना चाहिए ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) पुनर्विलोकन समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में राज्य व्यापार निगम की कार्य-चालन दक्षता बढ़ाने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं । सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है । समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

1969-74 की प्रतिरक्षा योजना की मुख्य मुख्य बातें

1. सेना की वर्तमान स्वीकृत जनशक्ति को बनाये रखा जायेगा परन्तु लड़ाकू जवानों की संख्या को बढ़ाकर तथा गैर-लड़ाकू जवानों की संख्या को कम करके तथा सेना को आधुनिक हथियार तथा उपकरण सप्लाई करके, जो कि बहुत सीमा तक तक सप्लाई कर दिये गये हैं, सेना की दक्षता में वृद्धि की जायेगी ।

2. 1969-74 की अवधि में नौ सेना में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी और उसको दोनों तटों पर अपना कार्य निभाने के योग्य बनाया जायेगा ।

3. नौसैनिक बेड़े के रखरखाव तथा उसको तैनात करने के काम में दक्षता लाने के लिए दोनों तटों पर 'बेस' सुविधाओं का विकास किया जायेगा ।

4. पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान रखकर वायुसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी ।

5. ऊंचे तथा नीचे उड़ने वाले शत्रु के विमानों का पता लगाने के लिए अधिक क्षेत्र में राडार लगाये जायेंगे ।

6. प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अधीन हथियारों, उपकरणों तथा गोलाबारुद के लिए उत्पादन सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा तथा उनका आधुनिकीकरण किया जायेगा ।

7. राडार योजना, विमानों के पुर्जों और अन्य आधुनिक उपकरणों के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिए उत्पादन सुविधायें उत्पन्न की जायेगी ।

8. प्रयोग में लाये गये साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए पद्धति विश्लेषण और लागत के अनुसार प्रभाव आदि का अध्ययन किया जायेगा और इन क्षेत्रों में सिविल तथा सेना के जवानों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ।

1969-74 के लिये प्रतिरक्षा योजना

8189. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-74 के लिये एक नई प्रतिरक्षा योजना बनाई जा रही है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के मुख्य लक्षण देर्शाने वाला एक विवरण सलंग्न है ।

(ग) रक्षा योजना 1969-74 पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही प्रत्याशित हैं ।

जैम और साग का निर्यात

8190. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश के सेवों, अदरक-जैम, पहाड़ी नीबू के रस और सरसों के साग का निर्यात किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुआं का किन देशों को निर्यात किया जायेगा और प्रत्येक वस्तु का कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा;

(ग) इससे प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी; और

(घ) इन वस्तुओं के उत्पादकों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तान की जेल में भारतीय युवक (जगमोहन सिंह)

8191. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जगमोहन सिंह नाम का एक भारतीय युवक पाकिस्तानी जेल में है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रिहाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 11-4-69 के "नेशनल हेराल्ड" में इस आशय की एक खबर छापी कि जगमोहन सिंह नाम के एक भारतीय लड़के को पाकिस्तान के जेल में रोक रखा गया है। लड़के की मां ने इस खबर की पुष्टि की है और पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन से इस बात का अनुराध किया गया है कि वह इस मामले में तुरन्त जांच पड़ताल करें।

थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट छोड़ने के (ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन) में घायल हुए इंजीनियर

8192. अनिरुद्धन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है थुम्बा ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन, केरल, में काम करने वाले कुछ इंजीनियर सोडियम चैम्बर में काम करते हुए गम्भीर रूप से घायल हो गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने उनके निकट तिकटतम सम्बन्धियों को इस दुःखद दुर्घटना की सूचना दी थी ; और

(ग) इनका इलाज कहां किया जा रहा है और उन्हें सुसज्जित अस्पतालों में इलाज के लिये न ले जाने क क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परीक्षणात्मक राकेटों के लिये सोडियम भरते समय 14 मार्च 1969 को थुम्बा ईक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन के दो इंजीनियरों की खाल जल गई थी किन्तु दोनों में से कोई इंजीनियर गम्भीर रूप से नहीं जला था।

(ख) जी, हां।

(ग) इन इंजीनियरों का इलाज मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम में किया गया जो कि एक सुसज्जित अस्पताल है।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना

8193. श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह के अंग के रूप में, 4500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक उर्वरक कारखाना लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बड़े परमाणु बिजलीघरों के आस-पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक कार्य संचालन वर्ग नियुक्त किया था। इस वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है, जो विचाराधीन है। इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा तथा निर्णय के बाद ही उसे क्रियान्वित करने का प्रश्न उठेगा।

उत्तर प्रदेश में अणु शक्ति से नलकूप चलाना

8194. श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह के अंग के रूप में अणु शक्ति से उत्पन्न विद्युत द्वारा चलाये जाने वाले लगभग 3,600 नलकूप लगाने के लिए अणु शक्ति आयोग ने योजनाएं बना ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). बड़े परमाणु बिजलीघरों के आस-पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक कार्य संचालन वर्ग नियुक्त किया था। इस वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है, जो विचाराधीन है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह के लिए एल्युमीनियम का कारखाना

8195. श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अणु शक्ति पर आधारित एक कृषि औद्योगिक कारखाना समूह की स्थापना के एक भाग के रूप में 150 टन प्रतिदिन उत्पादन वाले एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना संभवतः किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बड़े परमाणु बिजलीघरों के आस पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने के सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग ने एक कार्य-संचालन वर्ग नियुक्त किया था। 150 मीटरिक टन की दैनिक उत्पादन क्षमता वाले एक एल्यूमिनियम संयंत्र से युक्त इस समूह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में लगाने के बारे में विचार किया गया है। कार्य संचालन वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है जो विचाराधीन है।

सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सीमा सुरक्षा दल में नौकरी पर रखना

8196. श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सीमा सुरक्षा दल में नौकरी देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है ; और

(ग) एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त किये जाने के बारे में निर्णय किए जाने से अब तक कुल कितने अधिकारी सेवा मुक्त किए गए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) ऐसे ई० सी० ओज जो प्रार्थना पत्र भेजते हैं और उपयुक्त समझे जाते हैं सीमा सुरक्षा सेनाओं में खपा लिए जाते हैं।

(ख) 433 (15-4-1969 को)।

(ग) 3123 (15-4-1969 को)।

एम० ई० एस० के कर्मचारियों के आवेदनपत्र आगे भेजना

8197. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्थायी कर्मचारियों को मंत्रालय से बाहर सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जैसे कि निर्माण तथा आवास के अस्थायी कर्मचारियों के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के सुपरिन्टेन्डेन्ट वी०-आर० तथा ई०-एम० ग्रेड के मामले में यही प्रक्रिया न अपनाई जाने के क्या कारण हैं जबकि उनके लिये पदोन्नति के बहुत ही कम अवसर है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं. रं कृष्ण) : (क) और (ख). गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए व्यापक सिद्धांतों के अनुसार, स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र वर्ष में दो बार भेजे जाने होते हैं, अगर उनके विशिष्ट केडरों और वर्गों में कोई कमी न हो। इसी सिद्धांत का रक्षा के असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र भेजने में भी अनुसरण किया जा रहा है।

एम० ई० एस० के सुपरिन्टेन्डेन्ट बी०-आर० और ई०-एम० ग्रेड 1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के वर्ग में आते हैं उनकी असिस्टेंट एक्जीक्युटिव इंजीनियर के तौर पर पदोन्नति का प्रतिशत हाल ही में 10 से 25 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए यह कहना ठीक न होगा कि उनकी पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं।

सुपरिन्टेन्डेंटों के वेतनमानों का संशोधन

8198. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतनों के ढांचे में कोई परिवर्तन करने पर प्रतिबन्ध लगा होने के बावजूद सशस्त्र सेना मुख्यालय के सुपरिन्टेडेंटों को हाल ही में पुनरीक्षित वेतनमान दिये गये हैं जबकि उनके कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों में कोई मूल भूत परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसी मंत्रालय के अधीन मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सेवा कर रहे वी०-आर० तथा ई०-एम० प्रथम ग्रेड के सुपरिटेन्डेंटों के वेतन मान में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के सुपरिटेन्डेन्टों के वेतन मानों का संशोधन सशस्त्र सेनाओं के नियमित सेवाओं के संघटन के अभ्यास के तौर पर किया गया था : सैनिक इंजीनियरी सेवा में वी०-आर० और ई०-एम० ग्रेड 1 के सुपरिटेन्डेंटों की दशा में ऐसा कोई अवसर नहीं आया।

शिपिंग एजेंटों की एक फर्म के साथ हुए एक करार की अवधि पूरी होने से पूर्व उसे समाप्त किये जाने के कारण हानि

8199. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन सप्लाई मिशन लन्दन द्वारा सितम्बर 1962 में नौवहन एजेन्टों की एक फर्म के साथ 23 सितम्बर, 1967 तक के लिए किये गये करार को इसकी अवधि पूरी होने से पूर्व ही सरकार द्वारा 31 मार्च, 1966 को समाप्त कर दिया गया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार ने करार को 31 मार्च, 1966 को समाप्त कर दिया था।

(ख) अग्र-प्रेषण-एजेन्टों ने जिस आधार पर सरकार के लिए निशुल्क कार्य करना स्वीकार किया था, वह चीनी आक्रमण के बाद यू० के० से आने वाले जहाज लदान की मात्रा के एक दम बढ़ जाने के परिणामस्वरूप पर्याप्त बदल गया। इसके कारण ठेके की शर्तों में परिवर्तन करने की जरूरत का अनुभव किया गया, ताकि उस संकट-काल में भारत को आने वाले अत्यावश्यक सामान के आगमन की गति में कोई बाधा न पड़ जाए।

(ग) क्योंकि टेन्डर के आधार पर किसी अन्य फर्म से नया ठेका निष्पन्न करने में कुछ समय लग गया था, इसलिए जहाज लदानों के आगमन की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के उद्देश्य से 1-4-66 से 23-9-67 तक पारिश्रमिक के रूप में 24,365 पौंड अदा करने पड़े।

कपड़ा मिलों को मिलाना

8200. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश कपड़ा मिल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय कपड़ा मिल निगम द्वारा घाटे की मिलों की सहायता करने के बजाय बड़ी और लाभप्रद मिलों को यह अनुमति दी जाये कि वह बेरोजगारी से राहत देने के उपाय के बारे में आर्थिक दृष्टि से कमजोर मिलों को मिला लेवें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश कपड़ा मिल संघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त कपड़ा पुनर्गठन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

कपड़ा नियन्त्रण आदेश

8201. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े पर सितम्बर 1960 से अक्तूबर 1964 तक मूल्य नियन्त्रण अधिसूचना और परिपत्र संख्या टी० सी० (3) /60 दिनांक 6 जनवरी 1961 तथा पौल ॥ 2/ (21) /60 दिनांक 12 अक्तूबर, 1960, 2/6/ नियन्त्रण दिनांक 1 मार्च, 1961 और ई० बी०/ई० ए०/एन० बी० दिनांक 5 दिसम्बर, 1962 के अधीन सूती कपड़ा नियन्त्रण आदेश 1948 के मुख्य प्रयोजन के रूप में स्वेच्छा मूल्य प्रणाली के आधार पर लागू किया गया था ;

(ख) क्या सूती कपड़ा नियन्त्रण आदेश के अनुच्छेद 22 (3) के अर्थों के अनुसार उपर्युक्त मूल्य नियन्त्रण के उल्लंघन करने के फलस्वरूप किन्हीं व्यक्तियों अथवा मिलों के विरूद्ध जिन्होंने उपर्युक्त आदेशों के अधीन कपड़े पर छपे हुए और विहित मूल्यों से अधिक मूल्य लिए, कोई मुकदमे चलाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम तथा उनका विवरण क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सितम्बर, 1960 से अक्तूबर, 1964 तक सूती वस्त्रों पर कानूनी आधार पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं था ।

(ख) और (ग) : कानूनी मूल्य नियन्त्रण की अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी ऐसी पार्टी के विरूद्ध, जिस पर कपड़े का अधिक मूल्य लेने का आरोप हो, मुकदमा दायर करने का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु, इस विषय के कुछ पहलू इस समय एक विधि न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन

8202. श्री जुगल मण्डल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मार्च 1969 तक तमिलनाडु के किन-किन चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों का कोटा आवंटित किया गया और प्रत्येक को कितनी-कितनी मात्रा में कोरी फिल्में आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन चलचित्र निर्माताओं ने अपना कोटा अन्य चलचित्र निर्माताओं को बेच दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रीलंका और मलयेशिया के साथ भारत का व्यापार

8203. श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका और मलयेशिया के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप 1965 से अब तक इन देशों के साथ हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). सभी मित्र देशों-जिनमें श्रीलंका तथा मलयेशिया शामिल हैं—के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये, व्यापार अवसरों का प्रचार करके, हमारे निर्यात उत्पादों के प्रदर्शन, व्यापारिक यात्राओं को प्रोत्साहन तथा विदेशों में भारतीय पार्टियों द्वारा संयुक्त उद्यमों की स्थापना के द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत तथा श्रीलंका के बीच पहले ही एक व्यापार करार हो चुका है। सूती कपड़ों, सूखी मछली तथा मिर्चों का भारत से आयात करने के लिये श्रीलंका को सरकार को फरवरी 1966 में 2 करोड़ रु० का ऋण दिया गया था। अगस्त 1967 में उन्हें कुछ प्रकार की मशीनों, मशीनी औजारों, मोटर-गाड़ियों आदि का भारत से आयात करने के लिये 5 करोड़ रु० का एक अन्य ऋण दिया गया था। जून 1968 में भारत तथा श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसे दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग के उपाय ढूंढने तथा उन्हें निरन्तर क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। मलयेशिया के साथ एक व्यापार करार करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

1965-66 से 1968 69 (अप्रैल-दिसम्बर, 1968) के वर्षों में श्रीलंका तथा मलयेशिया को हमारे निर्यात तथा उनसे किये गये आयात निम्नलिखित हैं :—

(लाख रु० में)

	श्रीलंका		मलयेशिया	
	आयात	निर्यात +	आयात	निर्यात +
1965-66	402	12,85	F 12,77	F 12,25
+ +1966-67	272	18,53	12,40	10,48
1967-68	333	14,93	9,30	6,91
1968-69 (अप्रेल-दिसम्बर)	121	16,93	4,43	5,20

श्रीलंका को हमारे निर्यातों में वृद्धि हो रही है, सिवाय 1967-68 के, जबकि कुछ हमारी परम्परागत मदों जैसे चीनी, प्याज, मिर्च तथा मछली के निर्यात में गिरावट आई। मलयेशिया को हमारे निर्यात में कमी, अन्य बातों के अलावा, चीनी और पेट्रोलियम उत्पादों के नगण्य अथवा कम निर्यातों के कारण हुई।

\+ पुनर्निर्यात शामिल हैं।

+ +अवमूल्यन के बाद के रुपये में परिवर्तित अप्रेल-मई 1966 के आंकड़े शामिल हैं।

F सिंगापुर के आंकड़े भी शामिल हैं।

विद्रोही नागाओं का बातचीत करने का प्रस्ताव

8204. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे विद्रोही नागाओं ने प्रभु सत्ता की मांग छोड़ दी है तथा भारत सरकार के साथ शान्तिपूर्ण समझौता करने के बारे मैं वक्तव्य दिया है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार विद्रोही नागाओं के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करने के उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : छिपे नागाओं के समर्थकों की संख्या पहले ही बहुत कम हो चुकी है और अब तो ऐसा लगता है कि उनमें तीन गुट हो गए हैं। फिजो-समर्थक दल अब भी अपनी "प्रभुसत्ता" की मांग पर अड़ा हुआ है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग करने में विश्वास रखता है। लेकिन, ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति बड़ी तेजी से क्षीण होती जा रही है। दूसरे दल ने, जिसके नेता श्री कुघातो सुखई है, एक पत्र में सरकार को लिखा है कि "समझ-बूझ से भारत और नागालैंड के बीच एक सम्मानजनक संपर्क खोज निकालने के लिए" बातचीत फिर शुरु की जाए। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखें, जो नागालैंड में रहने वाले भारतीय नागरिकों से मिलकर हमेशा प्रसन्न होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो राज्य के शासन को बेहतर बनाने के सुझाव दें। तीसरे दल ने जिसमें आओ कबीले के कुछ प्रमुख छिपे नागा हैं, अपना पक्ष भी साफ-साफ नहीं बताया है, सिवाय इतना करने के कि नागाओं के सभी दलों की एकता के लिए कार्य करेंगे ।

(ख), (ग) और (घ). छिपे नागाओं में फूट पड़ जाने से ऐसा लगा है कि अब सभी दल यह दावा करते हैं कि वे नागालैंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी "समझौते" का पक्षधर होने का उन्हें अधिकार है। वास्तव में, नागा नेताओं के साथ जिनमें से कुछ वर्तमान सरकार में है, 1960 में ही एक समझौता हो गया था और अब इस समय आगे "बातचीत" करने की आवश्यकता ही नहीं है। नागालड के लोगों का प्रतिनिधित्व का सबसे मजबूत दावा नागालैंड की मौजूदा सरकार के नेताओं का ही है। वे एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव में पुनः सत्ता में आए है जिसमें लगभग 78% मतदाताओं ने मतदान किया था। भारत सरकार नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था का पालन करने में और नागालैंड को भारत संघ के एक सुखी और शाँत अंग के रूप में विकसित करने में वहां की कानून द्वारा बनाई गई सरकार का पूरा-पूरा समर्थन कर रही है।

आयात कोटे के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाना

श्री चेंगलराया नायडू
8205. श्री रा० बरुआ
श्री नि० रं० लास्कर

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयात कोटे के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ;

(ग) प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस प्रक्रिया से आयात में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (घ) : आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया की निरन्तर समीक्षा की जाती है और आयातकों की सुविधा के लिये इसे समय समय पर सरल बनाया जाता है ।

(ख) और (ग) . आयात व्यापार नियन्त्रण नियमों तथा प्रक्रिया की नई पुस्तिका, 1969,जिसमें लाइसेंस सम्बन्धी प्रक्रिया विस्तार से दी गई है, शीघ्र ही व्यापारियों के मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध हो जायेगी ।

लौह अयस्क का निर्यात

8206. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क का जापान द्वारा रूस और उत्तर कोरिया को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों को गत तीन वर्षों में यदि लौह अयस्क या इस्पात का निर्यात किया गया है तो कितने मूल्य का ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . जापान से भारतीय लौह अयस्क के ऐसे किसी पुनर्निर्यात की सूचना नहीं मिली है और न इसकी संभावना ही है क्योंकि लौह अयस्क एक विपुल परिमाण वाली मद है जिसकी चढ़ाने-उतारने की भारी लागत को देखते हुए उसका एकक मूल्य कम है और दूसरी बात यह है कि सोवियत संघ जापान सहित विभिन्न गन्तव्यों को लौह अयस्क का स्वयं ही एक बड़ा निर्यातक है।

(ग) भारत ने सोवियत संघ को, जो स्वय ही लौह अयस्क का एक बड़ा निर्यातक है; लौह अयस्क का कोई निर्यात नहीं किया है ।

गत तीन वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों को किये गये लौह अयस्क तथा इस्पात के निर्यातों को दर्शाने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 971-69**]

लक्ष्मीरतन काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

8207. श्री शशि भूषण : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड कानपुर के कारोबार के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले है ;

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर क्या कार्य-वाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स संकट की स्थिति में बना हुआ है और उसमें केवल 1000 से कुछ अधिक कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि 1966 में इसके बन्द होने से पहले इसमें 4,000 से अधिक कर्मचारी काम करते थे, क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) चूंकि समिति का प्रतिवेदन गोपनीय प्रकार का है, अतः उस की विषय-वस्तु बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) चूंकी मिल ने 23 अक्तूबर, 1967 को पुनः काम चालू कर दिया, अतः समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रजिस्टर में दर्ज 2,595 कर्मचारियों में से 2,210 कर्मचारी 1-1- 1969 को मिल में काम पर थे।

जोर्डन के साथ व्यापार करार

8208. श्री चेंगलराया नायडू
श्री रा० बरुआ
श्री नि० रं० लास्कर

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जोर्डन ने एक व्यापार करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या 1961 में भी ऐसा ही व्यापार करार किया गया था ; और

(घ) वर्तमान करार 1961 के करार से कहां तक उत्तम है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1969 में अम्मान में भारत तथा जोर्डन के प्रतिनिधियों के बीच 1969 के लिए एक व्यापार प्रबन्ध पर हस्ताक्षर हुए । इस व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत पंचांग वर्ष 1969 में भारत जोर्डन से 315 लाख रु० मूल्य की 3,25,000 मी० टन राक फास्फेट का आयात करेगा तथा जोर्डन को 378 लाख रु० मूल्य का माल निर्यात करेगा ।

(ग) और (घ). 18 जुलाई, 1963 को भारत तथा जोर्डन के बीच पहली बार एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे और वह अब तक लागू है । उपर्युक्त व्यापार प्रबन्ध 1963 के करार के अनुसरण में है और उसी के अनुरूप है ।

सूती कपड़े के उत्पादन तथा मूल्यों पर नियंत्रण

8209. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े के उत्पादन तथा मूल्यों पर स्वैच्छिक नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 1960 से अक्तूबर, 1964 तक की अवधि में सभी तरह का उत्पादन करने वाली कपड़ा मिलों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि वे अपने कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन कपड़े की केवल उन मोटी तथा निम्न मध्यम किस्मों का करें जो सामान्य उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करने के लिये भारतीय कपड़ा मिल संघ तथा कपड़ा आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से चुनी जाती थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूती कपड़े के मूल्य तथा नियंत्रण के बारे में वर्तमान आदेश में कपड़े की मोटी तथा निम्न मध्यम किस्मों का 25 प्रतिशत उत्पादन करके राहत देने का उपबन्ध नहीं है तथा सामान्य उपभोक्ता को कपड़े की इन किस्मों की अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वस्त्र उद्योग द्वारा क्रियान्वित स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत मिश्रित मिलों को सूती कपड़े के अपने कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत का जनसाधारण में लोकप्रिय किस्मों के रूप में उत्पादन करना होता है परन्तु इसमें मोटी तथा निम्न मध्यम किस्मों का ही होना अनिवार्य नहीं है ।

(ख) इस समय लागू उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण केवल नियन्त्रित कपड़े की मोटी तथा निम्न मध्यम किस्मों पर ही लागू होता है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

सेवा निवृत व्यक्तियों की भारतीय राजनयिक मिशनों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्तियां

8210. श्री बृजराज सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनीति से सन्यास लिये हुए, समाज सेवियों, सेवानिवृत आई० सी० एस० अधिकारियों, न्यायाधीशों और सेना, नौसेना और वायुसेना के भूतपूर्व अधिकारियों की संख्या कितनी है जो विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य प्रमुख पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उनके नाम और योग्यताएं क्या-क्या हैं और वे किन-किन पदों पर हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) (1) राजनीतिज्ञों सहित जन-नेता	9
(2) सेवा-निवृत्त भारतीय सिविल सेवा। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी	1
(3) सेवा-निवृत्त रक्षा सेवा अधिकारी	2
(4) सेवा-निवृत्त न्यायाधीश	1
	कुल 13

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 972/69**]

भारत के साथ सीमा विवाद हल करने के लिये चीन का प्रस्ताव

8211. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में पेकिंग में जापान के सत्तारूढ़ लिबरल डैमोक्रेटिक दल के सदस्यों के साथ हुई चीन के प्रधान मन्त्री की वार्ता के दौरान चीन के प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों, जो जापान के समाचार पत्रों में छपे हैं और 10 अप्रैल, 1969 को 'हिन्दू' में उद्धृत किए गए हैं, की ओर दिलाया गया है कि भारत के साथ सीमा विवाद बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिये न कि सशस्त्र सेना या दबाव द्वारा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीन के प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का ब्योरा टोकियो में अपने मिशन के माध्यम से प्राप्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बताया जाता है कि प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई ने कहा है कि प्रादेशिक विवादों को शान्तिपूर्ण बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए । लेकिन, कहा जाता है कि भारत का उल्लेख करते समय उन्होने भारत पर प्रादेशिक आक्रमण की नीति अपनाने का आरोप लगाया था जो उनके अनुसार 1962 में नाकाम करदी गई थी ।

(घ) चीन के प्रधान मन्त्री के इस कथित बयान में हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रमण से संबंध तथ्यों को बिल्कुल उलट दिया गया है । जो भी हो, चीन सरकार चीन-भारत सीमा प्रश्न को शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे को प्रादेशिक एकता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए अगर तय करना चाहेगी तो हम इस पर विचार करने को तैयार रहेंगे ।

अनुसंधान, विद्युत विकास तथा ईंधन परिष्करण कार्यक्रम

8212. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने अपने अनुसंधान, विद्युत विकास तथा ईंधन परिष्करण कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 330 करोड़ रुपये की राशि मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(घ) क्या देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कोई परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में बिजली उत्पादन करने की कितनी क्षमता स्थापित की जायेगी ; और

(च) उक्त कार्यक्रम का अन्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) साधनों की कमी तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों

के लिये की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिये की गई 398.10 करोड़ रुपये की मांग के बदले विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये फिलहाल 242.08 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है।

(घ) वर्तमान अवस्था में योजना के अन्तर्गत कोई भी नया परमाणु बिजलीघर लगाने के लिये साधनों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ङ) प्रत्येक राज्य में बिजली-उत्पादन की स्थापित की जाने वाली क्षमता निम्न-लिखित है :

प्रायोजना का नाम	राज्य का नाम जिसमें बिजलीघर लगाया जायेगा	बिजलीघर की क्षमता
तारापुर परमाणु विद्युत प्रायोजना	महाराष्ट्र	380 मैगावाट
राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना I तथा II	राजस्थान	400 मैगावाट
मद्रास परमाणु विद्युत प्रायोजना I	तामिल नाडू	200 मैगावाट

(च) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित 243.08 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 120 करोड़ रुपये विद्युत-उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये, 61.18 करोड़ रुपये अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के लिये और 60.90 करोड़ रुपये औद्योगिक तथा खनिज कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किये गये हैं।

संयुक्त उपक्रमों के बारे में युगोस्लाविया के साथ वार्ता

8213. श्री सु०कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया द्वारा संयुक्त उपक्रम आरम्भ किये जाने के बारे में युगोस्लाविया के सर्वोच्च योजना निर्माताओं के एक दल तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कोई वार्ता हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). युगोस्लेव फेडरल योजना आयोग के अध्यक्ष डा० रिकर्ड स्टाजनेर के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल

ने 4 से 14 अप्रेल, 1969 तक भारत का दौरा किया और योजना आयोग से विचार-विमर्श किया। बातचीत, दोनों देशों के मध्य दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं से सम्बन्धित थी। इस संदर्भ में, दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने की संभावनायें और कतिपय उद्योगों के विकास में सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि दृढ़ निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए तकनीकीस्तर पर विस्तृत अध्ययन किये जाय।

गधों का निर्यात

8215. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विदेशों को गधों का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने गधों का निर्यात किया गया तथा उस से विदेशी मुद्रा को कितनी आय हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय भारत प्रति वर्ष कितने तथा किन किन पशुओं का निर्यात करता है तथा उस से प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . गधों का निर्यात न तो निर्यात नियन्त्रण आदेश, 1968 के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और न इस मद को संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत ही किया गया है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि गत तीन वर्षों में गधों का निर्यात किया गया या नहीं, और यदि किया गया तो उनकी संख्या तथा मूल्य कितना रहा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका स्थित भारतीय दूतावास तथा ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कर्मचारी

8216. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947 में जब वाशिंगटन में भारतीय दूतावास और लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय स्थापित किये गये थे, उस समय की तुलना में अब वहां कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास पर और लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय पर अब अलग अलग कितना वार्षिक व्यय होता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) .

सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 973/69)**

लौह और मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी

8217. श्री शिंकरे : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि 16 फरवरी से 17 अप्रेल, 1969 तक की अवधि में लौह और मैंगनीज अयस्क के निर्यात में काफी कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों की पूरी तरह जांच की है जिन से निर्यात में कमी हुई है और परिणामतः भारत की विदेशी मुद्रा की आय में भारी हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन अयस्कों के निर्यात में कमी का एक कारण यह है कि श्रमिकों में असंतोष फैला हुआ है जिसके परिणामस्वरूप बजरे वाले गैंगमैन, और विंच-वाले आदि प्रायः हड़ताले करते रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार श्रम तथा रोजगार और पुनर्वास, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालयों के सहयोग से निर्णायक उपाय कर रही है ताकि खान उद्योग को संकट से बचाया जा सके और विदेशी मुद्रा की हानि न होने पाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . मुर्मगोआ बन्दरगाह स्थित लौह तथा मैंगनीज अयस्क के कतिपय निर्यातकों के बजरे वाले 16 फरवरी, 1969 से आंशिक हड़ताल पर हैं। यद्यपि हड़ताल की अवधि के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात की तथ्यपूर्ण आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है तथापि प्राप्त जानकारी से यह पता चला है कि जब से हड़ताल शुरू हुई है तब से निर्यातों में गिरावट आ गयी है । हड़ताल की अवधि के दौरान अयस्कों के निर्यात में हुई कमी के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के उपार्जनों में होने वाली हानि के परिणाम को निर्धारित करने का यह उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि ऐसा संभव है कि हड़ताल की अवधि के दौरान निर्यातों में हुई कमी वर्ष के उत्तरार्ध में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पूरी हो जायेगी । अतः वर्ष के अन्त में ही हानि के परिमाण का बिलकुल ठीक निश्चय हो सकेगा ।

(घ) गोआ, दमन तथा दीव की सरकार मुर्मगोआ बन्दरगाह में हाल ही में हुई हड़ताल से सम्बन्धित मामले का सक्रिय रूप से अनुशीलन कर रही है । हड़ताली बजरेवालों के साथ समझौते के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाने के पश्चात् गोआ, दमन तथा दीव सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतें दर्ज कराना प्राधिकृत कर दिया । शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं और न्याय में उनकी सुनवाई आरम्भ हो गयी है ।

गोआ से लौह अयस्क का निर्यात

8218. श्री शिंकरे : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छोटे खान मालिकों को ईमानदार खरीदार ढूंढने में, जो उन्हें उचित दाम दे सकें, कठिनाई होती है और वे गोआ से अयस्क निर्यातकों की दया पर निर्भर हैं;

(ख) क्या सरकार को गोआ में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की शाखा के प्रभारी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये का पता है जो छोटे खान मालिकों के हितों की रक्षा करने की बजाय बड़े खान मालिकों तथा निर्यातकों के हाथों उनको समाप्त करने में सहायक हो रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ में होने वाले लौह अयस्क के निर्यात को अपने हाथ में लेने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). गोआ के अयस्क का निर्यात, खान मालिक निर्यातकों द्वारा जो कि इस अयस्क का निर्यात गोआ की स्वतन्त्रता से पूर्व करते थे, अब भी किया जाता है। गोआ के अन्य खान मालिकों का ऐसा परम्परागत सम्बन्ध रहा है कि वे अपने उत्पादन को उन खान मालिक निर्यातकों के सुपुर्द कर देते हैं जो अपने उत्पादन सहित उसका निर्यात करते हैं। गोआ के अयस्क की खरीदार मुख्य रूप से जापानी इस्पात मिलें ही रही हैं और स्वेज नहर के बन्द होने पर तो वे लगभग एकमात्र खरीदार रही हैं। इन निर्यातकों को न केवल अपने उत्पादन के सम्बन्ध में अपितु गैर-निर्यातक खान मालिकों से प्राप्त होने वाले अयस्क के बारे में भी, उन मिलों की आकार तथा एल्यूमिना अंश के सम्बन्ध में अधिकाधिक कठोर विशिष्टियों के आग्रह को भी पूरा कराना होता है। इस बात के कारण छोटे खान मालिकों के लिए तो कठिनाइयां उत्पन्न हो ही रही है परन्तु स्वयं खान मालिक निर्यातकों को भी कम कठिनाइयां नहीं हो रही हैं।

जापान को लौह अयस्क के संभरण की खनिज तथा धातु व्यापार निगम की संविदाओं में गोआ को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों का अयस्क शामिल है। जापानी इस्पात मिलें गोआ के अयस्क की अपनी आवश्यकताएं अपने परम्परागत संभरकों से ही पूरी करती है। फलतः जापान को निर्यात किये जाने वाले लगभग 80 लाख टन गोआ अयस्क की तुलना में निगम द्वारा पूर्वी यूरोप के खरीदारों की संविदाओं को पूरा करने के लिए गोआ के अयस्क की खरीद मुश्किल से 2 लाख टन प्रतिवर्ष तक ही सीमित है। ऐसा सीमित मात्रा के लिए, जो गोआ के कुल अयस्क उत्पादन की 3 प्र0 श0 है, निगम बड़े खान मालिकों से तभी माल लेता है जबकि छोटे खान मालिकों से अपेक्षित गुण का अयस्क प्राप्त न हो रहा हो।

(ग) ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, यह प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे पटसन के दाम

8219. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी फसल के लिए कच्ची पटसन के न्यूनतम मूल्य कब घोषित करने का विचार है;

(ख) किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि पटसन मिलों द्वारा न्यूनतम मूल्यों से और कम मूल्यों पर पटसन खरीदे जाने की बजाये वास्तव में न्यूनतम मूल्यों पर ही पटसन खरीदी जाये ।

(ग) क्या सरकार को पता है कि अनेक पटसन कम्पनियों की पटसन की वस्तुएं बनाने के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं बनाने में भी अपने कार्य का विस्तार करने की योजनाएं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात के लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि आधुनिकीकरण के लिए दिये गये ऋणों का दुरुपयोग न होने पाये और उनको ऐसे कार्यों के लिए खर्च न किया जाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1969-70 के मौसम के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है।

(ख) बफर स्टाक खरीदने की कार्यवाही द्वारा मूल्यों को न्यूनतम समर्थन स्तर पर अथवा उससे अधिक पर बनाए रखने का विचार है ।

(ग) और (घ) . पटसन मिलों को आधुनिकीकरण तथा विविकरण के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण दिए जा रहे हैं । आशय तथा ऋण करार में यह व्यवस्था है कि ऋणों का केवल उन्हीं योजनाओं के लिये प्रयोग किया जायेगा जिनके लिये आवेदन पत्र दिए गए थे और निगम द्वारा धन राशि दी गई थी । राशि का वितरण करने से पूर्व निगम यह जांच करता है कि जो व्यय किया गया है वह उन परिसम्पत्तियों पर है जो योजना का एक भाग है, कि व्यय के समर्थन में वास्तविक बीजक हैं और यह कि संयंत्र तथा मशीनरी के लिए, जिन्हें योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है, जहां तक सम्भव हो मशीनरी सम्भरकों को ही सीधा भुगतान किया जाता है । इसके अतिरिक्त, मिलों द्वारा विविधीकरण । आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अर्जित परिसम्पत्तियों का निगम के अधिकारियों द्वारा उसी स्थान पर निरीक्षण करके वस्तुगत सत्यापन किया जाता है ।

रूस द्वारा पाकिस्तान को विमानों की सप्लाई

8220. श्री रा० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस पाकिस्तान को लड़ाकू और बमवर्षक विमान सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस निकट भविष्य में 100 मिग-19-एस और 60-70 मिग-21 एस विमान और 30-40 आई० एल० 288 विमान देने के लिए भी सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रूस के इस निर्णय से पाकिस्तान की वायुसेना की शक्ति दुगुनी हो जायेगी ; और

(घ) एस द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये जाने वाले विमानों से बढ़ने वाली पाकिस्तान की वायुसेना की शक्ति से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . सरकार को इस सम्बन्ध में कोई पक्की सूचना नहीं है।

(घ) भारतीय वायु सेना की शक्यता में वृद्धि करने के लिये उपयुक्त पग सरकार उठाती रही है।

कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन

8221. श्री जुगल मण्डल : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी को कोरी फिल्मों का कितना कितना कोटा दिया गया :

(1) मल्हाजी पिक्चर्ज, मद्रास (2) फिल्म क्रैफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (3) आर० डी० बन्सल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता (4) पद्मिनी पिक्चर्ज, मद्रास (5) रय्यम प्रोडक्शंज, मद्रास (6) विश्वभारती, मद्रास (7) श्री पांडुरेग प्रोडक्शंज, मद्रास (8) गणेश प्रोडक्शन ;

(ख) क्या उपरोक्त फिल्म कम्पनियों के विरूद्ध इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे कोरी फिल्मों का अपना अधिकतर कोटा अधिक दामों पर अन्य फिल्म कम्पनियों को बेच देते है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों में जांच कराई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास के चलचित्र निर्माताओं को कोरी फिल्मों के अभ्यंश का आवंटन

8222. श्री जुगल मण्डल : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में मद्रास की फिल्म कम्पनियां अर्थात (1) हिमालयन फिल्मस (2) चित्र सागा (3) सुप्रिय पिक्चर्ज (4) कामानी फिल्मस (5) चित्रालय (6) ए० वी० एम० स्टुडियो (7) ए० टी० के० प्रोडक्शंज (8) माडर्न थियेटर्ज लिमिटेड (9) शीला प्रोडक्शंज को कितनी कितनी कोरी फिल्में आंवटित की गई ; और

(ख) क्या सरकार को उक्त फिल्म कम्पनियों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनको बम्बई फिल्म उद्योग की तुलना में कोरी फिल्मों का कोटा कम दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना

8223. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म समवायों तथा फिल्म निर्माताओं में से प्रत्येक को जिनको चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है, कोरी फिल्मों का कितना कितना कोटा दिया गया :

(1) रचना फिल्मस, बम्बई (2) श्री ए० के० चक्रवर्ती, बम्बई (3) एमजी फिल्मस, बम्बई (4) श्री राज ऋषि, बम्बई (5) श्री विश्व भारती फिल्मस (प्रा०) लिमिटेड (6) श्री मोहन सहगल (7) जीनत प्रोडक्शंज, बम्बई (8) दिबित्री फिल्मस, (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (9) श्री बी० नगेन्द्रराव मद्रास :

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त फिल्म निर्माताओं अथवा फिल्म समवायों ने कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : **(क) से (ग)** . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना

8224. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन समवायों को चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है, उनमें से प्रत्येक फिल्म समवाय को अर्थात् (1) राजकमल कला मन्दिर (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (2) डी०आर० कोया एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (3) एस० मुकर्जी फिल्म सिन्डीकेट (प्रा०) लिमिटेड (4) बम्बई मोवीटोन (प्रा०) लिमिटेड (5) आनन्द फिल्म (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई को गत तीन वर्षों में कोरी फिल्मों का कितना कितना कोटा दिया गया ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों का कोटा दिया जाना

8225. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या विदेशी व्यापापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (1) ए० आर० प्रोडक्शंज, बम्बई (2) आल इन्डिया पिक्चर्ज (3) आदर्शलोक, बम्बई (4) अजन्ता आर्ट्स (5) बाबास फिल्मस (6) बम्बई फिल्म लेबोरेट्रीज (प्रा०) लिमिटेड (7) भाव-दीव फिल्मस (8) चित्रलोक (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई (9) फिल्म युग, बम्बई (10) प्रमोद फिल्मस (11) फिल्मालय (प्रा०) लिमिटेड (12) डिम्पल फिल्मस को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन फिल्म समवायों को कोरी फिल्मों का कोटा कम मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में प्रेक्षपास्त्रों का निर्माण

8226. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रेक्षपास्त्रों के निर्माण में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल. ना. मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि-उद्योग समूह

8227 श्री रा० कृ० सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति पर आधारित कृषि-उद्योग समूह के लिए एक परियोजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बड़े परमाणु बिजलीघरों के आस-पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक कार्य संचालन वर्ग नियुक्त किया था। इस वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है, जो विचाराधीन है। इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा तथा निर्णय के बाद ही उसे क्रियान्वित करने का प्रश्न उठेगा।

पारादीप पत्तन से लौह-अयस्क का निर्यात

8228. श्री रामावतार शर्मा : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट से पत्तन तक रेलवे लाइन न होने के कारण पारादीप पत्तन से लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि नहीं की जा सकती ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) : वर्तमान रेल-सह-सड़क मार्ग से पारादीप पत्तन को लौह-अयस्क भेज कर पारादीप पत्तन से निर्यात करने की वचनवद्धताओं को अब तक पूर्ण रूप से पूरा किया गया है। किन्तु, इस पत्तन से निर्यात के लिये लौह अयस्क की बढ़ी हुई मात्रा में सप्लाई की सम्भावनाओं को देखते हुए पूर्वी पत्तन से पारादीप पत्तन तक रेल मार्ग स्थापित करना पूर्ण रूप से उपयुक्त सिद्ध होता है।

(ख) कटक-पारादीप रेल मार्ग के लिये पहले ही मन्जूरी दी जा चुकी है। इस पर निर्माण कार्य 12 फरवरी, 1969 को प्रारम्भ हो गया है और इसके तीन वर्ष के भीतर पूरे हो जाने की सम्भवना है।

Acquisition of Land in Village Nangal Rai in West Delhi

8229. Shri Shri Gopal Saboo : Will the Minister of Defence be pleased to State :

(a) whether it is a fact that nearly 100 acres of land in village Nangal Rai in West Delhi was acquird in 1947-48 for use by his Ministry ;

(b) whether it is also a fact that Government have neither paid adequate compensation nor any rent is being paid therefor inspite of the owners having written to Government many a time ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps proposed to be taken to settle the matter early and to pay compensation to the land-owners ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) : Government are in possession of an area of 28.22 acres of privately owned land situated in village Nangal Raya. This area was a part of the larger area requisitioned by the Government. An offer of rent/rental compensation has been made by the Collector to owners of a part of the land and sanction has been issued up to the period 31st December, 1967, in respect of rent/rental compensation for the remaining land.

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय दस्ते के बारे में टिप्पणी

8230 श्री भोगेन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मार्च ऑफ दी नेशन' नामक साप्ताहिक ने । मार्च, 1969 के अपने अंक में लिखा है कि वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का भारतीय दस्ता

आसूचना का एक महत्वपूर्ण साधन है और हमारे अधिकारी अपने जवानों का मूल्य एक बोतल हिवस्की समझते हैं और बंगाल और केरल पर अधिकार करने की बात करते है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 1-3-69 के साप्ताहिक 'मार्च आफ दि नेशन' में छपी खबरें देखी हैं। इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये किसी तथ्य पर आधारित नहीं।

एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी का तबादला-पदावनति

8231. श्री मधु लिमये : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरल स्टोर, दिल्ली (प्रतिरक्षा विभाग के एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी का तबादला-पदावनति कर दी गई है और उसका कोर्ट मार्शल किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जनरल स्टोर सैक्शन अथवा इस सैक्शन से बाहर के किसी अधिकारी तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन तीनों जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जनरल स्टोर्स निरीक्षण निदेशालय के एक अफसर के विरुद्ध कई आरोपों की एस० पी० ई० द्वारा जांच के परिणामस्वरुप, एस० पी० ई० ने सिफारिश की है कि अफसर के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इसलिए मामला सेन अधिनियम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है और प्रमाणों के संक्षेप रिकार्ड करने के लिए अफसर को उस की सेवा के वर्तमान स्थान पर एक यूनिट के साथ नियुक्त किया गया है। अफसर इस समय एक कार्यवाहक पद धारण किए है, और वह उस पद की नियुक्ति की तिथी से 21 दिन तक धारण कर सकता है।

(ग) और (घ). न तो जनरल स्टोर्स सेक्शन ने और न बाहर के किसी अफसर ने उपरोक्त आपोरों के संबंध में कोई जांच की है, कि जिन की जांच एस० पी० ई० ने की थी। तदपि, अफसर के विरुद्ध लगाए गए कई अन्य अरोपों की जांच की गई थी। यह आरोप (जिनकी एस0 पी0 ई0 द्वारा जांच नहीं की गई थी) या तो निराधार पाए गए थे, या इतने व्यापक स्वरुप के थे कि उनकी जांच हो नहीं सकी थी।

प्रतिरक्षा सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों के साथ जनरल स्टोर्स (प्रतिरक्षा) के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी का सम्बन्ध

8232. श्री मधु लिमये : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग को प्रतिरक्षा सामग्री सप्लाई करने वाली विभिन्न फर्मों के साथ जनरल स्टोर्स, दिल्ली (प्रतिरक्षा विभाग) के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के साले-बहनोई का सम्बन्ध रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के नाम क्या हैं और अधिकारी के सम्बन्ध का इन फर्मों के साथ कितनी अवधी तक सम्बन्ध रहा और उसके सम्बन्ध होने की अवधि में कितने मूल्य के प्रतिरक्षा आर्डर उन फर्मों को दिये गये ;

(ग) क्या इस सेना अधिकारी ने अपने साले-बहनोई के इन फर्मों के साथ सम्बन्ध होने को प्रकट किया था और यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या इस अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने अपने साले-बहनोई से सम्बन्धित फर्म को आर्डर दिलाने में अनुचित रूचि दिखायी और अनुचित प्रभाव डाला ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). मई 1963 में रक्षा उत्पादन विभाग के व्यापक सामानों के निरीक्षण निदेशालय के एक अफसर ने घोषणा की थी कि उसका साला सर्वश्री दिल्ली स्माल स्केल्ज़ इंडस्ट्रीज़ में शामिल हो गया है।

12 जनवरी, 1967 को उस अफसर ने घोषण की कि उसका साला सर्वश्री वीजय इंडस्ट्रीज का स्वामी था, जो रक्षा विभाग के लिए एक मद के निर्माण में प्रवृत्त थे। 4 दिसम्बर, 1967 को अफसर ने घोषणा की कि उसका साला सर्वश्री एल० डी० मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ दिल्ली के साथ एक भागीदार के तौर पर संबंधित था, जिन के पास रक्षा के ठेके थे। इन फर्मों के साथ उस अफसर के संबंध की अवधि सरकार को ज्ञात नहीं है। इन फर्मों को भेजे गए आर्डरों के मूल्य के सम्बंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). सर्वश्री एल० डी० मल्होत्रा एण्ड कम्पनी दिल्ली को भेजे गए एक आर्डर के सम्बंध में अफसर के विरुद्ध एस० पी० ई० दिल्ली ने एक मामला रजिस्टर किया है, मामला अधीनियम के अनुसार चलाया जा रहा है।

प्रतिरक्षा विभाग को प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई

8233. श्री मधु लिमये : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, 32 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-20 तथा उनकी सहायक फर्में प्रतिरक्षा विभाग को प्रतिरक्षा सामग्री सप्लाई करती आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से तथा उन्होंने अब तक लगभग कितने मूल्य की सामग्री सप्लाई की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी विभाग-संसद् की लोक लेखा समिति ने इन फर्मों के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट दी हैं कि उन्होने ठेकों का उल्लंघन करके घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इन फर्मों के विरुद्ध उन्हें किसी सामान्य काली सूची में रखने का आदेश दिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RECALLING ATTENTION NOTICE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस ध्यान दिलाने वाली सूचना में सदस्यों की सूची में श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम पांचवा है । वह इस समय तिहाड़ जेल में । यह पहला अवसर है जबकि सत्र की अवधि में एक माननीय सदस्य को दस दिन के कारावास का दण्ड दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची उनकी दोष-सिद्धि से पहले छप गई थी, जब ध्यान दिलाने वाली सूचना ग्राह्य की गई थी हमें यह पता नहीं था कि वह किसी कानून का उल्लंघन करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार को पुन: आरम्भ करने तथा अन्य मामलों के बारे में दोनों देशों के उच्चायुक्तों की वार्ता

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"The reported talks between India and Pakistan High Commissioners and the Chief Minister of West Bengal regarding the resumption of trade between the two countries and Calcutta Meeting's plea for confederation.

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (1) भारतीय सदस्य संभवत: अखबार की इस खबर का उल्लेख कर रहे हैं कि कलकत्ता की यात्रा के समय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से मिले थे और इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था । पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यह भेंट केवल शिष्टाचार के नाते की थी और इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू करने का प्रश्न बहुत सामान्य रूप से उठाया गया था । पश्चिम बंगाल सरकार के नेताओं ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने का वे स्वागत करेंगे लेकिन यह विषय केन्द्र सरकार की परिधि में आता है ।

2. भारत और पकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू करने के विषय में सरकार के विचार सर्वविदित हैं । हमने तो मई 1966 में ही पाकिस्तान के साथ व्यापार करने पर

प्रतिबन्ध हटा लिया था । लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसा नहीं किया है और पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार करने पर अब भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हमने कई बार राजनयिक सूत्रों के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार पुनः प्रारम्भ करने की वांछनीयता बताई है किन्तु पाकिस्तान सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है ।

3. कलकत्ता में 26 अप्रेल की बैठक में भारत-पाक परिसंघ के समर्थन से सम्बद्ध वक्तव्यों का जहां तक प्रश्न है, यह बात उस बात से बिल्कुल भिन्न है जिसकी मैंने अभी-अभी चर्चा की है । कलकत्ते की इस बैठक के बारे में हमने अखबारों में खबरें देखी हैं जिसमें कुछ वक्ताओं ने, जिनमें कुछ संसद सदस्य भी थे, शांति की प्रगति के व्यापक हित में भारत और पाकिस्तान का एक परिसंघ बनाने के समर्थन में भाषण दिए थे । ये वक्तागण अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहे थे और उनके विचार सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । पाकिस्तान से सम्बन्ध बेहतर करना और सहयोग बढ़ाना तो भारत सरकार की नीति है लेकिन हम दोनों देशों के बीच परिसंघ नहीं चाहते ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I agree that foreign diplomats also call on the Chief Ministers of the States as courtesy call but it is oversimplification to treat these as courtesy call. The hon. Minister has just stated that we want to have talks with Pakistan for the resumption of trade with her but she does not want to reciprocate. But the High Commissioner of Pakistan discussed certain matters, which are under the Central Government with the Chief Minister of West Bengal. This is a very mischievous move by Pakistan. Pakistan is not honouring the Taskent Agreement and they are selling the Indian goods seized during the Indo-Pakistan conflict. May I know from whose side the initiative was taken—whether from the side of the Chief Minister of West Bengal or from the side of the High Commissioner of Pakistan for holding talks ? According to Press reports the initiative was taken by the Chief Minister of West Bengal.

May I also know whether a protest Note has been handed over to the High Commissioner of Pakistan ? It was wrong on the part of any diplomat or High Commissioner of any country to have talhs with a Chief Minister of a stat in such manner and it will create a bad precedent for future. Will the Government tell every diplomat categorically that they should approach the Central Government for having talks on the matter which come under the perview of the Central Government ? This is a well known fact that there is virtually a Communist Government in West Bengal having a sympathy from China. China and Pakistan are friendly countris at present and China is supplying arms to Pakistan. It is therefore feared that China, Pakistan and West Bengal may incdulge in some consipiracy. May I know whether keeping all these things in view Government are keeping a close watch on their activities ?

Shri Dinesh Singh : I would like to make it clear that the foreign diplomats are not supposed to have diret talks with our State Government on any matter whether it may be Central subject or State subject. They can have discussions through Central Government only. We are sure that no objectionable discussions were held between them. I have already stated that the West Bengal Government leaders mentioned to the High Commissioner that they would welcome normalisation of relations between the two contries but it was a matter under the perview of the Central Government. I had a talk with a Minister of West Bengal in this regard and I am sure that it was only a courtesy call.

As regards the consipiracy of these three parties, I would like to say that Government is aware of their responsibility and always keep close watch on any such event. It is very difficult to impute motives on any one. Apparenty West Bengal Government have not done any objectional thing.

Shri Kanwar Lal Gupta : I wanted to know who took up initiative for holding talks. Have you protested aganist it ?

Shri Dinesh Singh : I have alraady stated that they did not have any direct discussion on any subject. It was only a courtesy call. I think there was no question of taking any initiatine from any side. The Pakistan High Commissioner had taken permission from the Government for this courtesy call.

Shri Deven Sen (Asansol) : We welcome the initiative for talks for the resumption of trade between India and Pakistan. We have no conflict with public of Pakistan. We should have cordial relation with Pakistan because it is in the interest of both the countries. Keeping all these things in view may I know the views of the Government in regard to the resumption of trade between the two countries and also in regard to the Confederation ?

Shri Dinesh Singh : I have already stated that we have removed the ban on trade with Pakistan but Pakistan has not reciprocated and trade with India continues to be banned in Pakistan. While it is the policy of the Government of India to improve and develop cooperation and retations with Pakistan; we are not seeking confederation between the two countries. We do not have any ill-feelings against the public of Pakistan.

Shri Kamehwar Singh (Khagaria) : May I know whether the High Commissioner of India in Pakistan has said some thing which confirms the views expressed by Pakistan High Commissioner.

Shri Dinesh Singh : If the hon. Member wants to know whether our High Commissioner in Pakistan has told us that the Pakistan High Commissioner wanted to have direct talk with the West Bengal Government by ingnorig the Centre about the trade relation, I would like to make it clear that he has not said any such thing.

Shri Sita Ram Kesry (Katihar) : We should not doubt the bonafide and patriotism of Chief Minister of United Front Government Shri Ajoy Mukerjee. It is good that we removed the ban on trade with Pakistan in 1965. May I know what is the reaction of Pakistan on this step of ours ? May I also know whether Pakistan is abiding by the Taskent Agreement ?

Is it not a fact the that Russia and America are supplying arms to Pakistan, that is why she always thinks in terms of taking revenge of the conflict of 1965 ?

Shri Dinesh Singh : I agree with the hon. Member that we should not make such allegations against anybody. It is wrong to say that the people of West Bangal do not think in terms of national interest.

So far as the effect of removig ban on trade with Pakistan on the public of Pakistan is concerned, they must have realised that India want friendly relation with them. But Pakistan Government have not taken any steps to improve relations with us according to the Taskent Agreement. I agree with the views of hon. Member regarding the military aid to Pakistan.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

यूरेनियम कॉरपोरेशन ग्रॉफ इण्डिया लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उपमंत्री (श्रीमति नन्दिनी सत्पथी): मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ग्रोर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा, बिहार, के 4 अक्तूबर, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा, बिहार, का 4 अक्तूबर, 1967 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 959/69]**

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, प्राग टूल्स लिमिटेड तथा मज़गांव डाक लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रे० कृष्ण) : मैं श्री ल० ना० मिश्र की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) गार्डन रीचवर्कशाप्श लिमिटेड, कलकत्ते का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(पांच) मज़गाव डाक लिमिटेड, बम्बई, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 960/69]**

निम्नत्तम टैंडर स्वीकार न किए गये मामले दिखाने वाला विवरण

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : मैं 31 दिसम्बर,

1968 को समाप्त हुई छःमाही के उन मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टैंडर स्वीकार नहीं किये गये। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 961/69]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही-सरांश

श्री पें वेंकटासुब्बया (नन्द्यालय) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) शिक्षा मंत्रालय—भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार-के बारे में 69 वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग)—वन विद्या—के बारे में 76 वां प्रतिवेदन।

(3) गृह-कार्य मन्त्रालय—केन्द्रीय जांच ब्यूरो—के बारे में 78 वां प्रतिवेदन।

(4) गृह-कार्य मन्त्रालय—केन्द्रीय सतर्कता आयोग—के बारे में 84 वां प्रतिवेदन।

(5) औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी-कार्य मन्त्रालय-बैरल उद्योग के निषिद्ध सूची में होने के बावजूद उसमें अतिरिक्त क्षमता की मान्यता—के बारे में 85 वां प्रतिवेदन।

(6) पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय—भारतीय तेल निगम द्वारा 1966-67 में टैंडर संख्या ओ पी/टेन-7/65 पर तैल बैरलों के खरीद—के बारे में 86 वां प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही-सारांश

श्रीमती सावित्री श्याम (झांवला) : मैं 17 और 29 अप्रेल, 1969 को हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की क्रमशः तैंतीसवीं और चौंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखती हूँ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PELITION

कार्यवाही सारांश

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : मैं याचिका समिति की तेतालीसवीं से सैंतासीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PABLIC UNDER TAKINGS

कार्यवाही सारांश

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरन तारन) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) प्राग टूल्स लिमिटेड के बारे में 25वां प्रतिवेदन [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968 के सैक्शन चार में पैराग्राफ]

(2) भारत के उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट के बारे में 26वाँ प्रतिवेदन [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968 के सैक्शन दो में पैराग्राफ]

(3) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बारे में 27वां प्रतिवेदन [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968 के सैक्शन दो में पैराग्राफ]

(4) मज़गांव डाक लिमिटेड, बम्बई के बारे में 42वां प्रतिवेदन ।

(5) भारत के उर्वरक निगम के सिंदरी यूनिट के बारे में 43वां प्रतिवेदन [लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968 के सैक्शन दो में पैराग्राफ]

(6) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के बारे में 44वां प्रतिवेदन ।

(7) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मोसियोटिकल्स लिमिटेड के बारे में 46वां प्रतिवेदन ।

(8) सरकारी उपक्रमों में सार्वजनिक सम्बन्ध तथा प्रचार के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

(9) भारत के औद्योगिक वित्त निगम के बारे में 49वां प्रतिवेदन ।

(10) भारत के राज्य व्यापार निगम के बारे में 51वां प्रतिवेदन ।

(11) बीस "की गई कार्यवाही" प्रतिवेदन, संख्या 22वां, 23वां, 24वां, 28 वें से 41वां, 45वां, 48वां और 50वां प्रतिवेदन ; और

(12) प्रक्रियात्मक तथा विविध विषय ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री पें बेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ:—

(1) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—देशीय जल परिवहन—के बारे में 74वां प्रतिवेदन ।

(2) औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा कम्पनी-कार्य-मंत्रालय—बेरल उद्योग के निषिध सूची में होने के बावजूद उस में अतिरिक्त क्षमता की मान्यता—के बारे में 85वां प्रतिवेदन ।

(3) पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय-भारतीय तेल निगम द्वारा 1966-67 में टेंडर संख्या ओ पी/टेन-7/65 पर तेल बैरलों खरीद— के बारे में 86वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत सरकार के चुने हुए मंत्रालयों के प्रकाशन—88वां प्रतिवेदन ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

(1) विनियोग लेखे (रेलवे) 1966-67 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) 1968 के बारे में 60वां प्रतिवेदन ।

(2) वित्त, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, सूचना तथा प्रसारण, लोहा तथा इस्पात और पूर्ति, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन आदि मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1964-65 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1966 के बारे में लोक लेखा समिति के 68वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वार की गई कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन ।

(3) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा मंजूर किए गए वस्तु-विनिमय सम्बन्धी सौदों के विषय में लोक लेखा समिति के 50वें, 55वें और 56वें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 68वां प्रतिवेदन ।

(4) इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग (इस्पात विभाग); स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास; खाद्य, कृषि; सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (सहकारिता विभाग) और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालयों सम्बन्धी

विनियोग लेखे (सिविल) 1966-67 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1968 के बारे में 71वां प्रतिवेदन ।

(5) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क [राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के अध्याय दो तथा तीन] के बारे में 72वां प्रतिवेदन ।

(6) प्रत्यक्ष करों [राजस्व प्राप्तियां सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के अध्याय चार तथा पाँच] के बारे में 73वां प्रतिवेदन] ।

(7) वन विभाग, अन्दमान (खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय) सम्बंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968, अध्याय अठारह, के बारे में 74वां प्रनिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE OR PUBLIC UNDER TAKINGS

प्रतिवेदन

श्री गु० सि० ढिल्लो : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बंधी निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ :—

(1) भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 30 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 34 वां प्रतिवेदन ।

(2) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, नई दिल्ली, के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 23 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन ।

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 37 वां प्रतिवेदन ।

(4) सरकारी उपक्रमों में सामग्री सम्बन्धी प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 40 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 38 वां प्रतिवेदन ।

(5) इंडियन आयल कारपोरेशन (विपणन डिवीजन) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 35 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 39 वां प्रतिवेदन ।

(6) सरकारी उपक्रमों में सार्वजनिक सम्बन्ध तथा प्रचार के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(7) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बारे में 51 वां प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE OR GOVERNMENT ASSURANCES

पांचवां प्रतिवेदन

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : मैं सरकारी आश्वसनों समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूँ।

याचिका समिति
COMMITTEE OR PETITIONS

पांचवां प्रतिवेदन

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं याचिका समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

साक्ष्य

श्री सं० चं० सामन्त : मैं याचिका समिति के समक्ष दिये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय
MATTER UNDER RULE 377

Shri Beni Shanker Sharma (Barka) : I rise on a point of order. A matter can not be taken for discussion in this House which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any pat of India.

Prosesution proceedings are going on againt the Shankaracharya in a court of Patna. Unless the Court gives its dccision how can we discus this matter here ?

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं जानते हैं कि पटना में क्या हो रहा है। हम केवल सामान्य नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : I am thankful to you that you have allowed me to make a statement in the House. On the 29th March, 1969. in the World Hindu Conference held at Patna, Shri Shankaracharya of Puri made a statement to the effect that according to shastras untouchability is permissible and that he held that view. He also did not recognise our national anthem and walked out when it was being recited. He had thus violated the Constitution and insulted our national anthem. Centain other people and three Muths have come out in support of the Shankaracharya and have thus challenged the self respect of 15 Crores of Harijans and adivasis. As a result, great dissatisfaction is spreading among them throughout the country. In order to cheek this dissatisfaction, these people should be immediately arrested and prosecuted and awarded strictest punishment. The Shartras that allow such things should be banned and the Muths which preash Untouchability should be taken over by the Government.

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : गृह कार्य मन्त्री महोदय ने 2 अप्रेल, 1969 को सभा को बताया था कि पटना में हुए हिन्दू विश्व सम्मेलन में पुरी के शंकराचार्य ने बोलते हुए कहा था कि अस्पृश्यता गलत नहीं है। गृह कार्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन भी दिया था कि कानून के अन्तर्गत शंकराचार्य के विरूद्ध मुकदमा चलाये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बातचीत की जायेगी। शंकराचार्य के विरूद्ध यह वक्तव्य देने के लिये कार्यवाही करने के बारे में सरकार ने कानूनी सलाह ली है। हमें यह सलाह दी गई है कि शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिये जाने से अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है और तदनुसार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) (क) के अन्तर्गत ऐसा करना दंडनीय है।

मुकदमा चलाने के लिए बिहार सरकार से भाषण के पाठ की सत्यता की जांच करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने बताया है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत पुलिस मामला चला रही है तथा इस सम्बन्ध वह तुरन्त जाँच आरंभ कर रही है।

शंकराचार्य द्वारा 8 अप्रेल को दिल्ली में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और वह मामले की जाँच कर रही है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : किंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जांच के बाद यह सब कुछ देखा जायेगा।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मुकदमा चल रहा है सरकार वक्तव्य दे रही है। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है...**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही की जायेगीं। इस प्रकार टिप्पणी करना उचित नहीं है।

वित्त विधेयक, 1969—जारी
FINANCE BILL, 1969—Contd.

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक पर 5 घण्टे और 25 मिनट विचार कर लिया है और 4 घण्टे और 35 मिनट का समय अभी इसके लिए शेष हैं। उपमंत्री महोदय शाम को वाद-विवाद का उत्तर देंगे। इस पर कल खंडवार विचार किया जायेगा।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : खंडवार विचार के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। यदि आधा घंटा समय बढ़ाना चाहे तो समिति की बैठक में विचार किया जा सकता है।

** कायवाही वृ न्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recerded.

Shri Achal Singh Agra : Mr. speaker, Sir, I would like to say something about the economic condition of India. India is a poor agricultural country and fifty percent of our national income comes from the agriculture. The burden of taxation in the country has been increasing year by year during the last 17 years and now it has become intolerable. In India per capita tax comes to Rs. 60 or 65. If our public undertakings are efficieently run, there would not be any need for further taxation. We have about 80 public undertakings in the country in which a capital of Rs.3,500 Crores is inverted. They should be able to give us the profit Rs. 700 to 800 Crores every year, though they are running in loss at present. Similarly the Railway should give us an income of Rs. 700 to 750 Crores every year. Wasteful expenditure must be eliminated, If the Government is unable to show profit in the public undertakings, there is no justification for taking over banking and other industries, for there concerns would also then start showing losses.

Untouchability is a big evil in the society. While it has been eliminated from the cities to a great extent with the cooperation of the public, it still persiss in the villages. The Shankaracharya has reffered to two thousand years old Shastras in support of untouchability, But even at that time Lord Mahavir raised vaice against untouchability and gave the message that human beings are low or high according to their acts not according to their birth. We should celebrate his twenty fifth salvation centenary and should popularise his message among the people for elimininting untouchability from the society.

Law and order situation in the country is very serious. Nobody feels himself secure. There is an atmosphere of indiscipline, intimidation and violence and crores of rupees worth of national property is destroyed by people whenever any issue comes up. Therefore until and unless we improve the law and order situation in the country. Our democracy can not survive. We will have to raise the moral standards of the people and instil a spirit of patriotism among our youth to stop them from indulging in these activities.

I would like to say that the burden of taxes on the middle classes is already high. Therefore, the raising income tax on incomes between Rs. 10,000 and Rs. 20,000 is not justified, The exemption limit of duty on the food preservation industry should be raised from Rs. 50,000 to 1,50,000. The sytem of assesment of agricultural income should be simplified. In the case of individual, 30 acres should be exempted and in the case of a joint family, 40 acres should be exempted from taxation.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस वर्ष के आय न्यायक में आम जनता को करों में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। इससे पहले भी भूतपूर्व वित्त मंत्रियों ने आम जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं दी थी। आज कांग्रेस सरकार को शासन करते हुए 20 वर्ष हो गये हैं। वर्ष 1950 में जब पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था तो यह बताया गया किन मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर देश का आर्थिक विकास किया जायेगा। सबसे पहले हमने यह माना था कि समाज का समाजवादी ढांचा होना चाहिए। वर्ष 1951 में जब हमने योजनाबद्ध रूप से देश का आर्थिक विकास करने का निर्णय किया था, तो हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किये थे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समय निर्धारित किया गया था उनमें से एक उद्देश्य यह था कि वर्ष 1970-71 तक प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय दुगुनी की जाये, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह अवधि बढ़ा कर 1975-76 कर दी गई थी। दूसरा उद्देश्य यह रखा गया था कि खेती पर निर्भरता वर्ष 1950-51 में 70 प्रतिशत से कम करके वर्ष 1975-76 में 1975-76 में 60 प्रतिशत की जाये। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता

प्राप्त करना आय और सम्पत्ति की विषमता को समाप्त करना, आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में संचित होने से रोकना और 1975-76 तक विदेशी सहायता का त्याग करना। ये पांच उद्देश्य थे जिन्हें प्राप्त करने के लिये 1950-51 में कुछ लक्ष्य तिथियां निश्चित की गई थी। हमें अब देखना यह है कि सरकार को इन्हें प्राप्त करने में किस हद तक सफलता मिली है।

यदि हम प्रति व्यक्ति की आय को 1970-71 तक दुगना हो जाने की बात लें, तो हम देखेंगे कि स्वयं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1967-68 तक उसमें केवल 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि दर से प्रगति हुई तो 1950-51 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसे दुगुना होने में 55 वर्ष का समय लगेगा और वह 1975-76 के बजाय सन् 2005 तक दुगुनी हो सकेगी।

1950-51 में 70 प्रतिशत लोग खेती का कार्य करते थे। सरकार 1975-76 तक इस प्रतिशतता को 70 से घटाकर 60 करना चाहती थी। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने 1967 में कृषि-कार्य सम्बन्धी जो आंकड़े दिये उनसे पता चलता है कि 1960-61 में 73.21 प्रतिशत लोग खेती का काम करते थे। इस मामले में तो कमी के स्थान पर वृद्धि हुई है। इससे जान नहीं पड़ता कि उस तिथि तक इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा।

उर्वरक पर उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि का औचित्य सिद्ध करते हुए श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि अब किसान खुशहाल हो गये है और उन्हें देश के विकास पर होने वाले खर्च में भागीदार होना चाहिए। परन्तु एक अन्य स्थान पर उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि कई वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है और किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें केवल 1964-65 और 1967-68 में कुछ राहत मिली है। ऐसी दशा में एक फसल के अच्छे हो जाने पर ही उर्वरक पर शुल्क बढ़ा देना कहां तक उचित है। अधिक उपज वाले बीजों का लाभ भी तो उसी स्थिति में होगा जबकि किसानों को उर्वरक पम्पिंग सैट और कीटनाशी दवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। भारत में उर्वरक सब देशों से अधिक मंहगा है।

किसी ने कहा कि 29,000 करोड़ रुपये की राशि में से 14,500 करोड़ रुपये कृषि पर खर्च हुए है। परन्तु खेती में 70 प्रतिशत लोग हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुल पूंजी का 50 प्रतिशत तो देश के 70 प्रतिशत लोगों पर खर्च होता है शेष 50 प्रतिशत उन 30 प्रतिशत लोगों पर जिनका पेशा कृषि नहीं है। कृषि पर अपेक्षाकृत पूंजी कम लग रही है। इसलिए कृषि उत्पादन कम होता जा रहा है। वर्ष 1960-61 में 6707 करोड़ रुपये के मूल्य का कृषि उत्पादन हुआ था जबकि 1966-67 में 6392 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ।

अध्यक्ष महोदय:—माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् पूरा करें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adyourned for Lunch tile Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन पश्चात् 2 बजकर 3 मिनट म० प० पर पुनः समवेत: हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the chair]

श्री नम्बियार : श्रीमान, यह एक गम्भीर मामला है । संसद सदस्य श्री चक्रपाणि जो गिरफ्तार करके जेल में रखे गये हैं, बहुत बीमार हैं। अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं ; केवल कम्पाऊंडर ही है ।

श्री स मो. बनर्जी : इस बात को गृह-कार्य मंत्री के ध्यान में लाया जाना चाहिये तथा उन्हें तुरन्त चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिये ।

श्री सेझियान : एक और महत्वपूर्ण मामला है जिस की ओर से सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । वह है केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का । आम-व्ययक की चर्चा करते समय केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की कई बार चर्चा की गई और उप प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया कि आर्थिक मामलों में राज्यों की केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है । वे केन्द्र से आर्थिक सहायता मांगते रहते हैं । उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि केन्द्र राज्यों का अभिभावक बनता जा रहा हैं । उन्होने कहा है कि यह सब व्यवस्था संविधान में दी गई है और उसी के अनुसार केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आज बने हुए हैं । उनके कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले में कोई विषमता नहीं है । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्यों को आर्थिक सहायता ऋण के रुप में अधिक और अनुदान के रुप में कम दी जाती है । इससे केन्द्र को एक लाभ यह होता है कि वह राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है । यदि केन्द्र और राज्यों के आय-व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को देखे तो और भी अधिक विस्मय होता है । केन्द्र का कुल राजस्व 1950-51 में 409 करोड़ रुपये था जबकि सब राज्यों का मिलाकर कुल राजस्व उस समय केवल 396 करोड़ रुपये था 1967-68 में केन्द्र का राजस्व 2739-करोड़ रुपये था जबकि सब राज्यों का राजस्व 2377 करोड़ रुपये था। 1950-51 में राज्यों का खर्च 393 करोड़ रुपये था जो 1967-68 में बढ़कर 2427 करोड़ रुपये हो गया। इसके विपरीत केन्द्र का खर्च 1950-51 में 347 करोड़ रुपये हुआ और 1967-68 में 2425 करोड़ रुपये हुआ वे सब संसाधन जिनसे अधिक आय होती है, केन्द्र को सौंपे गये हैं और समाज में विकास कार्य और अनिवार्य सेवाओं के विषय राज्यों को दिये गये हैं जिन पर अधिक खर्च की सम्भावना होती है और वास्तव मैं जिन पर अधिक खर्च होता है। राज्यों का खर्च उनकी आय की तुलना मैं कहीं अधिक बढा है । राज्यों को 1950-51 में 8.5 करोड़ रुपये ऋण-प्रभार के रूप में देनेपड़े थे जबकि 1967-68 में उन्हें ब्याज ऋण-प्रभार के रूप में 400 करोड़ रुपये की राशि चुकानी पड़ी। कितनी बडी राशि राज्यों को ऋण प्रभार के रूप में देनी पड़ती है । इस प्रकार राज्यों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बहुत बड़ा अंश ऋण के वापसी भुगतान के स्नप में काटलिया जाता है ।

कई सेवाओं की राज्यों और केन्द्रों में दुहरी व्यवस्था है जिन पर दुहरा खर्चा होता है । उदाहरण के लिए कृषि के विषय को लिया जाये । कृषि राज्यों का विषय है । उसके विकास आदि के लिए राज्य उत्तरदायी हैं । परन्तु केन्द्र ने भी कृषि मन्त्रालय और कृषि विभाग खोले हुए हैं। सब राज्यों ने कृषि विभागों में नियुक्त कर्मचारियों आदि पर 1.44 करोड़ रुपये 1963-64 में खर्च किये जबकि केन्द्र ने जिसका कृषि विषय भी नहीं है, कृषि सम्बन्धी विभाग पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किये । इस प्रकार की दुहरी व्यवस्था को समाप्त करने से जो बचत हो राज्य वह राज्यों को दी जानी चाहिए ।

श्री मनोहरन ने यह मांग की थी कि अनुच्छेद 263 के अनुसार केन्द्र-राज्य सम्बन्ध परिषद स्थापित की जाय। मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद 274 में भी इसके लिए व्यवस्था है। उसमें कहा गया है कि इस प्रकार के कराधान प्रस्तावों या संशोधनों को जिनसे राज्य के हितों पर प्रभाव पड़े, पुरः स्थापन से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके पास भेजा जाये। चौथे वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 61 पृष्ठ पर इस बात का समर्थन किया है। वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त संस्था को स्थापित करने का सुझाव दिया जिसे उन्होंने केन्द्र राज्य वित्त परिषद् का नाम दिया'। इस परिषद् में केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधि मिलाकर महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों पर विचार करें, ऐसा सुझाव दिया गया है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): There are now two copies of Finance Bill before us—one introduced yesterday by the hon. Minister and the other circulated by the Secretariat. The latter has got an amendment enclosed to it. May I know as to which copy of the Bill should be taken as the authenticated one?

सभापति महोदय : इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री सेज़ियान : मेरे विचार से केंद्र-राज्य वित्त परिषद बहुत लाभदायक रहेगी। क्योंकि संघात्मक ढांचे में केन्द्र और राज्यों को हिस्सेदारों के रूप में काम करना चाहिये और उन्हें देश के सुनियोजित विकास के लिए पारस्परिक विचार विमर्श और परामर्श के आधार पर आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिये।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि तमिलनाडु में सूखा पड़ा है। वहाँ कि स्थिति दयनीय है। मेरा उप प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध है कि वह तमिलनाडु के लोगों की वास्तविक भूख को शान्त करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि वह तमिलनाडु के लोगों की माँगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

श्री बी० ना० कथ्थम (जलपाईगुड़ी) : फलों और सब्जी से बने उत्पादों पर सरकार ने 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बढ़ाया है मुझे इसके बारे में बड़ी चिन्ता है, मेरा अनुरोध है कि सरकार फल और सब्जी से अन्य उत्पाद तैयार करने वाले उद्योगों पर से यह शुल्क हटा ले। इस उद्योग के लिए 1055 एककों को लाईसेन्स प्राप्त है जिनमें से 850 एकक कुटीर उद्योग स्तर के है। इनमें 116 एकक ऐसे है जिनकी क्षमता 10 लाख रुपये तक की है और 19 एकक बड़े उद्योगों में गिने जा सकते हैं। इनमें से लघु एकक तो वास्तव में बढ़े हुये उत्पादन शुल्क का भार वहन नहीं कर सकेंगे। चीनी खटाई वाले सत्त, टिनों, बोतलों और समान बाँधने वाले माल के मंहगे भावों के कारण तैयार की गई सब्जियों और फलों पर इतनी उत्पादन लागत आ जाती है कि अधिकतर एकको को लाभ मिल ही नहीं पाता है। यदि इस उपकर के परिणामस्वरूप तैयार फलों या सब्जियों का मूल्य और अधिक बढ़ाया जायेगा तो उपभोक्ता उसे खरीदने में हिचकने लगेगा। माल की बिक्री कम होने से उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार उत्पादन शुल्क का भार उत्पादकों पर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर नहीं। फल और सब्जी परिष्करण उद्योग अभी इस देश में शैशवावस्था में हैं यदि इसी समय उस पर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क और बढ़ा दिया गया तो वह आगे पनप न सकेगा और वह उद्योग ही नष्ट हो जायेगा। अतः यदि सरकार इस उद्योग को नष्ट होने से बचाना चाहती है तो उसे उस पर से यह शुल्क उठा लेना चाहिए। अन्य मित्रों के साथ मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि उर्वरकों पर से भी उत्पादन शुल्क उठाया जाये। क्योंकि उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क के बढ़ाने से सभी श्रेणियों के किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं उन नगण्य रियायतों की चर्चा नहीं करूंगा जिनकी उप प्रधान मन्त्री ने कल घोषणा की थी। नये कर 127 करोड़ रुपये के लगाये गये हैं जबकि छूट केवल 5½ करोड़ रुपये की दी गई है। मैं तो सरकार की कुछ नीतियों की चर्चा करना चाहता हूँ जिनके आधार पर बजट तैयार किया गया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 22 वर्ष बाद भी स्थिति यह है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए हमें तकनीकी जानकारी का विदेशों से सहयोग लेना पड़ता है। विदेशी सहयोग के कारण उत्पादन-लागत में वृद्धि होती है और उसका परिणाम यह होता है कि हमारी वस्तुएं विश्व की मण्डी में प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में पिछड़ जाती हैं। कल ही श्री अशोक मेहता ने कहा था कि दूरतटीय क्षेत्रों में छिद्रण कार्य का ठेका विदेशी कम्पनियों को देना होगा, क्योंकि हमारे पास तकनीकी जानकारी का अभाव है। क्या यह सच नहीं है कि हमने अपने प्रयत्नों से जो तेलशोधक कारखाना कोयली में बनाया है, उस पर जितना खर्च हुआ उससे दुगना खर्च बर्मा-शैल द्वारा स्थापित तेलशोधक कारखाने पर 1951 में हुआ था। इस प्रकार विदेशी हमारे देश को अब भी लूट रहे हैं।

उर्वरक उत्पादन की दिशा में क्या प्रगति हुई? उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में भी हमारी नीति दूसरों पर आश्रित रहने की है। हमारे देश में कोयला फास्फेट तथा पाइरायट से उर्वरक बनाया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोयले से उर्वरक तैयार करने की विधि खोज निकाली थी। छः या सात वर्ष पूर्व एक ऐसी परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ भी किया गया था परन्तु उस पर दो करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के बाद उसे अमरीकी दबाव के कारण एकदम बन्द कर दिया गया। अब हमारे यहाँ नैफ्था से उर्वरक बनाया जा रहा है। इन कारखानों में जो नैफ्था से उर्वरक तैयार करते हैं विदेशी तकनीकी से काम किया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की डिजाइन आदि बनाने में सहयोग ही नहीं लिया जाता। वास्तव में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों इंजिनियरो और डिजाइनरों में प्रतिभा है, वे अच्छा काम करते है परन्तु उन्हें काम करने का अवसर ही नहीं दिया जाता उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि उसे 10 लाख टन उर्वरक की उत्पादन-क्षमता वाला एक कारखाना लगाने की अनुमति दी जाये और वह इस कारखाने को शुद्ध भारतीय तकनीकी डिजाइन आदि के आधार पर स्थापित करना चाहती थी परन्तु क्या उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई? एक दूसरा उदाहरण लीजिए। योजना और विकास विभाग के इंजिनियरों ने विशेष प्रकार के कैटेलिस्ट तैयार किये जिनके बनाने में देशी कच्चा माल लगाया गया। इसी आधार पर उर्वरक निगम ने भारत सरकार से कैटेलिस्ट औद्योगिक कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस मांगा। सरकार ने इसके लिए उन्हें लाइसेंस नहीं दिया। वस्तुतः सरकार पर अमरीकी दबाव पड़ा और अमरीका की कैटेलिस्ट एण्ड कैमिकल्स नामक कम्पनी को कैटेलिस्ट संयंत्र के लिए लाइसेंस दिया।

विमान उद्योग के बारे में भी एक ऐसा ही उदाहरण दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अलुमिनियम की कमी है परन्तु हमारे यहा क्रोमियम की आधिक्य है। परन्तु क्या हमारी सरकार ने अपने इंजिनियरों और वैज्ञानिकों को क्रोमियम तकनीक ईजाद करने के लिए कभी कहा है? हमारे वैज्ञानिकों ने क्रोमियम 'तकनीक का विकास किया है जिसके आधार पर क्रोमियम से विमान बनाये जा सकते है। सरकार ने उन वैज्ञानिकों को पर्याप्त धन

भी नहीं दिया। इसका कारण है कि सरकार इन बातों में रूचि नहीं लेती है। वह तो विमान बनाने के लिए भी विदेशी सहयोग पर निर्भर रहना चाहती है। इन परिस्थितियों में देश में आत्म निर्भरता कैसे आ सकती है ? चूंकि हमारे देश में वैज्ञानिको इंजिनियरों तकनिशनों आदि को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता इसलिए वे भारत छोड़कर विदेशों में चले जाते है। ऐसी नीतियाँ हमारी सरकार अबतक अपनाती रही है जिनसे आत्म-निर्भरता कभी प्राप्त की ही नही जा सकती। एक ओर हम स्वदेशी वस्तुओं की बात करते है और दूसरी और विदेशिया के साथ सहयोग समझौते करते रहते है।

व्यापारियों की उद्यमशीलता भी हमारे यहां विचित्र प्रकार की है। हमारे यहां उद्योग-पति तिकड़म भिड़ाना जानते है। वे जानते हैं, कहा से क्या वस्तु प्राप्त हो सकती है ; किस अधिकारी को पकड़ कर क्या काम निकलवाया जा सकता है। कालाधन और चोरबाजारी उनके सहयोगी हैं। इसी कारण भ्रष्टाचार का बोलवाला अधिक है। आज तो 'ईमानदारी उत्तम नीति है' के स्थान पर यह कहावत ठीक जचती है कि 'बेईमानी उत्तम नीति है।' क्योंकि आज बेईमानी से लोग अधिक लाभ उठा रहे हैं। सरकारी तंत्र से भी भ्रष्टाचार तब तक नहीं समाप्त हो सकता है जब तक देश में काला धन और चोरबाजारी अपना नग्न नृत्य करते रहेंगे।

जिन नीतियों का लम्बे समय से अनुसरण किया जा रहा है उनसे एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है। फिर भी सरकार नये ढंग से नहीं सोच रही है। स्वतंत्रता से पूर्व स्वदेशी आन्दोलन किया गया था और उस समय विदेशी पूंजी से भारत में लगे कपड़े के मिल के उत्पादन को भी विदेशी समझा जाता था। आज तो 'स्वदेशी' शब्द शेष रह गया है जिसका राग आलापा जा रहा है। आज तो अधिकतर उद्योग विदेशी सहयोग से स्थापित किये जा रहे हैं और स्वदेशी तकनीक के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है हम विदेशो से प्राद्योगिकी से सम्बन्धित जानकारी की भीख मांगते हैं। हमारा विश्व में आत्म-सम्मान कहां है ? अतः मेरा सरकार से यह कहना है कि वह अपनी वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करे। यदि वह ऐसा न करेगी तो उससे देश में असंतोष और निराशा का वातावरण बनेगा और सामाजिक असमानताएं बढ़ती जायेंगी। बेरोजगारी की दृष्टि से युवकों में अब भी निराशा है कल ही लगभग 50 युवकों का एक दल संसद को बेरोजगारी की समस्या के बारे में एक याचिका पेश करने आया था। सरकार उन्हें पकड़कर तिहाड़ जेल में बन्द कर देगी। उनकी याचिका का सरकार के पास यही उत्तर है। परन्तु इस प्रकार के उत्तर से कब तक काम चलेगा ?

कांग्रेस दल की फरीदाबाद मे हाल में बैठक हुई। उसमें भी वे आर्थिक नीति के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सके। अब तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कांग्रेस और स्वतंत्र दलों की नीतियों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजालिंगप्पा ने हाल ही में कहा कि सरकारी उद्यागों से कोई लाभ नहीं है और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। यदि एक दिन कांग्रेस और स्वतंत्र दल मिलकर एक दल बना लेंगे तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा।

मैं यह बल पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वर्तमान नीतियों के कारण देश पर संकट आया

है । उनसे देश के लोगों में असंतोष फैला है । आज देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका कारण है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अस्थिरता । अस्थिरता और बेरोजगारी से लोगों में असंतोष और निराशा फैलती है । इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि हमारे वित्त मंत्री ने दो वर्ष पूर्व जब कार्यभार संभाला था उस समय देश की अर्थव्यवस्था जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी । उसे सुदृढ बनना या उसे अस्थिरता के पंक से निकालना ही उस समय वित्त मंत्री के लिए मुख्य कार्य था । यह कार्य बहुत बड़ा और जटिल था । वित्त मंत्री ने इस दिशा में प्रयास किये । उन्होंने एक ओर तो वित्त सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों को अनुशासित किया दूसरी ओर अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिससे लोगों में विश्वास मिला और अर्थ व्यवस्था को विकास के अवसर । यदि वित्त मंत्री के प्रयत्नों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उन्हें सफलता मिली है ।

[(श्री रा० ढो भण्डारे पीठासीन हुए)
Shri R.D. Bhandare in the chair]

सबसे पहली सफलता जो वित्त मंत्री को मिली है, वह है मूल्य-स्थिरता की । दूसरे कृषि और उद्योग के दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है । निर्यात के क्षेत्र में भा उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है जिससे अर्थव्यवस्था पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली । परन्तु इन सफलताओं के परिणामों से लाभ उठाने के लिये, अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाये रखने के लिये हमें और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को कड़ा परिश्रम करते रहना है ।

अब में वित्त विधेयक के सर्वाधिक विवादग्रस्त विषय—कृषि पर सम्पत्ति कर लगाये जाने—पर आता हूँ । मैं वित्त मंत्री की नीति, उसके निर्णय और वित्त विधेयक की व्यवस्था से पूर्णतः सहमत हूँ । कल जिन रियायतों की घोषणा की गई उनसे निर्धन और छोटे किसान सम्पत्ति कर के दायरे से बाहर निकल गये हैं । अब सम्पत्ति कर का भार केवल उन पर पड़ेगा जो कृषि के माध्यम से सम्पत्ति छिपाने की चाल खेल रहे हैं । अतः कृषि में बड़ी सम्पत्ति लगाने वालों पर कर लगाया जाना सर्वथा उचित है ताकि उनसे कुछ धन खींचकर छोटे किसानों की सहायतार्थ खर्च किया जा सके और कृषि-क्रान्ति को सफल बनाया जा सके । परन्तु उच्चतम न्यायालय ने बनारसीदास वाले मामले में जो निर्णय दिया है उससे मुझे इस प्रकार के कर के लगाये जाने के औचित्य के बारे में शंका हो गई है । अतः मेरा वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि उन्हें कृषि सम्पत्ति पर लगाये गये कर के रूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

कल वित्त मंत्री ने तेल से चलने वाले इंजिनों से उपकर को हटाने की घोषणा की थी । मैं यह आशा करता हूँ कि उसी तर्क के आधार पर वह उर्वरक से भी उपकर उठा लेंगे । इससे किसानों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और कृषि-क्रान्ति में जो प्रगति हो रही है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जायेगा ।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मैं 10,000 रुपये से 15,000 रुपये की आय वालों पर आयकर की राशि में की गई वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूँ । मेरे आलोचकों के विचार से इस आय-वर्ग के लोगों पर आयकर बढ़ाना उचित नहीं है इसके विपरीत

आयकर से युक्त आय राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रशासन सुधार आयोग के अध्ययन दल द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1966-67 में आयकर की कुल 47.65 लाख रुपये की राशि में से 36 लाख रुपये की राशि उन लोगों के ज़िम्मे थी जिनकी आय 5000 से कम थी और 6.5 लाख रुपये की राशि उनकी ओर थी जिनकी आय 5000 रुपये से 10000 रुपये के बीच में थी। इससे स्पष्ट होता हैं कि 89 प्रतिशत लोग 4 प्रतिशत आयकर देते है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ग्यारह प्रतिशत कर-दाता 96 प्रतिशत कर देते है। इससे पता चलता है कि दस हजार रुपये से कम आय वाले लोगों पर कर लगाना अलाभप्रद सौदा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

यदि मेरे आंकड़े सही हैं तो मेरा निवेदन है कि इसे लाभप्रद बनाने के लिये छूट की सीमा को बढ़ा कर 10,000 कर दिया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा करदाताओं के प्रति की जाने वाली ज्यादतियों का उल्लेख करूंगा। कर निर्धारण अधिकारी कर-दाताओं को बहुत तंग करते हैं। यह बात 1964 (52) आई. टी. आर 637 (71) आई० टी० आर०204 में दिये गये मामलों से स्पष्ट हो जाती है। जहां तक पहले मामले का सम्बन्ध है आय कर विभाग ने कर-दाताओं पर बड़े पैमाने पर एक छापा मारा था। जब इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया तो आसाम उच्च न्यायालय ने आय कर विभाग के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि धारा 37 (2) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही दुर्भावना से की गई है।

इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में हमारे कर सम्बन्धी कानून भी बहुत कठोर बने हुए हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री कम से कम उन दोनों मामलों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है अवश्य ही जांच करायेगें और उन्हें बर्खास्त करेंगे।

मेरा एक और निवेदन यह है कि धन कर का विवरण प्रस्तुत करने में देरी हो जाने से दण्ड अधिक नहीं दिया जाना चाहिये। इस बारे में मैं एक मामले का उलेख कर देना चाहता हूँ। एक महिला के पास 95,000 रुपये की सम्पत्ति थी तथा उसे 1.5 लाख रुपये की सम्पति वरासत में मिल गई परन्तु उसके सम्पत्ति के बारे में पांच वर्ष तक झगड़ा चलता रहा जिसके कारण वह उसका विवरण सम्पत्तिकर अधिकारी को प्रस्तुत न कर सकी। कानून के अन्तर्गत उस महिला को पांच वर्षों का केवल 2,500 रुपये सम्पत्ति कर देना होगा परन्तु उस पर दण्ड 1,05,000 लगाया गया। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह दण्ड उचित है। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह कर दाताओं के जीवन को और दुखमय न बनाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Before I begin my speech I would like to give a written statement regarding the leakage of the budget.

Shri Nandu Somani had invited some of us for lunch at his residence on the Budget Day. At that time a trunk call was received there from Bombay which was attended by

Shri Somani's father. He told us that many budget proposals have leaked out. He then also mentioned imposition of duty on fertilizers and excise duty on sugar etc. Apart from myself and Shri Nandu, Shri S. M. Joshi. Shri Nambiar and Shri Tapuriah were also present there.

I have come to know from textile circles in Bombay that some time back some big officers of the Finance Ministry had gone to Bombay and they had made enquiries about advalorem duty. Thus the textile people of Bombay had sensed that Government intends changing the mode of excise duty in regard to certain categories of textile products.

The shares in the share market bad gone up because some people of the share market had come to know that the Budget proposal would favour the Corporate sector and that a number of facilities would continue. They also knew that the Budget proposals would not contain the proposal of Wealth Tax on companies.

The following news items had appeared in the two financial dailies of Bombay :

(i) "The sugar market apprehends a rise in the excise duty on sugar." (Financial Express, 26th February, 1969)

(ii) "There have been rumours for the past one or two days that New Delhi was likely to step up excise duty on sweets." (Economic times, 26th February). etc. Such news items had appearad in many other news papers and journals also. This indicates that the budget had leaked.

One top official of the Ministery of Finance (whose name I shall not disclose) had rented out his house to a big business group at a very high rate. This is a clear case of corruption. I would like to know whether such officers should be entrusted with budgetary secrecy who remain under the influence of such businss magnets.

This thing is well known to all that not only budget proposals had leaked out but on the basis of that some business magnets had stocked goods like sugar, staple-fibres etc. and made huge profits. These persons who had a close contact with those persons of the Finance Ministery who had prepared Budget.

The sugar transaction held before the Budget should have been examined from the point of view of the incidence of excise duty on the two parties to these transactions. Normally any increase or decrease in the rates of sugar which is to come out of mills effcets the seller mills. In case its effect falls on the buyers it clearly shows that the buyers have information about the change to advalorem basis. Because without information no buyer would take any risk.

Badla bargains of Gola Sugar were made between 25th to 28th Febuary 1969 on the basis in speculation so that advantage of the leakage of the budget proposal of imposing additional duty on sugar which was to be announced on 25th February 1969. Similarly bargains were held in the Kanpur market by Murarkas through several commission agents.

It also appears that Birla group and their associates had also the information of budget leakage.

It is my information that Reseve Bank had with the consant af the Ministry of Finance taken a Decision to reduce the bank rate. This information had also leaked out and that is why there was increase in the prices of shares in stock market. I am happy that the Finance Minister lateron took a strong decison and did not let the bank rate to go down.

If you study the stock exchange transactions held before and after the Budget and if you seize necessary books and documents you will find that unscruplous operators who

had got the information had made a lot of profit by the budget leakage. Last year also I had made similar charges and had requested that an enquiry should be made in this regard and had also requested that a probe into the circumstances of the bank rate pronouncement two days after the budget i.e. on Saturday should be made because normally such pronouncements are made on Wednesdays. But my request was paid no heed by the Finance Minister. I feel that the whole procedure to prepare a Budget should be changed.

I hope that the hon. Minister will clarify every point raised by me. So far as the Finance Bill is concerned, I would like to make five or six comments. It is very sad that the Finance Minister in his reply to the discussion on budget had not replied to many of the points made by us. It was pointed out by me with supporting figures that during the last twenty years income tax on incomes of Rs 10,000 and Rs 15,000 had gone up by 14 percent and 30 percent respectively, but during the same period, the tax on unearhed incomes of Rs. 5 lakhs and 10 lakhs had gone down by 11.5 percent and 12 percent. The Finance Minister has not replied to that.

My seeond point is that under the inter bank deposit agreement, certain restrictions, had been put on giving increased rate of interest to the depositors. This had worked to the detriment of the depositors. This restriction should be removed. If Government wants to encourage savings in the rural areas, the rate of interest on deposits should be higher. At the same time I would like to request the hon. Minister that he should direct the Reserve Bank that the practice of giving brokerage and donations should be stopped, because this is resulting in a great loss to the depositors and the common people.

Thirdly I want to say a few words regarding nylon fibre. The excise duty on nylon fibre has been reduced. We welcomed this reduction because we thought that this would benefit the small producers and wearers who used the synthetic fibre. But this had not happened that way and the benefit of reduction has been taken away only by four or five mills. I want to quote a news published in the Economic Times of 27th April which reads "The price of nylon yarns have recorded a step rise ranging from Rs 15 to Rs 21 per kilogram in the Bombay market in the last four days. 15D yarn had shot up from Rs 78 to Rs 95.98 and 20D yarn has moved from Rs 74 to 92. Official prices of leading spinnens are Rs 66 for 20D and Rs 72 for 15D yarns. It is evident from this news that the entire benefit went to four monopolists. I would request the hon. Minister to reconsider this question.

I have received a letter from the Weavers Cooperative Association of Surat that nylon yarn in large quantity is used by them and so they applied on 11.10.1967 for a licence to manufacture nylon fibre in Cooperative sector, but no action had so far been taken on their application, though a period of two years had elasped. This shows that Government is not sincere in giving encouragement to the Co-operative sector. The reduction on excise duty is good But it has not benefitted the small weavers and the common men. The benefit had been taken away by the monopolists The Govermnent must find out the reasons for this and strong action should be taken in this regard. The S.T.C. should also be asked to reduce the prices of nylon yarn, so that common men may be benefitted

So for as the question of monopoly is concerned, we must find out the basic causes of growth of monopolies and concentration of economic power. The rcason perhaps is not far to seek because it is the unholy alliance of capitalists, politicians and bureaucrats which are responsible for these most unhealthy trends. The capitalists have employed six methods to extend their industrial empire and strengthen their economic power The first method is to evade taxes. A lot of money is saved by them by evading taxes.

The second method applied by them is that the correct prices are not shown while purchasing raw material and while selling the finished products. This practice has resulted in a great loss, especially in the jute industry. Prices which are actually paid are different from those which are shown by them.

The third method applied by them is the system of managing agency. The managing agents are earning huge profits at the cost of share holders. This system had done no good to the people and it should be done away with as early as possible.

Another method applied by them is that a major portion of the loans and advances given by the banks is taken away by them. It has been seen that the advances and loans given by the banks are mostly made availble to big capitalists and agriculturists and the ordinary men in industry are deprived from the facilitees of loans. That is why we have been demanding nationalisation of Banks.

Next it has been seen that not only the Banks but the financial institutions of the Government also always favour big capitalists by giving them more loans. It has been seen that the largest amount of loan has been given by the financial institutions of the Government to the Mufat Lal and Birla Group of firms. It is evident therefore that the industrial empire of big capitalists is being built at the cost of common men.

So far as the B O A C case is coneerned this House has been misled by the Government. I want to know why the Government itself did not go for a review when that is provided in the Customs Act. There are two reports of the Dirctor of Intelligence and I have placed both those reports on the Table of the House. After going through those reports I am of the definite opinion that there is enough justification for a revision.

Lastly I want to make it clear that I do not believe in levelling baseless charges. I have no personal ill-will against the hon. Finance Minister. So whatever charges have been levelled by me in the case of Kanti Desai are fully justiflied. This matter should be sent to Parliamentary Committee.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I support the Finance Bill presented by the hon. Deputy Prime Minister and the Finance Minister. It is a matter of great satisfaction that the proposed excise duty on power driven pumps has been withdrawn and that the rate of the proposed agricultural wealth tax has been reduced. I welcome both these steps taken by the hon. Minister.

The agricultural production in the country has gone up as a result of the steps taken by the Government in this dircetion. Agriculture has now become comparatively more remunerative. Keeping in view the profitability of agriculture the capitalists have started setting up big farms by purchasing hundreds of acres of land from the farmcrs They are investing their black money in agriculture. If in these circumstances Government wanted to impose some levy on them and spend the amount so collected for the welfare of small farmers, then that step is welcomed.

U. P. is the biggest State in the country both in area as well as in population. But it is very sad that it is the most neglected State so far as its economic development is concerned. This State has always been neglected in all the Five Year Plans. The living condition in Bundel Khand and eastern regions of the State are pitiable. Inspite of the assurances given by Government and the recommendations made by Patil Commission and Asoka Mehta Commission, no positive steps have been taken to improve the condition of the people there. The people are frustrated and they are losing their patience. If early steps are not taken the people will be compelled to take direct action. So I request the Finance Minister to make a special provision in the Bill itself to remove the existing imbalance in our state.

There is not even a single medical college in the eastren Uttar Pradesh which has a population of about 6 crores of people. Uttar Pradesh is the most backward state in so far as medical facilities are concerned. About three percent of the people of 27 districts out of the total of 54 districts are suffering from Philaria. Tuberculosis and leprosy are also rempant in all over Uttar Pradesh. The average of doctors and beds for the patients is also lower in Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh is also very much backward in so far as agriculture is concerned. I would requst the hon. Minister to include Balia in the scheme of small farms.

There is no sugar factory in our area although sugarcane is produced in abundance there. A scheme of starting cooperative sugar factory is under consideration for the last twelve years but it has not yet come into being.

One Veterinary college may be started in Balia, Gazipur or Azemgarh as there is not a single one in these areas.

One Fertilizer factory may also be established in Balia, Azamgarh or Gazipur as the Fertilizere factories established in Gorakhpur and Benaras will not be able to meet the demand of the 27 districts

A permanent 'Thokar' should be put up for saving the Balia from the havoc of Ganga and Ghagar rivers. An assurance to this effect was also given by the Union Irrigation minister who visited the area along with the secretary of the Uttar Pradesh recently. But instead of putting up a permanent 'Thokar' a retire Bundh is being constructed which will be of no use. The Government should grant loan of rupees two crores to U. P. Government for this purpose.

Kashi VidyaPeeth is the biggest institution in our state which has produced patriots like Late Shri Lal Bahadur Shastri and Dr. Sampurna Nand. The state of this institution is deteriorating day by day. The professors are not getting their salaries. The matter should be looked into as early as possible.

The ex-servicemen of our region are getting the T. A and D. A at old rates.

The condition of Harijans and weavers of our region is miserable. They have not been able to make both ends meal. Their lot should be improved.

With these words I support the Bill

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : गत 20 वर्षों में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को क्रियान्वित करते समय सरकार ने देश की आर्थिक गतिविधियों पर अधिकांश रूप से नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है । अत: आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन करना अथवा निदेश देना मुख्य रूप से सरकार का ही काम है । सरकार को ऐसा अवसर वर्ष में एक बार बजट प्रस्तुत करते समय ही मिलता है । बजट पेश किये जाने के समय वित्त मन्त्री से यह आशा की जाती है कि वह आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन करते समय ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न करें जिनसे बेरोजगारी तथा आवास की कमी दूर हो ।

सरकार पिछले 20 वर्षों में अधिक से अधिक कर लगाकर तथा विदेशों में तथा देश के अन्दर से ऋण लेकर वित्त जुटाया है । 1950-51 में कुल कर राजस्व 627 करोड़ रुपये का था जो इस वर्ष बढ़कर 3,900 करोड़ रुपये हो गया है । इसी प्रकार 1950-51 में सरकार पर 3,056 करोड़ रुपये का ऋण था जो बढ़कर 19,000 करोड़ रुपये हो गया है । ऐसा करते समय सरकार ने शपथ ली थी कि वह लोगों की स्थिति में सुधार करेगी तथा जीने के लिए

आवश्यक न्यूनत्तम सुविधाएं उनको प्रदान करेगी। परन्तु इस शपथ को पूरा नहीं कर सकी है। आज स्थिति यह है कि देश में बेरोजगारों की संख्या 1950-51 की तुलना में बहुत अधिक है। इनमें से लगभग 50,000 के लगभग अहर्ता प्राप्त इन्जीनियर हैं। इनमें हजारों स्नातक हैं।

इसी प्रकार 1950-51 में देश में अनपढ़ लोगों की संख्या 29·8 करोड़ थी जो 1969 में 34 9 करोड़ हैं। 20 वर्षों में शिक्षा के प्रसारण का यह फल प्राप्त हुआ है। स्वतन्त्रता के 20 वर्ष बाद भी 67 प्रतिशत लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते।

1951 की तुलना में आज अधिक लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। प्रतिवर्ष देश की जनसंख्या में 120 लाख की वृद्धि हो जाती है। अत: इस समस्या को इसी स्तर पर बनाये रखने के लिये कम से कम 20 लाख मकान बनाये जाने चाहिये परन्तु दस लाख से भी कम मकान प्रतिवर्ष बना रहे हैं। अत: मकानों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

जहाँ तक समाज के मध्यम तथा निम्न वर्गों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति और भी दयनीय है। 1961-62 में ये लोग सूती कपड़े की 14.8 मीटर खपत करते थे जो 1966-67 में कम होकर 13·8 मीटर रह गई है। इसी प्रकार अनाज तथा खाने योग्य तेलों की खपत में भी कमी हुई है। 1966-67 में भारतीय समाज में प्रति व्यक्ति खपत का यह स्तर है।

1948-49 के मूल्यों को देखते हुए तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रतिव्यक्ति आय में नाम मात्र भी वृद्धि नहीं हुई है। 1963-64 में यह 302 रुपये की और 1966-67 में 301 रुपये।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसके कारण क्या हैं। इसका एक कारण यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का व्यय बहुत बढ़ गया है। 1954-55 में यह व्यय 930 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गया है। यदि लोगों की बचत को लोगों के पास ही रहने दिया जाता तो इस धन का पूंजीगत निर्माण अथवा आर्थिक गतिविधि में पुन: लगाया जा सकता था।

पिछले दस वर्षों से हम घाटे की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं यदि इसके साथ साथ उत्पादन में समानरूप से वृद्धि की जाती तो इसका कुछ औचित्य था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं और यही कारण है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है और मूल्यदेशांक में भी वृद्धि हुई है। हमारी योजना त्रुटिपूर्ण रही है। अलाभप्रद योजनाओं पर धन लगया गया है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
[Shri Vasudevan Nair in the chair]

हमारे कारखानों की 25 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है। यदि देश के कारखानों की क्षमता बेकार न रहे तो देश को 250 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय हो सकती है।

सरकारी क्षेत्र पर अनुचित जोर दिया गया है। उनमें अलाभप्रद आयोजन, निरन्तर

घाटा, बेकार क्षमता और आवश्यकता से अधिक व्यक्ति रखे गये हैं, इनमें 3,500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है और इस वर्ष भी इसमें 35 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

27 अप्रेल 1969 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र की पनपने की अवधि 15 वर्ष है यह एक नई बात है क्योंकि पन्द्रह वर्ष के बाद स्थापित की गई मशीनें पुरानी अथवा बेकार हो जायेगी।

प्रधान मंत्री ने दूसरी बात यह कही कि सरकारी क्षेत्र के बारे में सार्वजनिक रूप में तथा संसद में टीका टिप्पणी हो सकती है और यदि गैर-सरकारी क्षेत्र की जांच की जाये तो कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। ऐसा लगता है कि उनको गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य संचालन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र अदक्षतपूर्ण तथा घाटे से काम करता है तो वह जीवित नहीं रह सकता। इसी डर के कारण वह क्षेत्र दक्षतापूर्ण ढंग से काम करता है। जबकि सरकारी क्षेत्र समाज पर निर्भर है और उसी पर जीवित रहता है।

तीसरी बात प्रधान मंत्री ने यह कही कि सरकारी क्षेत्र का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता। यह बात संविधान के निदेशात्मक सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरे यदि इसमें मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं है तो क्या उनका तात्पर्य लोगों को सस्ती चीजें सप्लाई करना है। क्या यह लाभ समाज को दिया जा रहा है ? ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि सरकारी क्षेत्र की अक्षमता को इन बातों से दबाया जा रहा है। लोगों का विश्वास धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र से उठ जायेगा। अतः इस क्षेत्र के कार्यसंचालन में सुधार करना न केवल स्वयं इसके अपने हित में है बल्कि समाजवाद के हित में भी है।

अब हमें यह देखना है कि क्या इस वर्ष के बजट प्रस्तावों से देश में बेरोजगारी कम करने, अनपढ़ लोगों की संख्या कम करने अथवा लोगों को पर्याप्त मकान दिलाने में सहायक होंगे। मेरे विचार में ऐसा नहीं है।

इस वर्ष लगभग 122 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये हैं। 250 रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था की है, राज्यों द्वारा 40 से 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर भी लगाये जायेंगे। देश की अर्थव्यवस्था पर लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह सब रुपया कहां से आयेगा, इससे या तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी या मूल्य देशांक में वृद्धि होगी अथवा जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होगी। अतः इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए इन अतिरिक्त करों से चीनी 40 रुपये प्रतिक्विन्टल मंहगा हो जायेगी। वित्त मंत्री का कहना है कि कृषि पर और अधिक बोझ डाला जा सकता है। हमारे देश में उर्वरकों, पम्पिंग सेटों अथवा अनाज को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत पहले हा अधिक है। अतः देश खाद्यानों की उत्पादन लागत पहले ही बहुत अधिक है। अतः मेरा निवेदन है कि उर्वरकों, पेट्रोल, मिट्टी के तेल पर लगाये गये करो पर पुनः विचार किया जाये, और इनको हटाया जाये।

वित्तमंत्री जी ने आज सुबह सीमेंट पर जो छूट दी वह केवल 1.86 रुपये की है जबकि वृद्धि 3.30 रुपये प्रतिटन की गई थी, अतः माननीय वित्त मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

साबुन के बारे में माननीय मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है।

जहां तक चाय और पटसन से बनी वस्तुओं का सम्बन्ध है क्या यह सच नहीं है कि भारत धीरे धीरे निर्यात मंडियां खो रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका इससे लाभ उठा रहें हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी निर्यात नीतियां राजस्व कमाने पर आधारित नहीं होनी चाहिये। हमारी निर्यात नीति व्यापार को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जहां तक पटसन से बनी वस्तुओं आदि का सम्बन्ध हैं हमारा निर्यात व्यापार आगामी पांच वर्षों में पूर्णतया नष्ट हो जायेगा। अतः वित्त मंत्रालय की वास्तविकता की ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

इस नये बजट से समाज के सभी वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नया बजट पुराने बजटों की श्रृंखला की एक कड़ी है। हमारा बजट विकास प्रधान होना चाहिए न कि कर प्रधान।

इस वर्ष उत्साहजनक कार्यवाही करने की आवश्यकता थी क्योंकि हमारे देश में फसल भी अच्छी हुई है निर्यात में भी कुछ वृद्धि हुई है मूल्य भी स्थिर हैं। अतः छूट आदि देकर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए थी। परन्तु ऐसा किया नहीं गया है और माननीय वित्त मन्त्री ने एक सुनहरी अवसर खो दिया है।

श्री चेंगलराया नायडू (चिनवर) : ऐसा कहा जाता है कि सरकार की नीति देश में समाजवाद लाने की है। यदि यह ठीक है और सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है तो उन लोगों पर कर लगाया जाना चाहिए जो अधिक आय कमाते हैं, परन्तु सरकार ने अधिक आय वाले लोगों पर कर लगाने के बजाये गरीब किसानों पर कर लगाना आरम्भ कर दिया है।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए)
Shri R.D. Bhandare in the Chair]

प्रति वर्ष सरकार विदेशों से अनाज मंगाती है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार का कर्त्तव्य देश में अधिक अनाज उगाना नहीं है। क्या अधिक अनाज उत्पादन के लिए उन्हें किसानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए परन्तु उनको प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार उन पर अधिक कर लगा कर उनको दुरुत्साहित कर रही है। क्या 1971 तक खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का यह तरीका है ?

सरकार कृषि भूमि पर भी सम्पत्ति-कर लगाना चाहती है। नगरों में मकानों के मूल्यों के आधार पर सम्पत्ति-कर वसूल किया जाता है। परन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार ग्रामों में भूमि का मूल्य किस प्रकार लगायेगी। गांवों में उपजाऊ भूमि, जिसको सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, कर प्रतिएकड़ मूल्य 15,000 से 30,000 रुपये हैं। इसी प्रकार कम उपजाऊ और सिंचाई की कम सुविधाओं वाली भूमि कर प्रति एकड़ मूल्य 1,000 रुपये हैं। अतः आयकर अधिकारी गांवों में भूमि कर मूल्य किस प्रकार आंकेंगे। क्या वे एक गांव की सभी भूमि का एक ही भाव लगायेंगे। यदि ऐसा होगा तो मुकदमे बाजी आरम्भ हो जायेगी।

जहां तक उर्वरक पर कर लगाने का सम्बन्ध है यदि सरकार अधिक अनाज उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो अधिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता को पहले ही समाप्त कर दिया गया है और अब आप उर्वरक पर कर भी लगाने जा रहे हैं। इससे किसान दुरुत्साहित होंगे। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह कृषि पर सम्पत्ति कर अथवा उर्वरक कर न लगायें।

मैं सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु उनको मुनाफा कमाना चाहिए। यदि रूस में सरकारी क्षेत्र की परियोजना लाभ कमा सकती है तो वे भारत में लाभ अर्जित क्यों नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि साम्यवादी देश में कोई मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल करने वाले मजदूर को गोली मार दी जाती है। भारत में साम्यवादी दल मजदूरों को हड़ताल करने पर उकसाता है। अतः इससे देश के विकास में बाधा पड़ती है।

दूसरा कारण यह है कि हम हारे हुए राजनीतिज्ञों को इन सरकारी उपक्रमों का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, अतः उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता। इन कारखानों में सिविल सेवा के लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। अतः इन उपक्रमों में तकनीकी अथवा सिविल सेवा के अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए जो कि इसका प्रबन्ध अच्छी प्रकार कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण यह देना चाहता हूँ कि मशीनें बनाने वाले एक कारखाने में एक सिविल इन्जीनियर को अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि यहां पर मेकेनिकल इन्जीनियर नियुक्त किया जाना चाहिए था। अतः मैं चाहता हूँ कि इन कारखानों में नियुक्ति के समय सरकार सावधानी से काम लिया करे तथा उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए।

हैदराबाद स्थित सिंथैटिक ड्रग फैक्टरी के लिए रूस द्वारा मशीनें सप्लाई की गई थीं। परन्तु ये सब मशीनें पुरानी हो चुकी हैं। यदि आधे घण्टे के लिए बिजली बन्द हो जाये तो समूचा कच्चा माल नष्ट हो जाता है और मशीनों को साफ करने में 20 दिन लग जाते हैं। सरकार को इस प्रकार की पुरानी मशीनें क्रय नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद में इस फैक्टरी में बनने वाली औषधियों पर आयात की जाने वाली औषधियों की तुलना में तीन गुना लागत आती है।

ऋषिकेष स्थित एन्टीबायोटिक फैक्टरी के लिए भी पुरानी तथा बेकार मशीनें रूस द्वारा सप्लाई की गई है। कम्पनी के प्रबन्धकों ने कहा है कि यदि कारखाने को चलाना है तो अनेक पदों को बदलना होगा। रूस द्वारा दी जाने वाली सहायता की यह स्थिति है।

जहां तक प्रतिरक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि यदि रूस हमको 50 प्रतिशत सहायता देता है तो वह पाकिस्तान को शतप्रतिशत सहायता दे रहा है। रूस ने हमें विशेष प्रकार के 24 लड़ाकू बमवर्षक विमान दिये हैं। गणतन्त्र दिवस समारोह में हमारे सैनिक अधिकारी उनका प्रदर्शन करना चाहते थे परन्तु रूस सरकार ने ऐसा करने के लिए हमें अनुमति नहीं दी। यही स्थिति रूस से प्राप्त अन्य उपकरणों की है। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध स्थिति में भी हम रूस की अनुमति के बिना प्रतिरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष को आदेश प्राप्त करने के लिए रूस भेजा गया है। इस तरह हम रूस के दास बन रहे हैं क्या हमें कोई स्वतन्त्रता नहीं है? अभी पीछे श्री दिनेशसिंह

ने कहा था कि रूस से माल डिब्बें का क्रयादेश प्राप्त होने वाला है। परन्तु पता नहीं इस क्रर्यादेश का क्या बना।

जब इन्डियन एयरलाइन्स ने कुछ विमान क्रय करने का सुक्षाव रखा तो रूस ने हमारी सरकार से कहा कि वे रूस में बने विमान क्रय करें। अमरीका तथा ब्रिटेन में बने विमान हमारी सरकार क्रय नहीं कर सकती। मुझे खेद है कि इस प्रकार से दूसरों के इसारे पर हमारी सरकार काम कर रही है।

Shri Jaseghwar Yadav (Banda) : Every year the Government impose more taxs on the poor sections of soicety as they have to pay more for sugar, cloth, vegetable, ghee etc. The Government do not touch the rich people. If the Government really want more money it should stop giving five crores of rupees to the ex-princes and should also not pay 600 crores of rupees to the former Jagirdars in the form of compensation. Every year the industrialists and captitalists evade taxes to the tune of 300 crores of rupees. About 130 crores of rupees are being sent abroad every year in form of royalty, profit and interst. All these things should be stopped if the Government really want money.

Secondly the Government is not making the proper use of the money which they collect from the poor people by way of direct and indirect taxation. The money is not properly invested. Villages are ignored completely so far as the question of investment is concerned.

Uttar Pradesh is the most backward state in India and in that state Vindya Pradsh is more backward as compared to its other parts. The Government have failed to make arrangements for the supply of drinking water in that region. Unemployment is on the increase. It has become difficult for the people to make both ends meals. Thirty two laks of rupees were sanctioned for this region. But the money is being misused. Some permanent solution should be evolved for the supply of dirnking water in the region

Transportation facilities are not available in that region absolutely. No express train has been introduced till today inspite of the fact that Member of Parliament of that region has written several times in this connection. The farmers are faced with difficulties to tranport their produce to the market places.

The corruption is rampant at all levels in the country. Engineers, B. D. Os and Administrative officers are all involved in corruption in one form or the other.

Poor people are being exploited by the few capitalists. This Government is also adopting the policy of pro-capitalism. The condition of the country is therefore deteriorating day by day. We have to dethrone this Government by force.

श्री जयपाल सिंह : (खुन्दी) ; क्या कारण है कि सभा में इस समय मंत्रिमण्डल के केवल दो मंत्री हो उपस्थित हैं ?

मुझे एक अथवा दो बातें कहनी हैं। चाय के निर्यात से हम सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे। परन्तु इस प्रत्येक चाय बागान को घात हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? भारत श्रीलंका का जो सार्व-संघ बनाया जा रहा है इससे श्रीलंका को ही लाभ होगा। हम वर्मा को रुपया उधार देते है परन्तु वर्मा हमसे नहीं अपितु श्रीलंका से चाय क्रय करता है। क्या इस प्रकार की सरकार को बने रहने का अधिकार है ?

ब्रह्मपुत्र के उत्तर में जो भूमि खाली पड़ी है उस पर चाय बागान लगाये जाने चाहिए। इनका विकास किया जाना चाहिए।

मैं श्री मोरारजी देसाई का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष चाय के मामले में कुछ छूट दी है। अतः मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I oppose this Finance Bill. The economic sitution in the country is grave but the minister has used various adjectives in his budget speech like green revolution in agriculture, revival in transport and trade ; distinct signs of industrial revival and remarkable increase in exports. but if you take the statistics supplied by National Sample Survey, you can understand the economic situation. One out of every three Indians does not spend more than one Rupee a day. The imbalance of trade also tells of serious economic position.

I am sorry to say that the Finance Minister has not come up to the expectations of people. The country is treading the path which led to devaluation of rupee, increase in dearness and increase in economic disparity. The policies that led to such a situation are being followed in Finance Bill. Unless those policies are changed, the economic situation obtaining in the country can not improve.

I am happy ihat the Minister has rectified the mistakes that were proposed in the budget e. g. he has removed excise duty on pumping sets meant for agricultural purpose and reduced the rate of tax on agricultural wealth. But still there are defects in the budget which are likely to result in deterioration of our economic situation. The deficit financing to the tune of Rs. 250 crores will encourage inflationary trends in economy and result in increase in prices. Already hard pressed low and middle income groups will have to face still more difficulties

No attempt has been made to understand the basic foundation of our economy. Agriculture is the basis of our economy which has been ignored by the Government during last twenty years. The imposition of excise duty on fertilizers shows the indifference of the Government to the growth of agriculture. The Government should give all necessary incentives to farmers to increase agricultural production. If Government gives to agriculture half the assistance which is being given to industry, we will become self-sufficient in the matter of foodgrains

Our agricultural production would have increased considerably if Rajasthan canal had been completed. It is pitiable that many areas of Rajasthan do not even have facilities for dirnking water.

Excise duty on fertilizers should be withdrawn and measures to provide necessary facilities to the farmers should be taken so that we can attain self-sufficiency in foodgrains.

I oppose the course of resorting to deficit financing. The finance Minister, when not in office, has said that 10 percent cut in administrative expenditure could be effected. Why does he not do that saving in expenditure.

An investment of 3500 crores of Rupees has been made in public sector projects. We should get at least 10 percent profits from those investments. Steps should be taken to improve the functioning of public sector projects.

The imeport licences are sold at a premium of 100 to 150 per cent. The Government should themslves take premiums of import licences. On import licences of the value of Rs. 1 crore Government can earn an additional income of Rs. 1 crore.

श्री हिम्मतसिंह का (गोड्डा) : उद्योगों को कई प्रोत्साहन दिये जाने के कारण मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। परन्तु यदि भारत में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो उसके लिये किसी समवाद द्वारा कमाये गये स्वामित्व में 40 प्रतिशत की रियायत किसी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये। यदि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय अथवा संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो इस बात का कोई कारण नहीं कि उन्हें यह

रियायत क्यों न दी जाये । यह रियायत तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने वाले किसी भी व्यक्ति को मिलनी चाहिये ।

लेखकों, नाटककारों, कलाकारों आदि द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा पर 40 प्रतिशत तक कर में राहत दी जाती है । यदि कोई व्यक्ति व्यवसायिक अथवा अपनी किसी अन्य योग्यता के कारण विदेशों में आय प्राप्त कर सकता है और यह राशि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के अनुसार प्राप्त होती है तो उसे भी यह लाभ दिया जाना चाहिये ।

विवरण देर में देने पर दण्ड तथा ब्याज के बारे में सम्पत्ति कर अधिनियम के उपबन्ध बहुत कड़े हैं । कई मामलों में कर तो 25 रुपये होता है परन्तु 20,000 रुपये तक अथवा उसमें अधिक भी दण्ड लगाया जा सकता है । दण्ड बचाये गये कर अथवा कर की वृद्धि के अनुपात में होना चाहिए ।

रेखांकित बैंको द्वारा भुगतान के उपबन्ध से बहुत कठिनाई होगी और उससे मुकदमे बाजी बढ़ेगी । मैंने सुझाव दिया था कि यदि कोई व्यक्ति 2,500 रुपये से अधिक को किसी राशि का भुगतान करता है तथा और प्राप्तकर्ता भी आय-कर दाता है और वह भुगतान को स्वीकार करता है और दोनों पक्ष यह मानते हैं कि राशि का भुगतान किया गया है और प्राप्तकर्ता अपनी पुस्तकों में राशि दिखाता है तो इस बात का कोई कारण नहीं कि आय-कर अधिकारी इस भुगतान को स्वीकार न करे । इस उपबन्ध में कि यदि प्राप्तकर्ता भुगतान स्वीकार भी कर ले तो भी आय-कर अधिकारी को उस राशि पर छूट देने में रोक दिया जायेगा । परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

हमारा देश उन देशों में है जहां कराधान सेबसे अधिक है, अतः व्यय को यथासम्भव करने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जाने चाहिये । प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा किया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये । हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन-रानी का अपनी क्षमता का एक चौथाई काम करना अपराधिक है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दक्षतापूर्वक कार्य करने का एक प्रभाव यह होगा कि देश में फैल रही मुद्रास्फीति किसी हद तक रुक जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में प्रति व्यक्ति उत्पादन 48 मीटरिक टन होता है जबकि एक और सरकारी उपक्रम भिलाई इस्पात कारखाने में प्रति व्यक्ति उत्पादन 78 मीटरिक टन होता है । परन्तु अन्य देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन एक वर्ष में 150 से 200 मीटरिक टन होता है । अतः इस दिशा में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

भिलाई, दुर्गापुर तथा रुड़केला में से प्रत्येक में लगभग 10,000 व्यक्ति अधिक हैं । आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने से काम की हानि होती है । इससे उत्पादन लागत भी बढ़ती है । सरकारी उपक्रम शुरू होने के पहले हमारा इस्पात विश्व में सबसे सस्ता था जबकि अब वह विश्व में सबसे महंगा है । अतः हम अन्य देशों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते ।

कुछ ऐसी वस्तुओं का, जिनकी सप्लाई कम है, उप्पादन शुरू किया जाना चाहिये ताकि उस हद तक आयात कम हो सके । हमें अन्य देशों से जानकारी उपलब्ध कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए । प्रत्येक देश अन्य देशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करता है ।

खाद्य निगम ने बहुत अच्छे गोदाम बनाये हैं परन्तु वसूली का मूल्य बहुत अधिक है ।

गेहूँ का मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि वसूली करने पर 18 रुपये प्रति क्विंटल लागत आती है अर्थात वसूली की लागत 25% है और उसके परिणाम मूल्य बढ़ रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिए।

पटसन पर निर्यात शुल्क हमारे पाकिस्तान से प्रतियोगिता करने के मार्ग में रूकावट है। इसी कारण पाकिस्तान ने हमें अमरीका तथा अन्य देशों में व्यापार में पीछे हटा दिया है। वित्त मन्त्री को निर्यात शुल्क हटाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon): The taxation is increasing year by year. Commodities of the use of the farmer and other poorer classes such as kerosene, diesel fertilizers etc. are becoming more expensive and the condition of the public is going from bad to worse. After three five year Plans now the number of unemployed is the highest.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Deputy Speaker in the chair]

There is no provison for the education, clothing and nourishment of fourth class employees. The pay scales of the policemen of Delhi are less than those of the policmen of Haryana.

The public sector has come up to protect the common men from bungling that goes on in the private sector. However, that purpose has been defeated. In case an independent enquiry is held it will be found that 20 per cent machinery in the public sector is useless. The public money has been grossly misused. All that has happend because the public sector has become a centre of nepotism and corruption and no action has been taken against the defaulting officers.

Some banks had practised large scale fraud in 1958. Crores of Rupees had been advanced without any securities. The attention of the Government was drawn towards this but no action was taken. On the persitsant demand certain enquiries were made in 1963 but they were only eye-wash. The case was again started in 1968 but there is hardly any use of starting a case so long as the directors and other big guns, who misused their powers, are not brought to books. The banks should be reformed.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): At the outset I would like to congratulate the Finance Minister for bringing a stability in the country's economy which had started declining after the devaluation of Rupee.

There is no justification for criticism of increasing the income-tax rates of those in the income group between Rs. 10,000 and 20,000. Shri Salve has quoted figures from the study group of Administrative Reforms Commission to the effect that expected revenue will not exceed Rs. 20 crores. However, it will affect only a small section of people and yield Rupees twenty crores for the development of the country.

Certain areas of the country continue to remain backward. there are imbalances not only between one State and another, but there is also imbalance within the same State. Such regional imbalances are cause of much discontentment in the country. There is no indication in the budget regarding special effort to be made to narrow down the

the gap. It is very necessary to pay immediate attention to the areas having less than half the per capita national income. Eastern Uttar Pradesh, North Bihar, Telengana and several other areas fall within that category.

The unemployment position in North Bihar is alarming. The employment position in other areas has improved during the three five year Plans but in our part of the country it has deteriorated further. If the situation is not improved there, the people will go red. I would, therefore, reqeust him to make special efforts to remove unemployment in that region.

Shri Morarji Desai has granted tax holiday to certain industries. I would like the same measure to be adopted in case of agriculture. We are on way to green revolution. Nothing should be done that may come in the way of its completion. Agricultural in-puts should not be taxed at least two years. Agricultural income tax may be imposed but duty on fertilizers must be withdrawn.

Fissiparous tendencies are on the increase in the country. States are trying to get more powers and regionlism is raising its head. The country may break up, if such a tendency continued. The Members of Parliament want even to raise the matters pertaining to States in Parliament. That goes to prove that we want centralisation of power. If it is considered neccssary, we may even convene a Constituent Assembly to give a new constitution to the couutry for introducing unitary form of Government. That will put an end to regionalism and lingualism and there will be no question of differences between Assemblies and Parliament.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथन (विशाखापटनम) हमारी आयव्ययक तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की प्रणाली ब्रिटिश परम्परा पर आधारित है। संसद सदस्यों का आयव्ययक तैयार करने में कोई हाथ नहीं होता । इसके लिये कुछ समितियां बनाई जानी चाहिये और उन समितियों में सदस्य अधिक प्रभावी होने चाहिये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाये तो सदस्य यह अनुभव करने लगेंगे कि वे भी वास्तव में आयव्ययक में कोई परिवर्तन ला सकते हैं ।

वित्त मंत्री ने गांधी शताब्दी का उल्लेख किया है और कहा है कि सब से महत्वपूर्ण वस्तुयें पीने का जल, मकानों की व्यवस्था और गन्दी बस्तियां साफ करना आदि हैं । परन्तु अनुदानों में इन बातों के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं रखे गये हैं । अब भी लगभग चार पांच लाख ग्रामों में पीने का जल नहीं है ।

आय व्ययक तथा वित्त विधेयक पूर्णतया व्यय पर आधारित होते हैं । व्यय पर नियत्रंण करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है । प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में देखा गया है कि वित्त मंत्रालय प्राय: अपने विचारों पर अड़ा रहता है और सरकार बहुत कम सिफारिशों को स्वीकार करती है । व्यय को पूरा करने के लिये वित्त मंत्री संसाधनों का लाभ उठाना चाहते हैं और इसी कारण प्रति वर्ष कर बढ़ जाता है ।

सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क में बार बार परिवर्तन में कई लोगों को बहुत कठिनाई होती है। बड़े उद्योगपतियों को तो उससे कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वे सक्षम व्यक्तियों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इससे मध्यम आय वाले वर्ग तथा कम आय वाले वर्ग को बहुत कठिनाई होगी। अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार नियमों की परिभाषा करते हैं। क्या मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि पांच वर्ष तक यह नियम रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

सरकारी उपक्रम लगातार हानि में चल रहे हैं। जब किसी सरकारी उपक्रम को हानि होती है तो उन्हें वहीं क्यों नहीं रोका जाता।

यद्यपि एक लाख गांव ऐसे हैं जिन्हें बिजली मिल रही है फिर भी चार अथवा पांच लाख ग्राम ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। फिर भी प्रत्येक वर्ष माचिसों और मिट्टी के तेल पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। हम देश के निर्धन लोगों पर कर लगाकर समृद्ध व्यक्तियों को करों से छूट देते हैं और उस तथाकथित हानि की पूर्ति के लिए पुनः कर लगाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह व्यय पर आधारित आयव्ययक है न कि संसाधनों पर आधारित।

उत्पादन शुल्क से निधर्न लोगों के अतिरिक्त मध्यम वर्ग और सरकारी कर्मचारियों पर भी बोझ बढ़ता है। सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार एक चक्कर आरभं हो जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पाँच वर्षों के लिये करों की वृद्धि न करे। सरकार को अपने खर्च पर भी नियंत्रण करना चाहिये। सरकार को यह परीक्षण कर के देखना चाहिये।

सरकार को चीनी पर कर नहीं बढ़ाना चाहिये। उर्वरकों पर प्रस्तावित कर वापिस ले लिया जाना चाहिये। डिब्बे बन्द खाद्य पदार्थों पर करों में वृद्धि से दक्षिण भारत से आने वाले लोगों की कठिनाई बढ़ जायेगी। देश में पहले ही बहुत असन्तोष है। सरकार को कर बढ़ाकर इसे और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये। सरकार की कर नीति से नगरों के बुद्धिजीवी लोगों पर सदैव बोझ बढ़ जाता है। इससे वे लोग कांग्रेस विरोधी हो जाते हैं। सरकार को इसपर विचार करना चाहिये। सरकार देहातों में भी तो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पा रही है। देहातों के बिजली, पीने के पानी आदि की कठिनाईयां पहिले जैसी बनी हुई हैं। सरकार को देश की निर्धन जनता की मुश्किलों की ओर अधिक ध्यान देकर उन्हें दूर करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि भारत के महान्यायवादी कल सदन में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण करेंगे और अपनी राय देंगे। जो उनकी राय की प्रतियां आज परिचालित कर दी जायेंगी। जो माननीय सदस्य से कुछ पूछना चाहें वे पहले लिखकर भेज दें। उन्हें महान्यायवादी को भेज दिया जायेगा। ताकि वह प्रश्नों का उत्तर दे सकें। उस समय नये प्रश्न करने की अनुमति नहीं होंगी।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व महान्यायवादी की राय की एक प्रति सभा पटल

पर रखता हूँ [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 980/69]

श्री मधु लिमये ने कुछ बातें उठायी हैं । मैं उनको पहले लूंगा । बजट प्रस्तावों के पहले प्रकाशित हो जाने के बारे में उनकी शिकायत का मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ । ऐसी कोई बात नहीं हुई है । इसके लिये समिति नियुक्त करने के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूँ । इन्होंने बी० ओ० ए० सी० के बारे में एक पत्र लिखा है ।

Shri Madhu Limaye : Sir. I request that both of my letters may be placed on the table of the House.

श्री मोरारजी देसाई : मुझे उनके पत्र सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है । उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रस्तावित करों के बारे में पहले ही पता चल गया था । मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ । उर्वरकों पर करों के लगानें के बारे में काफी समय से चर्चा चल रही थी, और यह गोपनीय नहीं थी । अब यदि कोई चतुर व्यक्ति स्वयं अनुमान लगा ले । तो उसे हम जानकारी का पता लग जाना नहीं कह सकते । इस प्रकार की बातें प्रति वर्ष होती है । अत: यह बात गलत है कि गोपनीय सूचना का पहले ही पता चल गया था । बैंक दर के कम करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है । वैसे बाजारों में सभी प्रकार के अनुमान लगाये जाते हैं । उनके आधार पर हम जांच कराने का आदेश नहीं दे सकते । उनके सुझावों पर यथासंभव हम कार्यवाही करते हैं । यदि हम गलती पर हों तो हम अपने में सुधार भी करते हैं ।

पांच चीनी मिलों को पहले जानकारी मिलने वाली बात भी निराधार है । उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी । यदि ऐसा होता तो मिलें जितनी चीनी उन्हें देने को कही गई थी तो 28 तारीख तक अवश्य उठा लेती । चीनी पर प्रस्तावित कर की किसी को भी जानकारी नहीं थी । वैसे बजट के अवसर हर प्रकार के अनुमान लगाया जाना स्वाभाविक है । उनमें से कुछ अनुमान ठीक और कुछ गलत हो सकते हैं ।

कपड़े के बारे में भी कहा गया है परन्तु स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा गया । एक उच्च अधिकारी बम्बई गये थे । उसपर यह अनुमान लगाया गया कि कपड़े पर कर बढ़ाया जा रहा है । परन्तु वह तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में वहां गये थे और मैंने अपने प्रस्तावों को तीसरे सप्ताह में अन्तिम रूप दिया है । वह अधिकारी तो वहां पर कुछ तथ्य जानने गये थे । ऐसा करना आवश्यक है ।

मैं स्वयं इसके लिये सत्तर्क रहता हूँ कि गोपनीय जानकारी का कहीं किसी को पता न चल जाये । मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं हुआ है ।

जब मैं बम्बई का मुख्य मंत्री था, उस समय एक बार ऐसी बात हो गई थी । यह मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा किया गया था । उसके बाद हम छापेखाने को वित्त मंत्रालय में ही ले आये । अब सम्बधित व्यक्तियों को 10 अथवा 12 दिनों तक वहीं रखा जाता है । उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं । इस प्रकार हम अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतते हैं ।

वह मुझे हटाना चाहते है । मेरे हट जाने से कांग्रेस समाप्त नहीं हो जायेगी । हां वह इसके लिये प्रयत्न कर सकते हैं । यह उनका अधिकार है । मेरा पुत्र कुछ कम्पनियों का निदेशक

हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक कम्पनी में धन जमा करने को बुरा नहीं समझता। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है वह कम्पनी बिड़ला के माल की बिक्री एजेन्ट हो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं यह सब सच कह रहा हूँ। मैं इनके कहने पर त्यागपत्र नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि साम्यवादी क्या चाहते हैं। वे मेरे नम्बर एक शत्रु है। मेरे बारे में अनेक निराधार बातें कही जाती है। मैं कुछ समय एक पत्रकार सम्मेलन बुलाने जा रहा हूँ। उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मैं संसद का बहुत सम्मान करता हूँ। यदि इन लोगों के मन में भी सम्मान हो तो ये ऐसी ऐसी बातें न करते। वे समय समय पर नियमों की आड़ में हंगामे करते हैं। यह उचित नहीं है।

मैं इस बात से पूर्णरूप से आश्वस्त हूँ कि वी० ओ० ए० सी० के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता किन्तु माननीय सदस्य फिर भी इस बात पर जोर दिए जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, कि अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकार दे दिये जायं अथवा सीमा शुल्क कलक्टर बोर्ड के विरूद्ध अपील करे तो मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। वास्तव में माननीय सदस्य चाहते क्या है मैं समझ नहीं पाया। बोर्ड ने सही निर्णय किया है अतः मुझे उनका पक्ष लेना ही होगा।

जाँच निदेशक ने पूरी सुनवाई में भाग लिया तथा उसने बोर्ड की सहायता की उन्होंने जांच के बारे में बोर्ड को कुछ सूचनाएँ भी दी। यदि माननीय सदस्य उन्हें दूसरे प्रतिवेदन के नाम से पुकारते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। किन्तु मैंने यह प्रतिवेदन नहीं देखें हैं। अपीलीम आदेश में सभी बातों पर ब्योरेवार विचार विमर्श किया गया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

उनका आगे कहना है कि 3 लाख रुपयों और उनसे ऊपर की आय पर पहले से कम कर है तथा 10,000 रुपयों की आय पर अधिक है। मैं इस का उत्तर दे चुका हूँ। वैसे उनका यह कहना भी सच नहीं है कि पहले कर की मात्रा कम थी। वास्तव में बात यह है कि पहले सम्पत्ति कर नहीं था। और यदि अब सम्पत्ति कर तथा अन्य कर को जोड़ कर देखा जाय तो उस आय स्तर पर कर कहीं ज्यादा है। किन्तु यदि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहते तो उनकी इच्छा है।

10,000 रुपयों से 20,000 रुपयों की आय वाले तथा 20,000 रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर लगे आयकर के बारे में विरोध प्रकट किया गया था। कहा जाता है कि मैं मध्य वर्ग पर अधिक कर लगा रहा हूँ। वास्तव में मुझे तो सभी स्तर के व्यक्तियों पर कर लगाना पड़ता है। जब देश की 95 प्रतिशत जनता ही गरीब है तो देश की अर्थव्यवस्था के बनाए रखने के लिये मुझे तो सभी पर कर लगाना पड़ेगा। अधिक आय वालों से अधिक कर भी लिया जा रहा है यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों से मैं 100 से 115 प्रतिशत तक कर ले रहा हूँ।

श्री सी० सी० देसाई ने कहा कि हमारे देश पर 8,500 करोड़ का भारी ऋण है यह बात सच है। तथापि ऐसा क्यों किया गया है। बात यह है कि हमारी योजनाओं के लिए 20% राशि बाहरी सहायता से प्राप्त की गयी है श्री राममूर्ति ने कहा कि हमारे देश में अभी तकनीकी जानकारी की कमी है तथा हमें रूस से इस बारे में सहायता लेते हैं। लेकिन देखा जाय तो वह हमेशा यही चाहते हैं हम रूस से ही तकनीकी जानकारी हासिल करे। एक बात और है कि

यदि हम तकनीकी जानकारी अन्य देशों से नहीं लेंगे तो हम अपने उद्योगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यदि भारत में निर्धनता तथा तकनीकी जानकारी का अभाव है तो क्या इसके लिए केवल सरकार ही दोषी है ?

जो देश सदियों गुलाम रहा है उसके विकास के लिए 22 वर्ष क्या गिनती रखते हैं। फिर भी हमने इतनी छोटी अवधि में बहुत काम किया है। देश में जहाँ एक सूई भी नहीं बनती थी अब वहाँ कपड़ा मिल मशीने, चीनी की मशीने, हवाई जहाज़ तथा अन्य बहुत सी मशीनों का निर्माण होने लगा है। हमारा आयात घटता जा रहा तथा निर्यात बढ़ रहा है। हमारी बहुतसी मशीनों का निर्यात भी होता है। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि हमारा देश उन्नति कर रहा है ? अभी भी रूस 50 वर्षों के विवाद के बाद बहुत सी वस्तुओं की जानकारी इटली आदि देशों से लेता है। माननीय सदस्यों को यह बाते नहीं भूलनी चाहिएँ।

जहाँ तक अन्न के सम्बन्ध में आत्म निर्भर होने का प्रश्न है मुझे आशा है हम अगले 2 वर्षों में आत्म निर्भर हो जाएँगे। जहाँ तक खाद्यान्न का आयात करने का प्रश्न है यदि हम ऐसा न करते तो देश में मृत्यु तथा हाहाकार का साम्राज्य हो जाता तथा माननीय सदस्य सरकार की कुछ आलोचना करते। हमें खाद्यान्न का आयात इसी कारण करना पड़ता है कि हमारे देश में उसकी कमी है। फिर भी देश में खाद्यान्न का उत्पादन 510 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 960 मीट्रिक टन हो गया है। विभिन्न राज्यों में सूखा अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप रहते हुए भी हमरा उत्पादन बढ़ा है

जैसा कि अभी श्री भोगेन्द्र शर्मा ने पूछा बिड़ला समूह के बारे में जाँच कार्य हो चुका है तथा मुकदमा और कर लगाने का कार्य भी हो चुका है। कुछ व्यक्तियों ने मेरी बिड़ला आदि के साथ सांठगांठ बताने का प्रचार किया है किन्तु उस पर केवल मूर्ख ही विश्वास कर सकते हैं ?

यह भी कहा गया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना से अधिक राशि की विदेशी सहायता की व्यवस्था की गई है। किन्तु यदि सम्बन्धित आँकड़ों को ध्यान में रख कर देखा जॉय तो विदेशी सहायता की मात्रा तीसरी योजना से अधिक नहीं है। माननीय सदस्य ने इस विषय में भुगतान आदि की राशि की भी गणना की है जो इस बारे में लगाई नहीं जाती। वापसी अदायगी तथा अन्य ऐसी बातें तो विश्व सम्मत हैं।

कृषि सम्पत्ति कर को गैर कानूनी बताया गया था। कल यहाँ महान्यायवादी आ रहे हैं अत: इस विषय में मुझे अब कुछ नहीं कहना है। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि अब कृषकों को 1,50,000 रुपयों की अतिरिक्त छूट दे दी गई है। अतः मैं समझता हूँ कि अब मध्य वर्ग के कृषक पर इस कर का भार नहीं पड़ सकता। सभी कृषकों को कर की छूट नहीं दी जा सकती क्यों कि मैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्तर नहीं बरत सकता। सम्पत्ति तो सम्पत्ति ही है चाहे वह किसी प्रकार की हो। नगरीय सम्पत्ति पर भी कर लगाया हुआ है तथा उसकी मात्रा भी अधिक ही है।

देश तथा कृषको के हित के लिये कृषि पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं। अत: यदि

हमें इस व्यय से कोई आय नहीं होगी तो हम अन्य क्षेत्रों पर कैसे धन लगा सकते हैं। किसी एक क्षेत्र पर ही धन लगाते रहते से अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? इसी कारण कृषि पर जितना व्यय किया गया है उससे देश की अर्थव्यवस्था के लिये अवश्य कुछ मिलना चाहिए। उर्वरकों पर बहुत कम कर लगाया गया है। उर्वरक की जितनी मात्रा से कृषक को 134 रुपयों की अतिरिक्त आय होती है मैं उतने से केवल 4 रुपये ले रहा हूँ।

जहां तक इस लाभ की गारन्टी का प्रश्न है वह गारंटी विद्यमान है। हमने कहा है कि यदि कृषि उत्पादन के मूल्यों में कमी आती है तो सरकार निश्चित मूल्यों पर कृषि उत्पाद को खरीदेगी। अतः उर्वरक पर लगे कर को अनुचित बताना न्यायसंगत नहीं है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हम चाहते हैं कि कृषक अधिक उत्पादन करें। अतः हमें तत्कालिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले लाभ को समाप्त नहीं करना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : विकास सम्बन्धी कार्यों पर 42% की दर से व्यय में वृद्धि हुई है जबकि अन्य कार्यों पर व्यय की दर केवल 18 प्रतिशत रही है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि विकासरहित कार्यों पर होने वाले व्यय को भी टाला नहीं जा सकता। लेखा परीक्षा, पुलिस आदि पर होने वाले व्यय को कैसे टाला जा सकता है। प्रशासन कार्यों में काफी मितव्ययता की गई है किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए उनमें अधिक मितव्ययता करना सम्भव नहीं था।

आयकर विभाग की कार्य कुशलता पर भी आक्षेप किया गया है किन्तु इस वर्ष 8½ लाख बकाया मामलों को निपटाया जा चुका है तथा शेष मामलों को अगले 2 वर्षों में निपटाये जाने की आशा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त वसूली की जा चुकी है। जहाँ सम्भव था मुकदमा चलाया गया है तथा कर की चोरी को यथा साध्य कम करने का प्रयत्न किया गया है।

करों की चोरी के सम्बन्ध में भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जिसकी बहुत आलोचना की गई है। सीमान्त मामलों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रारम्भिक छूट को सम्पत्ति से घटा दिया जाय जिससे कि पूर्ण सम्पत्ति पर जुर्माना न हो। लेकिन समझ में नहीं आता कि लोग समय पर सम्पत्ति क्यों नहीं देते ? भारी जुर्माने की व्यवस्था इसी कारण की गई है कि भय से लोग उसे उचित समय पर अदा करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार अस्थायी कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : TEMPORARY CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WHO PARTICIPATED IN THE STRIKE

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैंने अपने 13 मार्च 1969 को सभा में दिये गए वक्तव्य में यह संकेत कर दिया था कि अस्थाई कर्मचारियों को दी गई छूटों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के सम्बध में कदम उठाए जाएंगे जिससे सेवा समाप्ति के आदेश केवल उन्ही व्यक्तियों के लिए रहें जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने के ठोस कारण हैं। 'ठोस कारणों की वास्तविक व्याख्या को लेकर शंकाएँ उठाई गई हैं जिनके आधार पर ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश रद्द नही किए जासके। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि जिन अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है, चाहे उन्हें एक मास का नोटिस देकर निकाला गया है अथवा उन्हें नोटिस के स्थान पर एक मास का अग्रिम वेतन और अन्य भत्ते देकर निकाला गया है। उनके बारे में भी वे कारण जिन से सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता वही होंगे जिनका उल्लेख मैंने निलम्बित हुए कर्मचारियों के बारे में 13 मार्च के अपने वक्तव्य में किया था। दूसरे शब्दों में केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर, जिनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों की शिकायत है तथा दूसरे व्यक्तियों को भयभीत करने या सक्रिय रूप से भड़काने की शिकायत है, बाकी निकाले गए अस्थाई कर्मचारियों को काम पर लेलिया जाएगा किन्तु इससे पहले हर एक व्यक्ति की इस निर्धारित कसौटी को ध्यान में रखकर पूरी जांच की जाएगी। इस प्रकार से जिन कर्मचारियों को फिर से काम पर लिया जाएगा उनपर सेवा नियमों के अन्तर्गत उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। यह कार्यवाही वहीं की जाएगी जहां उनके विरूद्ध सेवा से अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के अतिरिक्त भी कोई आरोप हो या जहाँ उनके विरुद्ध अत्यावश्यक सेवाएं विवृत्ति अधिनियम/अध्यादेश 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत उल्लखित अपराध अर्थात् केवल कार्य से अनुपस्थिति, के अलावा भी कोई अपराध पाया गया हो।

आशा है इस प्रकार पुन: सेवा पर लिए गए कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वपूर्ण रवैये तथा अनुशासन में रहने की भावना से सरकार के द्वारा व्यक्त की गई विचारधारा के साथ न्याय करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

++

चलचित्र परिषद् का गठन

CONSTITUTION OF FILM COUNCIL

श्री न० कु० सांधी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ; चलचित्र उद्योग के साथ सौतिया व्यवहार किया जा रहा है। सरकार इससे सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में केवल इतना कह देती है कि चलचित्र उद्योग की समस्याओं की जाँच के लिये एक चलचित्र परिषद् का गठन किया

++आधे घंटे की चर्चा
Half-an-hour Discussion

जारहा हैं। किन्तु मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इस परिषद् को क्या अधिकार दिए जाएगें तथा यह परिषद् किस प्रकार विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगी।

पाटिल जॉच आयोग ने 1951 में पहली बार चलचित्र परिषद् के गठन का सुझाव दिया था किन्तु उसके बाद 18 वर्ष तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1968 में चलचित्र उद्योग पर भारी संकट आया तथा सिनेमाघर और स्टूडियों बन्द होगए। तब मंत्री महोदय ने कहा कि इस उद्योग में प्रगति लाने के लिये परिषद् का गठन किया जाएगा। उसके बाद भी 12 महीने व्यतीत हो गए तथा अभी तक कुछ नहीं किया गया। वास्तव में सरकार को तथा मंत्रीमहोदय को पूरी तरह ज्ञात है कि कुछ बड़े कलाकारों ने अपने कलागत मूल्यों में भारी वृद्धि करदी है जिससे इस उद्योग को भारी आघात पहुँचा है। मुझे यह भी आशंका है कि उक्त परिषद् का गठन होगा भी कि नहीं। इस उद्योग को सरकार उद्योग न मानकर केवल मनोरंजन का साधन मानती है। और इसी कारण इस उद्योग के लिये वित्तीय सहायता आदि की कोई व्यवस्था नहीं करती।

संसद में कई बार यह कहा जाता है कि चलचित्र उद्योग हमारे देश का नैतिक पतन कर रहा है तथा यह अश्लील चित्र दिखाता है-। किन्तु हमें उसके महत्व का आभास होना चाहिए। इस उद्योग के सहारे हमारे देश में भाषा की एकता आई है। एक साझी भाषा का होना देश के लिये अत्यंत हित कर है।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the chair]

यद्यपि मैं संस्कृत भाषा प्रशंसक हूँ तथापि इतना कह सकता हूँ कि यह भाषा भी कभी सम्पूर्ण देश की भाषा नही बनपाई थी। यह महत्वपूर्ण कार्य चलचित्रों ने किया है। सदन में कई बार इस उद्योग को इतना हीन बताया जाता है जितना यह कभी नहीं रहा।

अछूत कन्या, पड़ौसी, झनक झनक पायल बाजे, उपकार तथा कल्पना आदि बहुत से चित्रों ने अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रीय एकता लाने तथा अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया है। यह मनोरंजन सबसे सस्ता है तथा देश में विद्यमान अनेक दुर्निवार समस्याओं का चित्रों द्वारा समाधान किया जा सकता है।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का कुल व्यय लगभग 23.80 करोड़ रुपये है। यह मन्त्रालयप्र सारण पर 11.92 करोड़ रुपये, प्रकाशन पर 6.40 करोड़ रुपये तथा चलचित्र विभाग पर केवल 1.68 करोड़ रुपयेव यय करता है। अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह पर 5 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं तथा चलचित्र सेन्सरशिप पर 9,000 रुपये व्यय किये जाते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार का चलचित्रों के साथ क्या व्यवहार है। यह उद्योग 5 बड़े उद्योगों में से एक है तथा इसका पूंजीगत परिव्यय 100 करोड़ रुपये हैं। करोड़ों व्यक्तियों को इससे रोज़गार मिलता है तथा इससे सरकार को भारी राजस्व भी प्राप्त होता है। इतना होने पर भी सरकार इस उद्योग की भारी उपेक्षा कर रही है।

विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के हेतु हमने पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय बनाया है। मेरी मांग है कि चलचित्रों के लिए एक पृथक मन्त्रालय की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि चलचित्रों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इतना ही नहीं इससे देश का भारी हित होगा तथा इस उद्योग का समुचित विकास होने से अगले 2 या 3 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपयों की विदेशी की मुद्रा कमाई जा सकती है।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय किसी भी छोटी या बड़ी समस्या पर विचार करते समय सही व्यक्तियों, विभिन्न व्यापारी संस्थाओं तथा व्यावसायिक व्यक्तियों के साथ परामर्श नहीं करता। यदि चलचित्र परिषद के गठन के बारे में भी उसने ऐसा ही रवैया रखा तो उससे ऐसा कोई लाभ होने की आशा नहीं है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वित्तीय संकटों के कारण लगभग 300 चलचित्र बक्सों में बन्द पड़े हैं।

मन्त्रालय द्वारा स्थापित चलचित्र वित्त निगम की कार्यप्रणाली भी दोषपूर्ण है। उससे अच्छी फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। अतः उसके कार्य में भी सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है।

अन्त में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहुँगा कि यदि इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया तथा इसकी समस्याओं को शीघ्र ही दूर नहीं किया गया तो जल्दी ही वह समय आ जायेगा जब इसके राष्ट्रीयकरण की मांग होने लगेगी। हमारे देश में यह प्रथा सी हो गई है कि जो उद्योग संकट ग्रस्त हो जाता है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अतः सरकार को शीघ्र ही इस महत्वपूर्ण उद्योग के उत्थान के लिए कदम उठाने चाहिए।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री
(श्री ह० कु० गुजराल):

मैं श्री सांघी की इस बात से सहमत हूँ कि दुर्भाग्य से चलचित्र उद्योग की महत्ता की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका। टैलीवीजन, रेडियो तथा चलचित्र सभी प्रचार के साधन हैं तथा इनसे देश में एकता, भाषागत अथवा अन्य लाई जा सकती है। किन्तु दुर्भाग्य से हमारा रुख ऐसा रहा है कि हम चलचित्रों को समाज के लिए उपयोगी नहीं मानते है श्री सांघी ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है अतः में उनका आभारी हूँ।

मैं इस तथ्य से अवगत हूँ चलचित्र निर्माण के सम्बन्ध में हमारा देश विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा इस उद्योग में इस समय लगभग 90 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 34,000 कुशल तथा लगभग 90,000 अकुशल कर्मचारी इस उद्योग में लगे रहते हैं अतः किसी भी दृष्टिकोण से इस उद्योग की उपेक्षा करना सम्भव नहीं होगा।

तथ्य यह है कि इस उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों जैसे, निर्माता, वितरक या अन्य हितों में परस्पर टक्कर होना स्वाभाविक है क्योंकि इस उद्योग का गठन ही इस प्रकार का है।

अतः इस उद्योग के लिये कोई दीर्घकालिक समाधान खोजना कठिन है। गत वर्ष इसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकार को बीच में आने के लिये वाध्य होना पड़ा।

गत 18 वर्षों से जब पाटिल आयोग का प्रतिवेदन मिला था चलचित्र परिषद के गठन के बारे में विचार विमर्श होता रहा है, तथा अब वह दिन दूर नहीं है जब हमें परिषद का गठन करना सम्भव होगा।

माननीय सदस्य ने परिषद के कार्य और उसके अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाया है। मेरा निवेदन है कि जब हम सभा में विधेयक प्रस्तुत नहीं होता तब तक मैं इस बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ। मैं मोटे रुप से केवल इतना कह सकता हूँ कि इसका रूप ऐसा होगा जो फिल्मों के उत्पादन के अनेक कार्यों में समन्जन ला सके तथा उनके लिये उपयुक्त बातावरण तैयार कर सके। सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहती क्योंकि यह उद्योग कला पर निर्भर करता है और जहाँ कला पर कोई प्रतिबंध होता है वहाँ कला मर जाती है। हम क्रियात्मक कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तथा अनेक अच्छे कलाकारों को अवसर देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रंगमंचीय गतिविधियों को भी प्रगति देना चाहते हैं क्योंकि इसके आभाव में चलचित्र में अपूर्ण हैं।

हम यह भी चाहते हैं कि चलचित्र तथा रंगमंच दोनों का ही समाज के साथ गहरा सम्बन्ध रहे तथा कलाकारों में सामाजिक जागरुकता बढ़े। चलचित्र परिषद् को ऐसा बनाने का विचार है कि वह कलाकारों, निर्माताओं वितरण कर्त्ताओ, समाज सेवी लोग तथा शिक्षाविद आदि सभी के हितों का ध्यान रख सके तथा वह केवल इस उद्योग का ही हित नहीं हो अपितु उसमें सामाजिक उपयोगिता के तत्त्वो को भर सके।

हम कभी कभी चलचित्रों के बारे में अतिशयोक्ति पूर्ण चर्चा करते हैं। हमने इस उद्योग के लिये जितना कुछ किया है उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे अपने देश की बहुत सी फिल्मों पर तथा अनेक कलाकारों और निर्माताओं आदि पर गर्व है। बहुत से व्यक्तियों ने अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति पाई है तथा वहुत सी वृत्ति चित्रों ने तथा अन्य फिल्मों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। अतः इस उद्योग की नितांत निन्दा करना भी उचित नहीं है।

चलचित्र वित्त निगम के बारे में भी प्रश्न उठाए गए हैं। निधि की कमी के कारण यह निगम प्रभावपूर्ण कार्य नहीं कर पाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस निगम को इसलिए नहीं बनाया गया था कि यह बड़ी और भारी फिल्मों के लिए ऋण दे। इसका निर्माण इस लिए किया गया था कि यह रूचियों का परिष्कार करे तथा परीक्षण के रूप में ऐसी फिल्मों के निर्माण में सहायता दे जो स्वास्थ रूचि और सुधरा वातावरण तैयार करें। चलचित्र वित्त निगम अथवा चलचित्र संस्थान और चाहे भावी चलचित्र परिषद् सभी संगठनों का उद्देश्य यही है कि फिल्मों में सुधार, उनकी प्रगति तथा उनके लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाए। इस पूरे सम्पर्क माध्यम को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जाय तथा इसके द्वारा एक नए युग का निर्माण हो।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : May I know the means by which the Film Council proposes to check the black money earned by the Film stars ?

Secondly, why this industry should not be nationalised with the view that it is an effective mass media and that it is utilised for the purpose of meeting the educational requirements. Simulteneously, it will serve the purpose of un-earthing the blackmoney of the Film star, and a healthy encouragement will be given to the documentaries if the nationalisation of this industry is undertaken by the Government.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : May I know the programme underlined by the Government in order to improve the quality of Indian Films because our Films are generally artificial and far away from reality ?

Secondly, will the Government include the social workers who are not actively connected with the films industry in the Film Council ? I want to know whether the proposed council will devise any code of ethics in connection to curb the evasion of taxes and other morbid practices.

When nationatisation is considered a good means of social transformation, then why this heavy industry is being left on the mercy of private entrepreneurs ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know whether any such film has been produced so far, which would prove helpful in eradicating the evil of untouchability and other antinational activities, and if so, the name of the Film ?

I want to know that whether any Member of Parliament will be taken in the proposed Film Council.

Will the Government constitute a wage board to solve the problems of the workers connected with the film industry with a view to improve their financial conditions which are deplorable ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I do not know why the film boys and girls are so much worshipped by our youngmen. On other hand the hon. Minister will like probe the reasons for the disgust of the guardians of young group of the children towards the films ? Our films are full of love scenes and indecent songs and there is nothing to be gained from these films. Will the hon. Minister make attempts to imporve the moral standard of our films which may prove helpful in culivating better qualities in a youth ?

Will it be possible for this industry to present the entire picture of the country with her developing projects and its social revolution which is taking place in the villages today ?

I also want to know whether the Government will consider to nationalise this industry in order to un-earth the blackmoney earned by the Film stars and promote the moral understandings and the educational utility of this important mass media

श्री इ० कु० गुजराल : जहाँ तक चलचित्र परिषद् विधेयक के लाने में हुई देरी का प्रश्न है गत 18 वर्षों से इस बात पर विचार होता रहा है । बीच में फिल्म उद्योग की ओर से इस विषय में विशेष बल नहीं दिया गया था किन्तु अब ऐसा उपयुक्त अवसर आ गया है जब इस परिषद् का गठन किया जा सकता है । इस परिषद् में फिल्म उद्योग से सबन्धित सभी

श्रेणियों के लोगों के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा। इस उद्योग से सम्बन्धित निर्माता, वितरक, कलाकार तथा अन्य तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की अपनी अपनी समस्याएँ हैं। अतः सभी की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही समिति का गठन किया जा सकता है।

राज्यों के प्रतिनिधियों और विशेषकर उन राज्यों के जिनमें इस उद्योग ने अधिक विकास किया है प्रतिनिधियों को इस परिषद् में रखने का भी विचार है। देश के अन्य दार्शनिकों, शिक्षाविदों आदि को भी इसमें रखने का विचार है।

चलचित्र कलाकारों का समाज में इतना सम्मान होते हुए भी यदि उनकी इस प्रकार आलोचना हो तो समझता हूँ इस बात से कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। सिनेसंसार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने समाजगत उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक होना चाहिए तथा उन्हें अपने ऊपर लगने वाले काले धन के आरोप से बचना चाहिए। चलचित्र परिषद् के बनजाने के बाद आशा है काले धन के अर्जन की बुराई किसी सीमा तक कम होगी।

एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये और वह यह है कि बहुत से व्यक्ति अन्य साधनों से काला धन एकत्रित करके फिल्म बनाने में भी लग जाते हैं तथा कलाकारों को उचित मूल्य से ज्यादा देकर उनको खरीद लेते हैं। फिल्म परिषद् के बनने से फिल्म निर्माण आदि के ऊपर लाइसेंस व्यवस्था हो सकती है जिससे ऐसे व्यक्तियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाय जो वास्तव में इस उद्योग में कोई अनुभव नहीं रखते। इससे काले धन के अर्जन में भी किसी सीमा तक कमी आएगी।

चलचित्रों के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि लोग केवल सिनेमा कलाकारों को ही महत्व देते हैं। चलचित्र वित्त निगम की सहायता से 43 फिल्मों को निर्माण किया गया किन्तु उनमें से अभी तक 36 फिल्मों को नहीं दिखाया जा सका है। क्योंकि यह फिल्में उन स्टूडियों में नहीं बनी थीं जिनमें शेष सभी फिल्में बनी हैं इस कारण इन चलचित्रों के प्रति जनता का रुझान नहीं हुआ। किन्तु जैसे जैसे भारत की जनता में शिक्षा बढ़ेगी त्यों त्यों जनता परीक्षण के रूप में बनी फिल्मों को तथा अन्य अच्छी फिल्मों को देखना पसंद करेगी। जनता की रुचि का परिस्कार होगा।

वृत्ति-चित्रों के अतिरिक्त अन्य चलचित्रों को भी पुरुस्कार मिले हैं। मेरे पास ब्यौरा नहीं था अतः मैंने सब का नाम नहीं लिया। सत्यजोत राय आदि की कई फिल्मों को भी मान्यता मिली है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि मैंने केवल वृत्ति-चित्रों को मिले पुरुस्कार का ही विवरण दिया है।

यदि पठक या दर्शक की रूचि परिष्कृत है तो पुस्तक या चलचित्र स्वतः उत्तम उत्तम बनने लगेगें। अच्छी या बुरी फिल्मों का निर्माण तो दर्शकों की रुचि पर आधारित रहता है।

फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिये उपयुक्त नहीं है। देखा गया है कि जिस समाज

में राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दिया जाता है उनमें कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाती है। फिर भी यदि जनता की सामाजिक तत्वों को लाने की मांग को यह उद्योग पूरा नहीं करता तो इस विषय में सोचा जा सकता है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति अभिनय करते हैं अथवा संगीत में भाग लेते हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो ही जाती है।

सभापति महोदय : कल प्रात : 11 बजे तक के लिये अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 1 मई 1969/11 वैशाख 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thuesday, May 1, 1969/Vaisakha 11, 1891 (Saka)